



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA**  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



**उत्तराखण्ड शासन**

**उत्तराखण्ड सरकार**  
**प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2024**



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**उत्तराखण्ड सरकार  
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2024**



विषय-सूची			
क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		ix
2.	कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	4
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	5
7.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	6
8.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.3.1	10
9.	सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.3.2	11
10.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.4	12
11.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.4.1	13
12.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.4.2	15
13.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.4.3	17
14.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	1.4.4	18
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.5	19
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.5.1	19
17.	पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.5.2	20
18.	निष्कर्ष	1.6	22
19.	संस्तुतियाँ	1.7	23
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	25
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	26
22.	राज्य के संसाधन	2.3	27
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	27

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	28
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	28
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	31
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	31
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	32
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	33
30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	35
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	36
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	37
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	38
34.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.4.3	39
35.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.4	40
36.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	40
37.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.5	41
38.	संसाधनों का उपयोग	2.6	42
39.	राजस्व व्यय	2.6.1	44
40.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	46
41.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	47
42.	अन्य वचनबद्ध व्यय	2.6.2.1	49
43.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	50
44.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	51
45.	पेंशन	2.6.2.4	52
46.	सब्सिडी	2.6.2.5	53
47.	अंतर्निहित सब्सिडी	2.6.2.6	54
48.	अनम्य व्यय	2.6.2.7	54
49.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.8	55
50.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	56
51.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	57
52.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	57

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
53.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	62
54.	लोक लेखा	2.8	65
55.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	65
56.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	66
57.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	67
58.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	67
59.	राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)	2.8.2.3	68
60.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.4	69
61.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.5	70
62.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	71
63.	ऋण प्रबंधन	2.9	71
64.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	71
65.	ऋण संरचना: घटक	2.9.2	72
66.	2022-23 के अंत में बकाया समग्र देनदारियों का विवरण	2.9.3	73
67.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	74
68.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	74
69.	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	76
70.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	78
71.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.8	83
72.	प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	2.10	84
73.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	86
74.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	86
75.	निष्कर्ष	2.12	89
76.	संस्तुतियाँ	2.13	90
<b>अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन</b>			
77.	बजट प्रक्रिया	3.1	91
78.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	92
79.	जैडर बजटिंग	3.2.1	94

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
80.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों एवं बचतों का सारांश	3.2.2	95
81.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.3	95
82.	बजट मानक चिन्ह	3.2.4	96
83.	विनियोग लेखे	3.3	97
84.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	97
85.	विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना	3.3.1.1	97
86.	पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः	3.3.2	98
87.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	99
88.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	103
89.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	103
90.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	104
91.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ	3.5.1	106
92.	₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	108
93.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण	3.5.3	108
94.	वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	109
95.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	109
96.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	109
97.	2022-23 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	110
98.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	110
99.	कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	111
100.	विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	112
101.	पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	3.7	114
102.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	116

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
103.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	119
104.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	120
105.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.11	121
106.	व्यय की तीव्रता	3.12	122
107.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.13	126
108.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.13.1	126
109.	केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय	3.14	138
110.	निष्कर्ष	3.15	139
111.	संस्तुतियाँ	3.16	140
<b>अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य</b>			
112.	लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण	4.1	141
113.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव	4.1.1	141
114.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.1.2	142
115.	स्थानीय निधियों में जमा	4.1.3	143
116.	पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण	4.2	144
117.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2.1	144
118.	सार आकस्मिक बिल	4.2.2	146
119.	स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.2.3	148
120.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.2.4	148
121.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.2.5	150
122.	लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.2.6	151
123.	माप संबंधी प्रकरण	4.3	155
124.	प्रमुख उच्चतम एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.3.1	155
125.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.3.2	160
126.	नगद शेष राशि का मिलान	4.3.3	162

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
127.	प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण	4.4	162
128.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.4.1	162
129.	स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.4.2	163
130.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.4.3	164
131.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.4.4	164
132.	अन्य प्रकरण	4.5	165
133.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.5.1	165
134.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.5.2	165
135.	निष्कर्ष	4.6	165
136.	संस्तुतियाँ	4.7	166
<b>अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम</b>			
137.	सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.1	167
138.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	167
139.	रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान	5.3	167
140.	रा सा क्षे उ में निवेश और बजटीय सहायता	5.4	169
141.	रा सा क्षे उ में इक्विटी स्वामित्व और ऋण	5.4.1	169
142.	विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.2	170
143.	रा सा क्षे उ से प्रतिफल	5.5	170
144.	रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	170
145.	रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान	5.5.2	170
146.	ऋण भुगतान	5.6	171
147.	ब्याज व्याप्ति अनुपात	5.6.1	171
148.	रा सा क्षे उ का वित्तीय प्रदर्शन	5.7	172
149.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.7.1	172
150.	रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	173
151.	निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर	5.7.3	174

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
152.	रा सा क्षे उ की हानियाँ	5.8	176
153.	वहन की गई हानियाँ	5.8.1	176
154.	रा सा क्षे उ में पूंजी का क्षरण	5.8.2	177
155.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	178
156.	सी ए जी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	178
157.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	179
158.	समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	179
159.	रा सा क्षे उ द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा	5.11.2	179
160.	सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	180
161.	सी ए जी का निरीक्षण - लेखों की लेखा परीक्षा और पूरक लेखा परीक्षा	5.12	180
162.	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	5.12.1	180
163.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	181
164.	सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	181
165.	सी ए जी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	181
166.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	181
167.	सरकारी कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.13.2	182
168.	सांविधिक निगम जहां सी ए जी एकमात्र/ अनुपूरक लेखापरीक्षक है	5.13.3	182
169.	निष्कर्ष	5.14	182
170.	संस्तुतियाँ	5.15	182

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	185
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	186
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	188
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	191
परिशिष्ट-5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घमों की सूची	193
परिशिष्ट-5.2	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम, जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 तक पूर्ण कर लिए गए थे	195
परिशिष्ट-5.3	2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की निधियों के संचार को दर्शाने वाला विवरण	197
परिशिष्ट-5.4	अंतिम खातों के अनुसार रा सा क्षे उ का विवरण, जो संचित हानि में है	200
परिशिष्ट-5.5	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्घम के बकाया लेखों से सम्बन्धित सूचना	201
परिशिष्ट-5.6	सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव	203
परिशिष्ट-5.7	सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	204
परिशिष्ट-5.8	वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	205
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	207

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और पूर्व एवं पश्च लेखापरीक्षा में राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** एवं **3** में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

**अध्याय-4** लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-5** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य द्वारा दिए गए ऋण निवेश, बजटीय सहायता के विवरण की चर्चा करता है। यह रा सा क्षे उ के द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को भी दर्शाता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।



## कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

### रिपोर्ट के बारे में

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्तों से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस रिपोर्ट की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट के प्रयोजन के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नताओं के कारणों और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) (वर्तमान मूल्यों पर) 2018-19 में ₹ 2,30,314 करोड़ से 2022-23 में ₹ 3,02,621 करोड़ तक 6.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर बढ़ा। राज्य का बजट आउटटर्न 10.59 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 48,037 करोड़ से 2022-23 में ₹ 71,012 करोड़ हो गया।

2021-22 में स रा घ उ में 11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 14.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और स रा घ उ पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 15.82 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 16.22 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 15.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के अपने कर राजस्व में 20.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तराखंड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में 11.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 46,810 करोड़ से बढ़कर ₹ 52,061 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 12.44 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,310 करोड़ हो गया, जो 2021-22 की तुलना में 28.63 प्रतिशत अधिक है, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 3,736 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ हो गया, जो 21.07 प्रतिशत कम हो गया।

### प्राप्ति-व्यय का असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के अंश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान और हस्तांतरण में अनुदान और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते

पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल हैं।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां 12.93 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 31,216 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,083 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 7,302 करोड़ से घटकर ₹ 5,065 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 2018-19 में 24.69 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 34.63 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से समर्थन पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

राज्य सरकार को वर्ष में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं (सी एस एस) के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 5,968.47 करोड़ प्राप्त हुआ।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 32,196 करोड़ (स रा घ उ का 13.98 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 43,773 करोड़ (स रा घ उ का 14.46 का प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (83 से 86 प्रतिशत) बनाया, जो 8.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

#### साधनों से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। तथापि, वर्ष 2018-19 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.43 प्रतिशत) था, जो चालू वर्ष में ₹ 5,310 करोड़ (स रा घ उ का 1.75 प्रतिशत) के राजस्व अधिशेष में बदल गया।

राज्य सरकार ने केवल पूंजीगत खाते पर ₹ 8,194 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 में कुल खर्च का 15.74 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 3.18 प्रतिशत) से घटकर 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, वचनबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। वचनबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर वचनबद्ध व्यय 2018-19 (66.46 प्रतिशत) और 2022-23 (58.94 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का

59 से 66 प्रतिशत था। वचनबद्ध व्यय 5.78 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा, यानी 2018-19 में ₹ 21,396 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 25,800 करोड़ {2021-22 (₹ 23,720 करोड़) से 8.77 प्रतिशत की वृद्धि}।

वचनबद्ध व्यय के अतिरिक्त, अनम्य व्यय 2018-19 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के 5.91 प्रतिशत से बढ़कर 8.51 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देता है। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 3,311 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 2,549 करोड़ हो गया, जो 23.01 प्रतिशत की कमी दर्ज करता है। 2018-19 (₹ 1,903 करोड़) से 2022-23 (₹ 2,549 करोड़) की अवधि के दौरान अनम्य व्यय की औसत वृद्धि 8.17 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, 2022-23 में वचनबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 28,349 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत था। वचनबद्ध और अनम्य खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

### गैर-वचनबद्ध व्यय में अनुदान

गैर-वचनबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो 2018-2019 में ₹ 174 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 289 करोड़ हो गई है, अर्थात् 2018-19 में कुल राजस्व व्यय का 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 0.66 प्रतिशत हो गई है। खाद्य भंडारण और भंडारण के तहत खाद्य सब्सिडी (₹ 94 करोड़) चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी का 33 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अंतर्निहित सब्सिडी पर भी ₹ 83.17 करोड़ खर्च किए।

### प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

2022-23 में, सरकार ने ₹ 386 करोड़ के ऋण के सापेक्ष प्रत्याभूतियां प्रदान कीं। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति मांगी नहीं गई थी। राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 4.57 करोड़ प्राप्त हुए।

### राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, बजट से बाहर ऋण, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक वचनबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए वचनबद्धता, आरक्षित निधियों में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि से उत्पन्न होने वाले व्यय।

## एफ आर बी एम की आवश्यकताएँ और राजकोषीय मानकों का अनुपालन

एफ आर बी एम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए और इसी तरह बकाया प्रत्याभूति को उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर सीमित किया जाता है और किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रत्याभूति उस वर्ष के स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2022-23 में, राजस्व अधिशेष, शून्य राजस्व घाटे की सीमा के सापेक्ष स रा घ उ का 1.75 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 0.97 प्रतिशत था; एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स रा घ उ के 33.90 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष ऋण 24.08 प्रतिशत था। इसी तरह, 31 मार्च 2023 तक कुल बकाया प्रत्याभूतियां 117 करोड़ थीं जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.04 प्रतिशत था और इसलिए एफ आर बी एम सीमा के भीतर थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 0.13 प्रतिशत थी। ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, उत्तराखंड सरकार का सार्वजनिक ऋण 2018-19 से 2022-23 के बीच बकाया सार्वजनिक ऋण की औसतन 6.71 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। उत्तराखंड का बकाया समग्र देनदारी - स रा घ उ अनुपात 2018-19 में 25.20 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 24.08 प्रतिशत हो गया है, जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण संभव हो सकता है।

कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (जी-आर के रूप में व्यक्त) नकारात्मक था। हालाँकि, 2021-22 और 2022-23 वर्षों के दौरान, स रा घ उ में उच्च विकास दर के कारण डोमर अंतर सकारात्मक हो गया। उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतर पिछले वर्ष की तुलना में कम आधार के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2021-22 और 2022-23 में भी क्रमशः ₹ 1,203 करोड़ और ₹ 2,155 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष है। इससे पता चलता है कि स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम के स्थिर स्तर पर आ जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो 2018-2023 के अवधि के दौरान 28 प्रतिशत से 81 प्रतिशत के बीच था।

## बजट प्रदर्शन

### कुल व्यय आउटटर्न

बजटीय उद्देश्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जांच इस बात का आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अतिरिक्त और

बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमानों (बी ई) की तुलना में परिवर्तन में विचलन (-)10.69 प्रतिशत था। यह 26 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, पांच अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत और  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी खंड में, बी ई की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+)1.58 प्रतिशत था। यह 14 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, आठ अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच और छह अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

### व्यय संरचना आउटटर्न

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, संशोधित अनुमानों (स अ) की तुलना में परिवर्तन में विचलन (-) 11.74 प्रतिशत था। यह 25 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक और छह अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी अनुभाग में, स अ की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-)7.37 प्रतिशत था। यह 19 अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत तक, छह अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत और  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच, तीन अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। तथापि, पूँजी अनुभाग में एक अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष के दौरान 33 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ दस करोड़ से अधिक) ₹ 3,355.57 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता आकलन इंगित करता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच विचलन 12 प्रतिशत से कम था, लेकिन विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। इस तरह के विचलन से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट अभ्यास की आवश्यकता होनी चाहिए।

### लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय विवरण

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय विवरण में ऐसी वस्तुएं, लेन-देन और घटनाएँ शामिल हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियाँ और उन लेखांकन अभिलेखों या

समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जैसे कि सरकारी लेखों के बाहर धन जमा करना, देनदारियों का गैर या अल्प-निर्वहन और लेन-देन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

### अनुदान/विनियोग से अधिक राशि को नियमित करना

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (ब) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि 2022-23 में एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 896.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 2005-06 से 2021-22 से संबंधित ₹ 47,758.16 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

### मिलान

उत्तराखंड बजट मैनुअल 2012 के प्रस्तर 109 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को हर महीने महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने कुल व्यय के 5.85 प्रतिशत और प्राप्तियों के 0.47 प्रतिशत का मिलान नहीं किया।

### लेखों में गलत वर्गीकरण

यह देखा गया कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 15.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह व्यय पूंजी खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण और भूमि खरीद से संबंधित है।

### भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां; आई जी ए एस-2: लेखा और सहायता अनुदान का वर्गीकरण; और आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

### पी डी लेखों का संचालन

ट्रेजरी द्वारा संबंधित प्रशासकों के साथ व्यक्तिगत जमा (पी डी) लेखों का मिलान करने की आवश्यकता के सापेक्ष, एक मामले में कोई मिलान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त,

अधिकृत अवधि समाप्त होने के बावजूद, 25 पी डी खाते बंद नहीं किए गए और उनकी शेष राशि राज्य की संचित निधि में हस्तांतरित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कुल 25 पी डी लेखों में से 12 लेखों में शून्य शेष राशि है, 11 पी डी खाते पांच साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे और 05 पी डी खाते तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे।

### एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1 (13) पी एफ एम एस/एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (सी एस एस) के अंतर्गत धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी एस एस के लिए, एस एन ए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए के खाते में स्थानांतरित करता है।

पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 4,916.41 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष उसने केंद्रीय अंश ₹ 4,988.15 करोड़, राज्य अंश ₹ 1,303.48 करोड़ और ₹ 81.18 करोड़ की अवर्गीकृत राशि एस एन ए को हस्तांतरित की। ₹ 6,372.81 करोड़ का कुल हस्तांतरण पूर्ण रूप से प्रमाणित किए गए आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया था। महालेखाकार कार्यालय को एस एन ए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक एस एन ए के बैंक लेखों में ₹ 3,331.68 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

### सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 864.32 करोड़ के 268 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

### सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023

तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 ए सी बिल, डी सी बिल जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹10.60 करोड़ की राशि के 37 ए सी बिल 2021-22 की अवधि से संबंधित हैं।

प्रचलित नियमों और संहितात्मक प्रावधानों का अनुपालन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के सापेक्ष यू सी को समय पर जमा न करना; ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी बिल जमा न करना; आई जी ए एस-1, 2 और 3 का पालन न करना; और एस एन ए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 को, उत्तराखण्ड में 33 रा सा क्षे उ थे, जिनमें चार सांविधिक निगम और 28 सरकारी कम्पनियां (नौ निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों सहित) और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी शामिल थीं, जो सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 24 रा सा क्षे उ द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था, जिनके 282 लेखे बकाया थे। 12 कार्यरत रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 232.20 करोड़ के कुल लाभ में से 80.39 प्रतिशत का योगदान केवल तीन रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। सात कार्यरत रा सा क्षे उ द्वारा वहन ₹ 1,272.90 करोड़ की कुल हानि में से, एक रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) द्वारा ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि वहन की गई। रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान सरकारी कम्पनियों पर निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 58.45 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 147.61 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा निर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, जहां सी ए जी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति-सम्पत्ति/ देनदारियों पर ₹ 339.60 करोड़ था।

राज्य सरकार रा सा क्षे उ के प्रबन्धन को अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित कर सकती है। अन्तिम लेखों के अभाव में, ऐसे रा सा क्षे उ में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार हानि में चल रहे रा सा क्षे उ में हानि के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को दक्ष और लाभदायक बनाने हेतु कदम उठा सकती है।

**अध्याय-1**  
**विहंगावलोकन**



## अध्याय-1

### विहंगावलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र है। राज्य को 13 जिलों में संगठित किया गया है, जिसे 110 उप-मंडलों, 95 ब्लॉकों और 15,745 बसे हुए गांवों में विभाजित किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की आबादी 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. जो कि राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में 2022-23 में साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा 2022-23 में नवजात शिशु मृत्युदर (24 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत दर (73.00 प्रतिशत एवं 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता 11.26 प्रतिशत थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92) से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

#### 1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

राज्य ने पिछले दशक में काफी आर्थिक विकास देखा है और 2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए मौजूदा कीमतों पर इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) और प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 8.18 प्रतिशत और 6.93 प्रतिशत रही है; तथापि, यह अखिल भारतीय सकल घरेलू

उत्पाद (10.34 प्रतिशत) और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (9.12 प्रतिशत) के सी ए जी आर से नीचे था (परिशिष्ट-1.1)।

देश के स घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ (नाममात्र) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22♣	2022-23♥
<b>भारत</b>					
स घ उ (2011-12 श्रृंखला)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धन (स म व)	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
वर्तमान दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर(प्रतिशत)	10.59	6.37	-1.36	18.36	16.06
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स म व की वृद्धि दर(प्रतिशत)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति स घ उ (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
<b>उत्तराखण्ड</b>					
स रा घ उ (2011-12 श्रृंखला)	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621
स रा म व	2,13,350	2,23,436	2,22,675	2,57,629	2,87,193
वर्तमान दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.58	3.88	-1.00	14.90	11.19
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा म व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.48	4.73	-0.34	15.70	11.48
प्रति व्यक्ति स रा घ उ (₹ में)	2,07,714	2,13,289	2,08,761	2,37,321	2,61,173

उत्तराखण्ड ♥ अनंतिम अनुमान, ♣संशोधित अनुमान।

आंकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड अस्थायी अनुमान, संशोधित अनुमान।

जैसाकि ऊपर दिये गए विवरण से देखा जा सकता है, केवल वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड के स रा घ उ की वृद्धि दर राष्ट्रीय स घ उ वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23 के लिए यह राष्ट्रीय विकास दर से कम था।


वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 11.19 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,72,159 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,02,621 करोड़ हो गया था जबकि वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 16.06 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,34,71,012 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,72,40,712 करोड़ हो गया था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति स रा घ उ ₹ 2,61,173 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति स घ उ ₹ 1,96,983 थी। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति स रा

घ उ में वृद्धि (25.74 प्रतिशत) इसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति स घ उ में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) के साथ तालमेल नहीं रख सकी। भारत और उत्तराखण्ड दोनों के लिए प्रति व्यक्ति आंकलन (स घ उ और स रा घ उ) लगातार बढ़ रहे हैं। 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23 के दौरान औसत आय स्तर में सुधार का संकेत मिलता है। हालाँकि, 2020-21 के दौरान इसमें गिरावट आई। ऐसा देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हो सकता है।

सकल मूल्य वर्धित (स म व) का उपयोग भारत सरकार और आई एम एफ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि स म व को स घ उ की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को अनदेखा करता है। जबकि स घ उ की गणना निजी खपत खर्च, सरकारी खपत खर्च और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश खर्च सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न खर्चों के कुल योग के रूप में भी की जा सकती है, अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है। दोनों आंकलनों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए स म व और (सकल राज्य मूल्य वर्धित) स रा म व आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

भारत का स म व और उत्तराखण्ड का स रा म व दिए गए वर्षों में वृद्धि के उतार-चढ़ाव वाले रुझान को दर्शाता है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान भारत की स म व वृद्धि दर -1.05 प्रतिशत से 17.87 प्रतिशत के बीच थी, जबकि उत्तराखण्ड की स रा म व वृद्धि दर 2018-19 से 2022-23 के दौरान -0.34 प्रतिशत से 15.70 प्रतिशत के बीच थी। दोनों, स म व और स रा म व की विकास दर में भिन्नता है, कुछ वर्षों में दूसरों की तुलना में उच्च वृद्धि का अनुभव किया गया है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 स म व (2021-22: 17.87 प्रतिशत और 2022-23: 15.41 प्रतिशत) और स रा म व (2021-22: 15.70 प्रतिशत और 2022-23: 11.48 प्रतिशत) दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की अवधि के रूप में सामने आते हैं, जो संभवतः इन वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्ष 2020-21 में स म व और स रा म व दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर थी, जिसे कोविड-19 महामारी या अन्य स्थानीय कारणों के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए स रा घ उ और स रा म व के रुझान नीचे चार्ट-1.1 में दर्शाए गए हैं:




आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

### 1.1.2 स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.2 से दर्शाता है कि 2018-19 से 2022-23 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा घ उ में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 8.63 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 9.99 प्रतिशत हो गई और उद्योग क्षेत्र में 2018-19 में 46.15 प्रतिशत से 2022-23 में 46.87 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भी 2018-19 में 37.85 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 38.04 प्रतिशत हो गई।

चार्ट-1.2: स रा घ उ (2018-19 से 2022-23) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन




आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

चार्ट-1.3 से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों की विकास दर में कमी देखी गयी, जबकि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर

में वृद्धि देखी गई। कृषि क्षेत्र ने सभी उप-क्षेत्रों अर्थात फसलों, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग और मछली पकड़ने और जलीय कृषि में बढ़ती वृद्धि दर देखी गई। उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण उप-क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में विकास में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, उद्योग क्षेत्र के तहत निर्माण और अन्य उपयोगिता सेवाओं के उप क्षेत्र की वृद्धि दर में भी पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र में, चार उप-क्षेत्रों अर्थात् (i) परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, (ii) व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां और (iii) लोक प्रशासन और (iv) अचल संपत्तिमें तेज गिरावट देखी गई, जबकि वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी।

चार्ट-1.3: स रा घ उ में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाना है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए

वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है- राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2018-23 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए भी किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2023, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ सितम्बर 2023 में एक प्रवेश गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिस में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। ड्राफ्ट प्रतिवेदन नवम्बर 2023 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और दिसम्बर 2023 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

### 1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

### 1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अतिरिक्त किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर भारत होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

### 3. राज्य के लोक लेखा {संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंतशीर्ष (दोनों ही क्षणिक शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग होने पर) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

### बजट दस्तावेज़

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों में व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थापाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

**पूँजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सा क्षे उ) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एकल लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो क्रियाशील और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखानियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उपशीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा प्राप्त किया जाता

है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

**सरकारी लेखों की संरचना**



**सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक देयता**

इस रिपोर्ट में सार्वजनिक ऋण को बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि शामिल किए गए हैं। इस प्रयोजन हेतु 6003 और 6004- सार्वजनिक ऋण के प्रमुख शीर्षकों को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक खाते के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधि, आदि, आरक्षित निधियां और जमा और अग्रिम से संबंधित लेन-देन ऐसे होते हैं कि सरकार पर प्राप्त धनराशि को

चुकाने का दायित्व बनता है अथवा भुगतान की गई राशियों की वसूली का दावा किया जाता है। सार्वजनिक खाते के तहत 'प्रेषण' और 'उचन्त' से संबंधित लेनदेन में केवल कोषागारों और मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा मंडलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेन-देन जैसे प्रमुखों को समायोजित करना शामिल है।

इस रिपोर्ट में लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अग्रिम से संबंधित प्रमुख शीर्षों 8001 से 8554 के अंतर्गत लेन-देनों के साथ-साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देनों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक देयता का सहारा लिया गया है।

### बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, राज्य का राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग प्रदान करने के लिए विधानमण्डल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखा परीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

### 1.3.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

तालिका-1.2 वर्ष 2021-22 के वास्तविक के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: वास्तविक के सापेक्ष बजट की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	ब अ से वास्तविक की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	24,082	24,500	27,719	113.14	9.16
(i)	करेत्तर राजस्व	14,176	15,370	17,102	111.27	5.65
(ii)	केंद्रीय करों का अंश	9,906	9,130	10,617	116.29	3.51
2.	करेत्तर राजस्व	2,756	5,521	4,367	79.10	1.44
3.	सहायता अनुदान और योगदान	16,219	21,453	16,997	79.23	5.62

क्र. सं.	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	ब अ से वास्तविक की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक की प्रतिशतता
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	43,057	51,474	49,083	95.35	16.22
5.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	17	25	17	68.00	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	12	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ(क)	3,736*	8,809	2,949	33.48	0.97
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	3,753	8,834	2,978	33.71	0.98
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	46,810	60,308	52,061	86.33	17.20
10.	राजस्व व्यय	38,929	49,013	43,773	89.31	14.46
11.	ब्याज भुगतान	4,939	6,018	5,104	84.81	1.69
12.	पूँजीगत व्यय	7,881	10,990	8,288	75.41	2.74
13.	पूँजीगत परिव्यय	7,534	10,840	8,194	75.59	2.71
14.	ऋण और अग्रिम	347	150	94	62.67	0.03
15.	कुल व्यय (10+12)	46,810	60,003	52,061	86.76	17.20
16.	राजस्व घाटा / आधिक्य (-/+) (4-10)	4,128	2,461	5,310	215.77	1.75
17.	राजकोषीय घाटा {15-(4+5+6)}	3,736	8,504	2,949	34.68	0.97
18.	प्राथमिक घाटा/आधिक्य (-/+)	1,203	(-) 2,486	2,155	186.69	0.71

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

\*इसमें जी एस टी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 3,333 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ी हैं, बजट अनुमानों की तुलना में पांच प्रतिशत कम हो गई हैं। चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 43,773 करोड़), की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 49,083 करोड़) अधिक थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ।

### 1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। परिशिष्ट-1.2 में 31 मार्च 2023 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दिया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में है। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसंपत्तियाँ				
	2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		
<b>समेकित निधि</b>									
अ	आंतरिक ऋण	53,759.17	53,558.43	-0.37	अ	सकल पूँजी परिव्यय	71,858.97	80,053.48	11.40
ब	भा स से ऋण और अग्रिम*	7,443.32	8,600.36	15.54	ब	ऋण और अग्रिम	2,378.28	2,454.61	3.21
	आकस्मिकता निधि	231.34	321.50	38.97					
<b>लोक लेखा</b>									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,330.63	9,453.58	1.32		अग्रिम	0.42	0.42	0.00
ब	जमा	3,536.19	3,880.65	9.74		नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	3,837.19	2,318.65	-39.57
स	रिजर्व फंड	4,653.02	4,824.64	3.69		<b>योग</b>	<b>78,074.86</b>	<b>84,827.16</b>	<b>8.65</b>
द	उचत और विविध	481.01	208.80	-56.59		व्यय पर प्राप्त की संचयी अधिकता	1,430.83	-3,890.97	-371.94
य	प्रेषण	71.01	88.23	24.25		<b>योग</b>	<b>79,505.69</b>	<b>80,936.19</b>	<b>1.80</b>
	<b>योग</b>	<b>79,505.69</b>	<b>80,936.19</b>	<b>1.80</b>					

स्रोत: वित्त लेखे।

\*वित्त वर्ष 2021 - 22 तक, इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में ₹ 5649 करोड़ का बैंक - टू - बैंक ऋण शामिल है।

#### 1.4 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

सरकारी ऋण को बढ़ा कर घाटे का वित्तपोषण उधार द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान देते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित कर देती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बाँण्ड का भुगतान

करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही लोगों से सरकार द्वारा उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद कर्ज को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। कर्ज में वृद्धि को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था (रा स घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

करों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मुख्य जोर सरकारी व्यय में कमी की ओर रहा था। इसे कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर हासिल किया जा सकता है।

#### 1.4.1 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो की वर्ष 2011, 2016 व 2020 एवं 2023 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार कर किया जाना था। इस संदर्भ में, एफ आर बी एम अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

भारत सरकार एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में संशोधन के अनुसार ऋण में अब सार्वजनिक ऋण (आंतरिक और बाहरी ऋण), सार्वजनिक खाते पर कुल बकाया देनदारियाँ और 'केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी निकाय कॉर्पोरेट या अन्य इकाई की ऐसी वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण (वा वि वि) से चुकाना या सेवा करना है, उस तारीख के अंत में नकद शेष राशि से कम किया गया है।

उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल बकाया ऋण/देनदारियों में केवल राज्य की संचित निधि और राज्य के सार्वजनिक खाते की देनदारियाँ शामिल हैं। वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को

2013-14 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। 2016 में हुए एफ आर बी एम अधिनियम संशोधन में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया था कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, 'राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा मिल सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए वर्ष 2020-21 के लिये अधिसूचित राजकोषीय घाटे की सीमा, स रा घ उ का 3.5 प्रतिशत, को वर्ष 2021-22 के लिए मान लेते हैं।

एफ एफ सी की सिफारिशों और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने एफ एफ सी द्वारा दिए गए राजकोषीय घाटे के सांकेतिक मार्ग का पालन करने के लिए अप्रैल 2023 में अपने एफ आर बी एम अधिनियम में और संशोधन किया। एफ आर बी एम अधिनियम में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित एफ एफ सी की सिफारिशें शामिल थीं। एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के निरंतर अनुपालन के साथ स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा कम करेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए स रा घ उ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के प्रतिशत के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा क्रमशः 4.0 और 3.5 से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, एफ आर बी एम (संशोधन) अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के प्रतिशत के रूप में कुल देनदारियां क्रमशः 32.60 और 33.30 से अधिक नहीं होंगी।

एफ आर बी एम अधिनियम 2023 (संशोधन) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड <sup>1</sup>		उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल	0	0	0	0	0
	उ प	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	(+) 5,310
		X	X	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा(-)/अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	ल	3.00	3.00	3.50	4.00	3.50
	उ प	(-) 7,320 (3.18)	(-) 7,657 (3.20)	(-) 5,439 (2.30)	(-) 3,736 (1.37)	(-) 2,949 (0.97)
		X	X	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	ल	25	25	25	32.60	33.30
	उ प	25.20	27.58	30.16*	26.23*	24.08*
		X	X	X	✓	✓

स्रोत: वित्त लेखे एफ आर बी एम अधिनियम और पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन।

\*इसमें भारत सरकार से प्राप्त जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में वर्ष 2021-22 तक प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल नहीं किया गया है, जिसे भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाना था।

राज्य ने 2018-19 से 2019-20 के दौरान राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था परंतु 2020-21 से 2022-23 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था।

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 प्रतिशत के एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर रहा, यानी यह एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों से क्रमशः 0.20 प्रतिशत, 2.58 प्रतिशत, 5.16 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 प्रतिशत और 33.30 प्रतिशत से क्रमशः 6.37 प्रतिशत और 9.22 प्रतिशत कम था।

तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण निर्गम गोष्ठी के दौरान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

#### 1.4.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पाँच वर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

<sup>1</sup> रिपोर्ट का पैरा 1.5 राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण, उपकर के गैर-हस्तांतरण और आरक्षित निधि में कम योगदान आदि पर विचार करने के बाद आर डी, एफ डी और बकाया देनदारियों में लेखापरीक्षा के बाद के कारकों को दर्शाता है।

<sup>2</sup> भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र क्रमांक एफ 40 1) पी एफ - एस / 2021 22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) निर्धारित राजकोषीय संकेतों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करती है।

तालिका-1.5 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में 2022-23 के लिए किए गए अनुमानों तथा वास्तविक के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: 2022-23 के लिए एम टी एफ पी में वास्तविक बनाम प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक (2022-23)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	16,952	17,102	0.88
2.	करेत्तर राजस्व	4,977	4,367	-12.26
3.	केंद्रीय करों का अंश	10,568	10,617	0.46
4.	भारत सरकार से अनुदान	19,548	16,997	-13.05
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	52,045	49,083	-5.69
6.	राजस्व व्यय	49,594	43,773	-11.74
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	2,451	5,310	116.65
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	-8,108	-2,949	-63.63
9.	स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	2.68	0.97	-1.71
10.	ऋण- स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	28.11	24.08*	-4.03
11.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.19	11.19	0.00

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2022-23।


\*जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2020-21 से 2021-22 के मध्य ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने 2022-23 के दौरान एम टी एफ पी एस में राजस्व अधिशेष का अनुमान ₹ 2,451 करोड़ लगाया था, जिसके विपरीत राज्य को ₹ 5,310 करोड़ का अधिशेष हुआ, जो कि अनुमान से 116.65 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹ 8,108 करोड़ था जिसके सापेक्ष ₹ 2,949 करोड़ का राजकोषीय घाटा हासिल हुआ, यह एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 63.63 प्रतिशत कम था। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा भी एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्यों से 1.71 प्रतिशत कम था। ऋण-स रा घ उ अनुपात से संबंधित अनुमान भी पूरा कर लिया गया था, क्योंकि वर्ष का अंत स रा घ उ अनुपात में कम ऋण के साथ हुआ था और एम टी एफ पी एस में अनुमानित लक्ष्यों से 4.03 प्रतिशत कम था।

### 1.4.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


राज्य प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में 2022-23 के दौरान एफ एफ सी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2022-23 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा 2,949 करोड़ था, जो स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत है। 2021-22 के दौरान ₹ 1,203 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,155 करोड़ तक बढ़ गया और 2021-22 में ₹ 4,128 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2022-23 के दौरान ₹ 5,310 करोड़ तक बढ़ गया। 2018-19 से 2022-23 तक पांच साल की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है और स रा घ उके सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दी गई है। राजकोषीय देनदारियों का घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ में इसका प्रतिशत भी चार्ट-1.6 में दिया गया है।

चार्ट-1.4: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.5: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देनदारियों और स रा घ उकी प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

\*इसमें भारत सरकार से प्राप्त जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में 2020-21 तक ₹ 2,316 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण और 2021-22 तक प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ शामिल नहीं हैं।

जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बकाया देनदारियां 25.54 प्रतिशत (जी एस टी मुआवजे के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर) बढ़ीं और 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थीं। हालाँकि, यह 2021-22 और 2022-23 के दौरान एफ आर बी एम लक्ष्य 32.60 प्रतिशत और 33.30 प्रतिशत से नीचे थी।

#### 1.4.4 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि कोई राज्य भारत सरकार (भा स) की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं उठा सकता है यदि ऋण का कोई भी हिस्सा, जो भारत सरकार द्वारा राज्य को दिया गया है, अब भी बकाया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार की शुद्ध उधार सीमा ₹ 8,620.00 करोड़ तय की (मार्च 2022) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिशील उधारी इस सीमा के भीतर बनी रहे।

ऊर्जा क्षेत्रमें कुछ प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर राज्य को स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत की उपरोक्त सीमा से 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी जानी थी।

उक्त शुद्ध उधार सीमा (एन बी सी) उधार के सभी स्रोतों को कवर करती है, जिसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थानों से बातचीत किए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, ई ए पी ऋण सहित केंद्र सरकार के ऋण, लघु बचत के तहत सार्वजनिक खाता हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली अन्य देनदारियां, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा आदि जैसा कि राज्य के वित्त लेखे के विवरण 6 में दर्शाया गया है।

वित्त लेखे के विवरण 6 (उधार और अन्य देनदारियों का विवरण) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिशील उधार और अन्य देनदारियां 1,485.34 करोड़ (संशोधित स रा घ उ का 0.49 प्रतिशत) थीं जो स रा घ उ के 3.5 प्रतिशत (₹ 10,591.74 करोड़) की उधार सीमा के भीतर रही।

## 1.5 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियाँ में राज्य के लिए गणना किया गया राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा प्रभावित होता है।

### 1.5.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटा

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राज्य कभी-कभी राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और बजट से परे राजकोषीय संचालन कर सकते हैं, इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, आकस्मिकता निधि की गैर-प्रतिपूर्ति, उपकर / रॉयल्टी को समेकित निधि में जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, रिडेम्पशन फंड आदि का भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर असर पड़ता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटे का विश्लेषण तालिका-1.6 में दिया गया है।

<sup>3</sup> राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 प्रतिशत की इस अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि (जुलाई 2022) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत मांगी गई सहमति का घटकवार विवरण भारत सरकार को अद्योषित करते समय राज्य सरकार ने जी एस डी पी के 0.50 प्रतिशत की इस अतिरिक्त उधारी का उल्लेख नहीं किया।

तालिका-1.6: 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव  
(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित(+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
गारंटी कमीशन शुल्क का लोकलेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 0.98	(+) 0.98	2.8.2.4
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अर्न्तगत बुक किये गये मुख्य कार्य	(+) 15.23	--	2.6.3.2 (iii)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का अतिरिक्त भुगतान करना	(+) 121.65	(-) 121.65	4.1
नई पेंशन योजना में कम योगदान	(-) 3.34	(+) 3.34	2.6.2.4
केन्द्रीय सड़क निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 378.17	--	4.3 (ग)
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 72.00	(+) 72.00	एन टी ए का 5(ब)(v)
2022-23 के दौरान आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति न होना।	(-) 147.49	(+) 178.50	--
गारंटी मोचन निधि में कम योगदान	(-) 64.87	(+) 64.87	एन टी ए का 5 (ii)(ब)(ब)
समेकित ऋण शोधन निधि में कम योगदान	(-) 285.12	(+) 285.12	एन टी ए का 5 (ii)(ब)(अ)
<b>योग</b>	<b>(-) 815.09</b>	<b>(+) 483.16</b>	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 5,310 करोड़ से घटकर ₹ 4,495 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 2,949 करोड़ से बढ़कर (पैरा 1.4.1 देखें) ₹ 3,432 करोड़ (स रा घ उ का 1.13 प्रतिशत) हो जाएगा, जो फिर भी एफ आर बी एम अधिनियम 2005 (2023 में संशोधित) के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. केंद्रीय सड़क निधि का लेखा न करने, हरित ऊर्जा उपकर को हरित ऊर्जा निधि में स्थानांतरित न करने, गारंटी मोचन निधि में कम योगदान और समेकित निक्षेप निधि ऋण शोधन निधि में कम योगदान के संबंध में सरकार ने कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे सरकार ने कहा कि मिलान/सुझाव के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

### 1.5.2 पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार (केंद्र, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियाँ सहित);

- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यम;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्त पोषित दायित्व (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);
- आकस्मिक दायित्वों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ हुई हैं या ट्रिगर होने की ओर अग्रसर हैं)।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप से, व्यापक सार्वजनिक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सकल ऋण एक उपयुक्त अवधारणा है क्योंकि यह ऋण सेवा दायित्वों के वित्तपोषण के बोझ को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तरल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता ऋण स्थिरता के जोखिमों को कम करती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती है (जैसे कि मुद्रा या परिपक्वता अंतर और सामान्य सरकारी संचालन के लिए परिसंपत्तियों के कुछ न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होती है)। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार की ओर से राज्य पीएसयू, विशेष प्रयोजन वाहन (वि प्र वा) आदि द्वारा उधार लेने जैसे ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन का कोई मामला नहीं था, राज्य सरकार की ओर से जहाँ मूलधन और/या ब्याज का भुगतान राज्य के बजट से किया जाना है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) आदि जैसे ऑफ-बजट वित्तीय संचालन के मामले नहीं थे, जहाँ मूलधन और / या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है। उत्तराखण्ड एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, कुल बकाया ऋण/देनदारियों का मतलब केवल राज्य की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/देनदारियों को तालिका-1.7 में दिए गए अनुसार विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है।

तालिका-1.7: 31 मार्च 2023 तक बकाया ऋण/देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	धनराशि (₹ करोड़ में)	
	लेखापरीक्षा - पूर्व	लेखापरीक्षा-पश्चात
आंतरिक ऋण (अ)	53,558.43	53,558.43
ब्याज सहित बाजार ऋण	44,910.00	44,910.00
ब्याज न देने वाले बाजार ऋण	0.02	0.02
क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	0.77	0.77
अन्य संस्थाओं आदि से ऋण	3,334.94	3,334.94
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,312.70	5,312.70

केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (ब)	8,600.36	2,951.36 <sup>4</sup>
आयोजनेत्तर ऋण	1.80	1.80
राज्य आयोजनागत योजनाओंके लिए ऋण	377.36	377.36
अन्य	8,221.20	2,572.20
<b>लोक लेखा पर देनदारियां (स)</b>	<b>16,350.25</b>	<b>16,350.25</b>
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,453.58	9,453.58
जमा	3,880.65	3,880.65
आरक्षित निधियाँ	3,016.02	3,016.02
<b>योग (अ+ब+स)</b>	<b>78,509.04</b>	<b>72,860.04</b>

स्रोत: वित्त लेखे

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में दौरान कुल उधार और देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (68 प्रतिशत), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (11 प्रतिशत) और सार्वजनिक खाते के तहत देनदारियां (21 प्रतिशत) शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के अंत में, राज्य की कुल देनदारियां स रा घ उ का 25.94 प्रतिशत थीं जो एम टी एफ पी विवरण के तहत 28.11 प्रतिशत के मानक मूल्यांकन के भीतर और वर्ष 2022-23 के लिए राज्य एफ आर बी एम अधिनियम के तहत निर्धारित 33.30 प्रतिशत के मानदंडों के भीतर थीं।

जैसा कि उपरोक्त तालिका-1.7 से देखा जा सकता है, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल उधार और देनदारियां ₹ 5,649 करोड़ (स रा घ उ का 1.87 प्रतिशत) से अधिक बताई गई थीं। यह वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजे के बदले में भारत सरकार से (2020-21 और 2021-22 के दौरान) प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल करने के कारण था, जिसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था क्योंकि इसका पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा जी एस टी मुआवजा निधि में उपकर के संग्रह से किया जाना था और इसलिए, पुनर्भुगतान राज्य के संसाधनों पर वहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक-टू-बैंक ऋण का गैर-लेखांकन भी कुल उधार और देनदारियों को ₹ 5,649 करोड़ की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। इसे बाहर करने पर ऋण स रा घ उ अनुपात घटकर स रा घ उ का 24.08 प्रतिशत हो जाएगा।

## 1.6 निष्कर्ष

- राज्य को 2018-19 में ₹ 980 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ था जो 2019-20 में और भी कम होकर ₹ 2,136 करोड़ हो गया। 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा सुधर कर ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष तक पहुंच गया। वर्ष 2021-22 में राजस्व

<sup>4</sup> ₹ 5,649 करोड़ का अंतर वित्त वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले में बैंक-टू-बैंक ऋण (₹ 5,649 करोड़) के संचय के कारण है।

- अधिशेष में और सुधार हुआ और यह ₹ 4,128 करोड़ रहा। चालू वर्ष के दौरान राज्य को ₹ 5,310 करोड़ (स रा घ उ का 1.75 प्रतिशत) का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। एन पी एस में कम योगदान, केंद्रीय सड़क निधि का लेखा-जोखा न करना, हरित ऊर्जा उपकर को हरित ऊर्जा निधि में स्थानांतरित न करना, आकस्मिकता निधि की वसूली न करना, मोचन निधि और समेकित ऋणशोधन निधि आदि की गारंटी देनाके कारण राजस्व अधिशेष ₹ 815 करोड़ (15.35 प्रतिशत) से अधिक बताया गया।
- चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 2,949 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) वर्ष 2022-23 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.5 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे में और सुधार हुआ। एन पी एस में कम योगदान, ग्रीन एनर्जी सेस को ग्रीन एनर्जी फंड में ट्रांसफर न करने, आकस्मिकता निधि की वसूली न होना, गारंटी मोचन निधि और समेकित ऋणशोधन निधि में कम योगदान, आदि के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 483 करोड़ (16.38 प्रतिशत) कम बताया गया। ₹ 483 करोड़ के कम विवरण पर विचार करने के बाद, राजकोषीय घाटा ₹ 2,949 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,432 करोड़ (स रा घ उ का 1.13 प्रतिशत) हो जाएगा, जो अभी भी एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 (2023 में संशोधित) में 3.5 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के भीतर होगा।

## 1.7 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार राजस्व व्यय/पूँजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए उचित कदम उठा सकती है, प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि का उचित लेखांकन शुरू कर सकती है, आरक्षित निधि में अनिवार्य योगदान कर सकती है, और उपकर को अपने नामित निधि में स्थानांतरित कर सकती है ताकि सही वित्तीय स्थिति दर्शाई जा सके।*



**अध्याय-2**  
**राज्य के वित्त**



## अध्याय-2

### राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे के लेन-देन, की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

#### 2.1 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्ति में 14.00 प्रतिशत की वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य की स्वयं कर प्राप्ति में 20.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>स्वयं की करेत्तर प्राप्ति में 58.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश में 7.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 4.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
राजस्व व्यय में 12.44 प्रतिशत की वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सहायता अनुदान पर व्यय में 32.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
पूँजीगत प्राप्ति में 21.56 प्रतिशत की वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>ऋण पूँजी प्राप्ति में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
पूँजीगत व्यय में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 11.01 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 9.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
ऋणों एवं अग्रिमों में 71.49 प्रतिशत की कमी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 72.91 प्रतिशत की कमी हुई।</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 1.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>लोक ऋण प्राप्ति में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।*</li> <li>लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 20.47 प्रतिशत बढ़ा।</li> </ul>
लोक लेखे	<ul style="list-style-type: none"> <li>लोक लेखा प्राप्ति में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</li> </ul>
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> <li>नकद शेष में 39.57 प्रतिशत की कमी हुई।</li> </ul>

\*जी एस टी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में 2021-22 के दौरान भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,333 करोड़ को छोड़कर, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से नहीं चुकाया जाना है।

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2021-22 के आँकड़ों से करती है जबकि संसाधनों के संघटकों की वृद्धि तालिका-2.2 (अ) में दी गयी है। चार्ट-2.1 एवं 2.2 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशतता के रूप में “प्राप्ति कहाँ से आयी” तथा “कहाँ व्यय हुआ” का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2021-22 और 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	3,575.97	3,837.19	7.30
	राजस्व प्राप्तियाँ	43,056.99	49,082.70	13.99
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	0.00	11.83	100
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17.08	17.30	1.29
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	4,087.85	956.30	-76.61
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 314.67	384.04	-222.05
	आकस्मिकता निधि (निवल)	223.88	90.16	-59.73
	<b>योग</b>	<b>50,647.10</b>	<b>54,379.52</b>	<b>7.37</b>
उपयोग	राजस्व व्यय	38,928.95	43,772.73	12.44
	पूँजीगत व्यय	7,533.50	8,194.51	8.77
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	347.46	93.63	-73.05
	आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष	3837.19	2,318.65	-39.57
	<b>योग</b>	<b>50,647.10</b>	<b>54,379.52</b>	<b>7.37</b>

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.2 (अ): संसाधनों के संघटकों की वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2022-23	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
कर राजस्व	14,176	17,102	20.64
करेत्तर राजस्व	2,756	4,367	58.45
केंद्रीय कर अंतरण	9,906	10,617	7.18
सहायता अनुदान	16,219	16,997	4.80
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	17	17	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,473	5,036	(-)/32.61

स्रोत: वित्त लेखे।

### 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों) में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

#### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना **चार्ट-2.3** में दी गई है।

चार्ट-2.3: 2022-23 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 54,422 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 49,083 करोड़) 90.19 प्रतिशत, पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ 5,065 करोड़) 9.31 प्रतिशत और निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 274 करोड़) 0.50 प्रतिशत थीं।

### 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, स रा घ उ से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।


तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)	31,216	30,723	38,205	43,057	49,083
बजट अनुमान (ब अ) (₹ करोड़ में)	35,660	38,955	42,439	44,151	51,474
रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.17	(-) 1.58	24.35	12.70	14.00
राज्य का स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में)	15,498	15,512	16,109	16,932	21,469
(i) स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	12,188	11,513	11,938	14,176	17,102
(ii) करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	3,310	3,999	4,171	2,756	4,367
भा स से सहायता अनुदान	7,707	8,309	15,527	16,219	16,997
संध करों और शुल्कों में राज्यांश (₹ करोड़ में)	8,011	6,902	6,569	9,906	10,617

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.85	0.09	3.85	5.11	26.80
जी आई ए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 4.68	7.81	86.87	4.46	4.80
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.58	3.88	(-) 1.00	14.90	11.19
रा प्र/ब अ (प्रतिशत)	87.54	78.87	90.02	97.52	95.35
रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.55	12.84	16.13	15.82	16.22
उत्प्लावकता अनुपात <sup>1</sup>					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	3.31	ला न	ला न <sup>2</sup>	0.85	1.25
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	6.52	0.02		0.34	2.39
स रा घ उ के संदर्भ में सहायता अनुदान की उत्प्लावकता	ला न	2.01		0.30	0.43

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ के आँकड़े आर्थिक प्रभाग, नि. एवं महा.ले.प. के रा.वि.ले.प्र. संकलन से प्राप्त किए गए हैं।


चार्ट-2.4: स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



<sup>1</sup> उत्प्लावकता आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

<sup>2</sup> ला न क्रमशः 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान जी आई ए, राजस्व प्राप्तियों और स रा घ उ की नकारात्मक वृद्धि के कारण नकारात्मक आँकड़ों को दर्शाता है।

चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियां 12.93 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि से 57.24 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 31,216 करोड़ से 2022-23 में ₹ 49,083 करोड़ हो गयीं। 2022-23 के दौरान गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,026 करोड़ (14.00 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 711 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,926 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 778 करोड़) तथा राज्य के करेत्तर राजस्व (₹ 1,611 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में 87.54 प्रतिशत से 2022-23 में 95.35 प्रतिशत बढ़ गईं। हालांकि, विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान इसमें आंशिक रूप से 2.17 प्रतिशत की कमी आई।
- दूसरी तरफ, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 120.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, 2021-22 की तुलना में इसमें ₹ 778 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 43.74 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 56.26 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय कर हस्तांतरण तथा सहायता अनुदान पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत (₹ 6,026 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी तरफ राजस्व व्यय में 12.44 प्रतिशत (₹ 4,844 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य के स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था। स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 3.31 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 1.25 प्रतिशत हो गयी, जबकि स रा घ उ के संदर्भ में राज्य की स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 6.52 प्रतिशत से काफी कम होकर 2022-23 में 2.39 प्रतिशत हो गई। 2018-23 में स्वयं की राजस्व

उत्प्लावकता में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति मुख्य रूप से राज्य के स रा घ उ में उतार-चढ़ाव के कारण थी।

- इसी प्रकार, स रा घ उ के संदर्भ में सहायता अनुदान उत्प्लावकता में भी 2019-20 से 2022-23 के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण सहायता अनुदान की उत्प्लावकता बढ़ी।

स्वयं की राजस्व उत्प्लावकता की तुलना में सहायता अनुदान की बढ़ती प्रवृत्ति अधिक निर्भरता का संकेत देती है, जबकि घटती प्रवृत्ति भारत सरकार की सहायता पर कम निर्भरता का संकेत देती है। सतत राजकोषीय स्थिरता और विकास के लिए राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और स्थानीय कर आधार को मजबूत करना आवश्यक है।


### 2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है; सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है।

2018-23 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

#### 2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2018-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं स रा घ उ में इसके प्रतिशत के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।



वर्ष 2018-23 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका-2.4 में है।

तालिका-2.4: 2018-23 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	प्रवृत्तियाँ
1. विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	1,883	1,811	1,858	2,302	2,555	
2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,802	4,931	5,053	5,973	7,341	
3. राज्य आबकारी	2,871	2,727	2,966	3,258	3,526	
4. वाहनों पर कर	909	908	741	889	1,211	
5. निबन्धन एवं पंजीकरण शुल्क	1,015	1,072	1,107	1,488	1,987	
6. भू-राजस्व	34	24	17	40	65	
7. अन्य कर	674	40	196	226	417	
<b>योग</b>	<b>12,188</b>	<b>11,513</b>	<b>11,938</b>	<b>14,176</b>	<b>17,102</b>	
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	78.64	74.22	74.11	83.72	79.66	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	39.04	37.47	31.25	32.92	34.84	


स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 11.49 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ, 2018-19 में ₹ 12,188 करोड़ से 2022-23 में ₹ 17,102 करोड़ तक ₹ 4,914 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.92 प्रतिशत), राज्य आबकारी (20.62 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (14.94 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (11.62 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,926 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,368 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 499 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 322 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 268 करोड़) और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 253 करोड़), में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान 39.04 से 34.84 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई।

### 2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एस जी एस टी का संग्रह 37.96 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 2018-19 में ₹ 4,802 करोड़ से ₹ 2,539 करोड़ (52.87 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 में ₹ 7,341<sup>3</sup> करोड़ हो गया। विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें ₹ 1,368 करोड़ (22.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

#### राजस्व का बकाया

31 मार्च 2023 को वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत ₹ 8,061.87 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 3,592.19 करोड़ (44.55 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जैसा कि तालिका-2.5 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष <sup>4</sup>	31 मार्च तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)					31 मार्च तक पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	उ न	10,205.69	11,821.59	11,457.98	8,061.87	उ न	3,227.82	3,968.17	4,495.01	3,592.19
राज्य आबकारी	उ न	67.51	उ न	160.47	सूचना प्रतीक्षित	उ न	67.29	उ न	114.16	सूचना प्रतीक्षित
<b>योग</b>		<b>10,273.20</b>	<b>11,821.59</b>	<b>11,618.45</b>	<b>8,061.87</b>		<b>3,295.11</b>	<b>3,968.17</b>	<b>4,609.17</b>	<b>3,592.19</b>

स्रोत: वाणिज्यिक कर एवं राज्य आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

<sup>3</sup> वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई के आंकड़ों और राज्य जीएसटी के वित्त लेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर नहीं था।

<sup>4</sup> राज्य कर एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। वि व 2022-23 हेतु आबकारी विभाग द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में कुल बकाया धनराशि 2019-20 में ₹ 10,205.69 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 8,061.87 करोड़ हो गयी है, जबकि 2019-23 के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है। चालू वर्ष में यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,396.11 करोड़ (29.64 प्रतिशत) कम हो गया है। पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राजस्व में भी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी है और 2019-20 की तुलना में इसमें ₹ 364.37 करोड़ की वृद्धि हुई है। हालाँकि, चालू वर्ष 2022-23 में यह विगत वर्ष से ₹ 902.82 करोड़ (20.08 प्रतिशत) कम हो गया। ऐसे में राज्य सरकार को अपनी राजस्व वसूली के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि राजस्व की जल्द वसूली के लिए संबंधित विभागों के साथ मामला उठाया जाएगा।

### निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.6: निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	वर्ष के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	2018-19	-----ला न -----					
	2019-20	60,504	1,28,105	1,88,609	73,885	1,14,724	39
	2020-21	1,14,724	33,426	1,48,150	79,304	68,846	54
	2021-22	68,846	11,825	80,671	79,781	890	99
	2022-23	890	9,106	9,996	8,677	1,319	87
वाणिज्यिक कर/वस्तु एवं सेवा कर	2018-19	-----ला न -----					
	2019-20	-----ला न -----					
	2020-21	-----ला न -----					
	2021-22	0	4,175	4,175	3,564	611	85
	2022-23	611	12,457	13,068	5,524	7,544	42

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निपटान हेतु शेष मामले 2020-23 के दौरान काफी कम हो गए हैं। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत इसमें बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गयी। जी एस टी के अन्तर्गत कुल लम्बित कर निर्धारण में विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 213 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, निपटान का प्रतिशत 2021-22 के 85 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गया।

### विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण

के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
मूल्य वर्धित कर				शून्य		
वस्तु एवं सेवा कर	254	203	457	316	459.52	141

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

### कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत कर वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया है।

तालिका-2.8: 31 मार्च 2023 तक कर वापसी के प्रकरणों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	16	14.31	1,000	7.25
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,390	334.86	622	176.06
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	1,100	306.20	1,036	170.28
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी	225	29.58	56	5.62
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	81	13.39	530	7.41

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है जी एस टी के अंतर्गत 1,390 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 306.20 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,100 प्रकरणों का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 622 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 170.28 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,036 प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि बिक्री, व्यापार इत्यादि (मुख्य शीर्ष 2040) पर कर के अन्तर्गत ₹ 17.13 करोड़ का तथा अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (मुख्य शीर्ष 2853) के अंतर्गत ₹ 5.36 करोड़ का कर वापस किया गया जबकि इसे संबन्धित प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया जाना चाहिए था।

### 2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक-वार विवरण तालिका-2.9 में दिया गया है।

तालिका-2.9: 2018-19 से 2022-23 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	प्रवृत्तियाँ
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	480.86	396.75	506.41	575.01	472.13	
वानिकी एवं वन्य जीव	368.73	410.16	512.27	511.55	474.93	
ब्याज प्राप्तियाँ	55.70	47.81	98.52	403.55	759.04	
शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	81.48	198.83	259.59	268.57	227.19	
शहरी विकास	1.22	35.57	15.08	190.98	30.99	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	99.57	183.84	168.75	177.85	188.50	
विद्युत्	186.67	0.30	70.35	111.23	72.46	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिलाभ के लिए योगदान एवं वसूली	1,714.70	2,492.90	2,109.78	61.57	1711.37	
लाभांश एवं लाभ	18.69	14.08	41.02	35.05	25.07	
अन्य	302.26	218.57	388.80	420.60	404.87	
योग	3,309.88	3,998.81	4,170.57	2,755.96	4,366.55	
राज्य के स्वयं के राजस्व से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	21.36	25.78	25.89	16.28	20.34	
कुल राजस्व प्राप्तियों से करेत्तर राजस्व की प्रतिशतता	10.60	13.02	10.92	6.40	8.90	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का छः प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा।

### 2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



### 2.3.4.1 केंद्रीय कर अंतरण

चौदहवें वि आ ने अनुसंशा की थी कि वर्ष 2015-16 से केंद्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें वि आ) द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अंश बढ़ाकर 1.104 प्रतिशत तथा 2021-22 एवं 2022-23 के लिए बढ़ाकर 1.118 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.10 में नीचे दिया है।

तालिका-2.10: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश : वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में प्रक्षेपण	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5.=(4-3)
2013-14	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत (चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 के प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार)	7,363.05	9,906.25	2,543.20
2022-23	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 के प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के अनुसार)	8,190.78 <sup>5</sup>	10,617.00	2,426.22

स्रोत: प वि आ एवं वित्त लेख।

राज्य को वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केन्द्रीय कर के अन्तरण का विवरण तालिका-2.11 में दिया गया है।

तालिका-2.11: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निगम कर	2,786.13	2,353.14	1,981.20	2,985.75	3,559.58
सीमा शुल्क	567.89	437.46	349.64	676.32	417.39
आय कर	2,051.86	1,843.85	2,031.05	2,938.64	3,474.95
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.14	4.37	4.69	9.47	17.47
सेवा कर	73.45	00	28.21	127.78	16.62

<sup>5</sup> राज्यों को कर हस्तांतरण ₹ 732628\*1.118% = ₹ 8,190.78

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
संपदा कर	1.02	0.1	00	0.62	0
संघ उत्पाद शुल्क	377.39	304.15	220.89	337.81	130.97
आय एवं व्यय पर अन्य कर	14.51	00	00	0.02	00
सी जी एस टी	1,977.40	1,958.47	1953.04	2,829.84	3,000.03
आई जी एस टी	157.8	00	00	00	00
<b>कुल केन्द्रीय करों का अंतरण</b>	<b>8,011.59</b>	<b>6,901.54</b>	<b>6,568.72</b>	<b>9,906.25</b>	<b>10,617.01</b>
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	13.08	-13.86	-4.82	50.81	7.17
केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता	25.67	22.46	17.19	23.01	21.63

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पाँच वर्ष की अवधि (2018-19 से 2022-23) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2018-19 में ₹ 8,012 करोड़ से वर्ष 2022-23 में ₹ 10,617 करोड़ तक 32.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 711 करोड़ (7.17 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 574 करोड़), आय कर (₹ 536 करोड़) तथा सी जी एस टी (₹ 170 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 21.63 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका-2.10 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों के प्रतिवेदनों (XIII, XIV एवं XV) में अनुमानों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, केंद्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 2,543 करोड़ एवं ₹ 2,426 करोड़ अधिक था।

### 2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1 केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,966	4,477	6,166	5,219	5,969
2 वित्त आयोग अनुदान	485	975	6,865	9,424	8,501
3 राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,256	2,857	2,496	1,576	2,527
<b>कुल (1+2+3)</b>	<b>7,707</b>	<b>8,309</b>	<b>15,527</b>	<b>16,219</b>	<b>16,997</b>
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 5	8	87	4	5
राजस्व प्राप्ति से जी आई ए की प्रतिशतता	25	27	41	38	35

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2018-19 से 2022-23 तक भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 9,290 करोड़ (120.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसमें

₹ 778 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत था। 2022-23 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 8,501 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (₹ 7,137 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 479 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 787 करोड़) और राज्य आपदा निवारण कोष (₹ 98 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 50.01 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,969 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 35.12 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान मुख्य रूप से जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 2,136 करोड़) के सम्बन्ध में थे।

### 2.3.4.3 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी एफ एम एस / एफ सी डी/2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अन्तर्गत धन जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, एस एन ए की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए खाते में स्थानांतरित करना है।

वर्ष 2022-23 के लिए पी एफ एम एस पोर्टल के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्न पाया गया:

- (i) 19 सी एस एस में, भारत सरकार ने राज्य को ₹ 3,263.53 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके सापेक्ष उसने एस एन ए के खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में केवल ₹ 2,482.91 करोड़ जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 780.62 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ, जबकि 39 सी एस एस में, राज्य ने भारत सरकार के हिस्से से अधिक ₹ 853.87 करोड़ हस्तांतरित किए।
- (ii) 2022-23 के दौरान 110 राज्य संबद्ध योजनाओं में बिना खर्च की गई ₹ 3,331.68 करोड़ की शेष धनराशि थी।
- (iii) राज्य ने 43 सी एस एस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से ₹ 675.96 करोड़ की अधिक धनराशि जारी की।
- (iv) राज्य ने 15 सी एस एस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से ₹ 124.97 करोड़ की कम धनराशि जारी की।

- (v) केंद्रीय अंश के रूप में 2022-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4,916.41 करोड़ के सापेक्ष, राज्य सरकार ने ₹ 4,988.15 करोड़ के केंद्रीय अंश, ₹ 1,303.48 करोड़ के राज्य अंश और ₹ 81.18 करोड़ को अवर्गीकृत राशि के रूप में एस एन ए को हस्तांतरित किया।

महालेखाकार (ले एवं हक) कार्यालय को वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज एस एन ए से प्राप्त नहीं हुए थे।

#### 2.3.4.4 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है पं वि आ के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.13 में दिया गया है।

तालिका-2.13: पं वि आ की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया अनुदान  
(₹ करोड़ में)

अंतरण	2022-23 के लिए पं वि आ की अनुसंशा	2022-23 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त
1. स्थानीय निकाय	657	478
(अ) पी आर आई को अनुदान	440	307
(ब) यू एल बी को अनुदान	217	171
2. राजस्व घाटा अनुदान	7,137	7,137
3. आपदा मोचन निधि (केंद्रान्श)	984	886
4. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	150	0.00
<b>महायोग</b>	<b>8,928</b>	<b>8,501</b>

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को पी आर आई, यू एल बी और आपदा मोचन निधि में पंद्रहवें वि आ की अनुसंशा से कम अंश प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान हेतु वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार पूर्ण अंश प्राप्त हुआ। राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अनुसंसित ₹ 150 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

#### 2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.14 में निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका-2.14: निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. पूँजीगत प्राप्तियाँ (कुल)	7,302	6,167	9,810	7,490	5,065
1.1 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	00	00	0.20	0	12
1.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	27	19	23	17	17
1.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,275	6,148	9,787	7,473	5,036
आंतरिक ऋण	7,170	6,078	6,728	3,787	3,817
वृद्धि दर	(-) 3.26	(-) 15.23	10.69	(-) 43.71	0.79
भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)	105	70	3,059	3,686	1,219
वृद्धि दर	(-) 7.89	(-) 33.33	4,270.00	20.50	(-) 66.93
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 3.34	(-) 15.49	59.19	(-) 23.64	(-)32.61
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 20.59	(-) 29.63	22.11	(-) 26.72	70.59
स रा घ उ की वृद्धि दर	4.58	3.88	(-)1.00	14.90	11.19
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 3.41	(-) 15.54	59.08	(-) 23.65	(-)32.38
कुल प्राप्तियों से पूँ प्रा की प्रतिशतता	18.96	16.72	20.43	14.82	9.35

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2018-19 में ₹ 7,302 करोड़ से 2022-23 में ₹ 5,065 करोड़ तक ₹ 2,237 करोड़ (30.64 प्रतिशत) की कमी हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,425 करोड़ (32.38 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में कमी (₹ 2,467 करोड़) के कारण हुई।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2018-23 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों (₹ 35,719 करोड़) में से 39.93 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 14,261 करोड़) में किया गया तथा शेष 60.07 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

## 2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2022-23 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक को तालिका-2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.15: राज्य के स्वयं के संसाधन : अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	13,796	15,371	16,952	17,102	23.96	11.26	0.88
करेत्तर राजस्व	3,951	5,521	4,977	4,367	10.53	-20.90	-12.26

स्रोत: पं वि आ का प्रतिवेदन, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पं वि आ के अनुमान, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 3,306 करोड़, ₹ 1,731 करोड़ एवं ₹ 150 करोड़ अधिक रहा। इस प्रकार, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ था।

वर्ष 2022-23 के दौरान करेत्तर राजस्व (एन टी आर) पं वि आ के अनुमानों की तुलना में ₹ 416 करोड़ अधिक था। तथापि, यह ब आ और एम टी एफ पी एस के आंकलन के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,154 करोड़ और ₹ 610 करोड़ कम था। राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित करेत्तर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

## 2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधान के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

**राजस्व व्यय:** वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों, जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं, राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

**पूँजीगत व्यय:** वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

**ऋण एवं अग्रिम:** सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) और अन्य पक्षों को ऋण एवं अग्रिम।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु व्य)	38,563	38,399	43,667	46,810	52,061
राजस्व व्यय (रा व्य)	32,196	32,859	37,091	38,929	43,773
पूँजीगत व्यय (पू व्य)	6,184	5,414	6,538	7,534	8,194
ऋण एवं अग्रिम	183	126	38	347	94


मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	16.74	16.05	18.44	17.20	17.20
राजस्व व्यय/स रा घ उ	13.98	13.73	15.66	14.30	14.46
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.69	2.26	2.76	2.77	2.71
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.08	0.05	0.02	0.13	0.03

स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 38,563 करोड़ से 35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 52,061 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की अपेक्षा 11.22 प्रतिशत बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2018-19 से 2022-23 के दौरान 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच रहा।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: 2022-23 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचना

(प्रतिशत में)




गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय ₹ 52,061 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश (प्रतिशत में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	36.25	37.00	35.68	35.79	35.53
सामाजिक सेवाएँ	34.51	36.99	38.24	38.10	38.74
आर्थिक सेवाएँ	25.46	21.54	21.65	22.82	21.81
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	3.78	4.47	4.43	3.29	3.92

चार्ट-2.11, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2022-23 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अंशों में आंशिक कमी हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हुई।

### 2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (83 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका-2.18 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2022-23 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।


तालिका-2.18: राजस्व व्यय - आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (कु व्य)	38,563	38,399	43,667	46,810	52,061
राजस्व व्यय (रा व्य)	32,196	32,859	37,091	38,929	43,773
रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.70	2.06	12.88	4.96	12.44
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में	83.49	85.57	84.94	83.16	84.08
रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.98	13.73	15.66	14.30	14.46
रा व्य, रा प्रा की प्रतिशतता के रूप में	103.14	106.95	97.09	90.41	89.18
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता <sup>6</sup> के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	2.34	0.53	(-)12.88	0.33	1.11
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.71	(-)1.30	0.53	0.39	0.89

स्रोत: वित्त लेखे।


चार्ट-2.12: 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



<sup>6</sup> उत्प्लावकता आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट-2.13: 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



वर्ष 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता अधिक थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 4,844 करोड़ (12.44 प्रतिशत) की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) में दिये गए आकलन (₹ 49,594 करोड़) के सापेक्ष ₹ 5,821 करोड़ कम था।

### 2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.19, गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। सकारात्मक विचलन के साथ कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ (i) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (ii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (iii) स्थानीय निकायों और पी आर आई को क्षतिपूर्ति और कार्यभार (iv) ग्रामीण रोजगार (v) शहरी विकास (vi) जलापूर्ति एवं स्वच्छता (vii) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (viii) पशुपालन तथा (ix) खाद्य भंडारण एवं भंडागारण थीं।

आगे, जांच के दौरान पाया गया कि वेतन, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, मानदेय, मजदूरी, ईंधन की खरीद और भोजन पर व्यय इत्यादि जैसे नियमित प्रकृति के लेनदेनों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 139.30 करोड़ का राजस्व व्यय किया गया जो कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि, 2001 के प्रावधानों के विरुद्ध था। यह राज्य सरकार द्वारा खराब बजटिंग को दर्शाता है क्योंकि बजट की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में स्थापना व्यय की नियमित प्रकृति का पूर्वानुमान और बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

तालिका-2.19: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	व्यय		विचलन (प्रतिशतता)	
	2021-22	2022-23	धनराशि में	प्रतिशत में
2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,590.16	3,548.04	957.89	36.98
2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,884.90	2,615.42	730.51	38.76
3604 स्थानीय निकायों और पी आर आई को क्षतिपूर्ति और कार्यभार	1,540.33	2,040.66	500.33	32.48

मुख्य लेखा शीर्ष		व्यय		विचलन (प्रतिशतता)	
		2021-22	2022-23	धनराशि में	प्रतिशत में
2505	ग्रामीण रोजगार	130.31	530.41	400.09	307.03
2217	शहरी विकास	100.87	302.77	201.89	200.14
2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	469.77	608.75	138.98	29.59
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	156.84	240.46	83.62	53.32
2403	पशुपालन	240.51	303.84	63.33	26.33
2408	खाद्य भंडारण एवं भंडागारण	88.51	143.60	55.09	62.24
2048	ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन	210.00	110.00	-100.00	-47.62
2220	सूचना एवं प्रसार	383.84	167.85	-215.99	-56.27
2406	वानिकी एवं वन्य	1,131.60	775.67	-355.93	-31.45

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका मुख्य विचलन (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) वाले लेखा शीर्षों को दर्शाती है। तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसार और वानिकी एवं वन्य के अन्तर्गत राजस्व व्यय में गिरावट आई और ग्रामीण रोजगार, शहरी विकास, खाद्य भंडारण एवं भंडागारण, अन्य प्रशासनिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

### 2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी वचनबद्ध मदों में चला जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक है। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं - समेकित सिंकिंग फंड (सी एस एफ), प्रतिभूति मोचन निधि (जी आर एफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एस डी एम एफ / एस डी आर एफ), आदि में योगदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति की गई धनराशि।
- (iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

- (v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सी एस एस का अंश योगदान - राज्यांश की राशि एस एन ए को हस्तांतरित किया जाना/ राज्य द्वारा व्यय किया जाना।
- (vi) ब्याज देने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में- ब्याज भुगतान।

वचनबद्ध व्यय में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों का रुझान विश्लेषण तालिका-2.20 में दर्शाया गया है और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 में दिखाया गया है।

तालिका-2.20, 2018-19 से 2022-23 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध और गैर-वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका-2.20: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>वचनबद्ध व्यय के घटक</b>					
वेतन एवं मजदूरी	11,525	11,714	11,755	12,417	13,515
ब्याज भुगतान	4,475	4,504	4,773	4,939	5,104
पेंशन पर व्यय	5,396	5,507	6,168	6,364	7,181
<b>योग</b>	<b>21,396</b>	<b>21,725</b>	<b>22,696</b>	<b>23,720</b>	<b>25,800</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	36.92	38.13	30.77	28.84	27.53
ब्याज भुगतान	14.34	14.66	12.49	11.47	10.40
पेंशन पर व्यय	17.29	17.92	16.14	14.78	14.63
<b>योग</b>	<b>68.54</b>	<b>70.71</b>	<b>59.41</b>	<b>55.09</b>	<b>52.56</b>
<b>राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	35.80	35.65	31.69	31.90	30.88
ब्याज भुगतान	13.90	13.71	12.87	12.69	11.66
पेंशन पर व्यय	16.76	16.76	16.63	16.35	16.41
<b>योग</b>	<b>66.46</b>	<b>66.12</b>	<b>61.19</b>	<b>60.93</b>	<b>58.94</b>
गैर-वचनबद्ध रा व्य	10,800	11,134	14,395	15,209	17,973
रा व्य में गैर-वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत	33.54	33.88	38.81	39.07	41.06
कु व्य में गैर-वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत	28.01	29.00	32.97	32.49	34.52
सब्सिडी	174	35	139	145	289
गैर-वचनबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	1.61	0.31	0.97	0.95	1.61
<b>अनम्य व्यय के घटक</b>					
स्थानीय निकायों को संविधिक हस्तांतरण	1,459	1,717	1,932	1,390	1,492
आरक्षित निधियों में योगदान	0	150	150	210	110
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	217	94	2	436	269
उपकर को आरक्षित निधि अन्य निकाय में/ हस्तांतरण	187	0	70	72	72

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंश योगदान	उ न	उ न	548	1,047	728
ब्याज वहन करने वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उनका निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान*	40	43	156	156	(-) 122*
<b>योग</b>	<b>1,903</b>	<b>2,004</b>	<b>2,858</b>	<b>3,311</b>	<b>2,549</b>
रा प्रा के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	6.10	6.52	7.48	7.69	5.19
रा व्य के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	5.91	6.10	7.71	8.51	5.82


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

- \* \* केवल ब्याज-वहन निधि की देयता प्रदान की गयी है। सार्वजनिक ऋण ब्याज देयता (यदि कोई देय) उपलब्ध नहीं है।
- \* नकारात्मक आंकड़ा ब्याज के अतिरिक्त भुगतान के कारण है क्योंकि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने ₹122.68 करोड़ के देय ब्याज के सापेक्ष ₹ 244.30 करोड़ का ब्याज भुगतान किया था।

तालिका-2.20 से पता चलता है कि राजस्व व्यय के सापेक्ष गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 2018-19 में 33.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 41.06 प्रतिशत हो गया, जिसमें सब्सिडी का अनुपात 0.31 प्रतिशत से 1.61 प्रतिशत तक था।

चार्ट-2.14: राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर-वचनबद्ध व्यय के अंश

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेख।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 66.46 प्रतिशत से 2022-23 में 58.94 प्रतिशत तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्य हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 68.54 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 52.56 प्रतिशत हो गया। आगे, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में गैर-वचनबद्ध व्यय 2018-19 में 28.01 प्रतिशत से चालू वर्ष में 34.52 प्रतिशत तक बढ़ गया।

### 2.6.2.1 अन्य वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य वचनबद्ध व्यय दिव्यांगों, बच्चों, औरतों और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी

योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित हैं, भी अन्य वचनबद्ध व्यय हैं। निम्न तालिका-2.21 पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2022-23 तक अन्य वचनबद्ध व्यय को दर्शाती है।

तालिका-2.21: अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण <sup>7</sup>	1,489.73	1,607.08	1,671.37	1,814.44	2,615.42
उपयोगिता बिलों का भुगतान	315.04	271.84	290.58	344.87	460.81
<b>योग</b>	<b>1,804.77</b>	<b>1,878.92</b>	<b>1,961.95</b>	<b>2,159.31</b>	<b>3,076.23</b>
राजस्व प्राप्ति (रा प्रा) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.77	5.23	4.37	4.21	5.33
उपयोगिता बिलों का भुगतान	1.01	0.88	0.76	0.80	0.94
<b>योग</b>	<b>5.78</b>	<b>6.11</b>	<b>5.13</b>	<b>5.01</b>	<b>6.27</b>
राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.63	4.89	4.51	4.66	5.97
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.98	0.83	0.78	0.89	1.05
<b>योग</b>	<b>5.61</b>	<b>5.72</b>	<b>5.29</b>	<b>5.55</b>	<b>7.03</b>

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान अन्य वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में पाँच प्रतिशत से सात प्रतिशत के मध्य रहा।


### 2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन का अंश कम था। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (1.02 प्रतिशत) के साथ वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 30.88 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, यह 2018-19 में ₹ 11,525 करोड़ से ₹ 1,990 करोड़ (17.27 प्रतिशत) बढ़ कर 2022-23 में ₹ 13,515 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 13,515 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 17,346 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3,831 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 142.29 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,391.96 करोड़ वेतन एवं भत्तों तथा अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना चार्ट-2.15 में दी गई है।

<sup>7</sup> 2018-19 से 2021-22 तक केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय शामिल है।

चार्ट-2.15: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की धनराशि की तुलना



स्रोत: उत्तराखण्ड बजट का खण्ड VI और वित्त लेखे।

अवधि 2018-23 के दौरान राज्य में कर्मचारियों की संख्या में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। इसमें संबंधित पिछले वर्षों की तुलना में 2021-22 में 5,490 (2.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और 2022-23 में 5,857 (3.00 प्रतिशत) की कमी हुई। हालाँकि वेतन व्यय में क्रमशः ₹ 662 करोड़ (5.63 प्रतिशत) और ₹ 1,098 करोड़ (8.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या में 2018-19 की तुलना में 8,694 (4.39 प्रतिशत) की कमी आई है, जबकि वेतन व्यय में ₹ 1,990 करोड़ (17.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

### 2.6.2.3 ब्याज भुगतान

2021-22 में ब्याज भुगतान ₹ 4,939 करोड़ से ₹ 165 करोड़ (3.34 प्रतिशत) बढ़ कर 2022-23 में ₹ 5,104 करोड़ हो गया, जोकि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 101 करोड़, विविध ब्याज भुगतान ₹ 150 करोड़ एवं जमा पर ब्याज भुगतान ₹ 42 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि अन्य आंतरिक ऋण ₹ 28 करोड़, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (रा अ ब नि) को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 75 करोड़, तथा राज्य भविष्य निधि पर ब्याज ₹ 34 करोड़ के घटने से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,128 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 658 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 73 करोड़) और अन्य दायित्वों (₹ 245 करोड़) पर ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सा भ नि पर ब्याज के रूप में ₹ 63.59 करोड़ की धनराशि का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सा भ नि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन (प्रतिशत)	अनुमान	विचलन (प्रतिशत)
2022-23	5,104	6,018	914 (15.19)	6,018	914 (15.19)

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

#### 2.6.2.4 पेंशन

2022-23 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 7,181 करोड़ था जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.63 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 12.84 प्रतिशत (₹ 817 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट (₹ 6,703 करोड़) में किए गए अनुमान से ₹ 478 करोड़ अधिक एवं तथा एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 6,933 करोड़) से ₹ 248 करोड़ अधिक था। 2021-22 के सापेक्ष वर्ष के दौरान, सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति भत्ते और पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य (₹ 2,764.98 करोड़) में कुल मिलाकर ₹ 177.94 करोड़ की वृद्धि हुई, पारिवारिक पेंशन (₹ 1,333.59 करोड़) में ₹ 28.53 करोड़ की वृद्धि हुई, छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 330.45 करोड़) में ₹ 44.37 करोड़ की वृद्धि हुई, और परिभाषित योगदान पेंशन योजना (₹ 822.14 करोड़) के लिए सरकारी योगदान में ₹ 114.61 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए पेंशन (₹ 1,173.93 करोड़) में ₹ 280.01 करोड़ की कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2018-19 में 46.82 प्रतिशत से 2022-23 में 53.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। जैसाकि तालिका-2.23 में दिया गया है, यह 2021-22 में 51.25 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 53.13 प्रतिशत हो गया।

तालिका-2.23: वेतन के प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पेंशन भुगतान (₹ करोड़ में)	5,396	5,507	6,168	6,364	7,181
वेतन पर भुगतान (₹ करोड़ में)	11,525	11,714	11,755	12,417	13,515
वेतन के सापेक्ष पेंशन का प्रतिशत	46.82	47.01	52.47	51.25	53.13

#### राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित

अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, राष्ट्रीय सिक्क्योरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 1,411.77 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 589.63 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 822.14 करोड़) था। सरकार द्वारा ₹ 1,431.77 करोड़ (ब्याज भुगतान ₹ 20 करोड़ सहित) को मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित योगदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का योगदान ₹ 3.34 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,447.98 करोड़ हस्तांतरित किये गए। हालाँकि, 2021-22 के अंत में एन एस डी एल को हस्तांतरित किए जाने वाले ₹ 83.21 करोड़ में से, ₹ 67 करोड़ की धनराशि अभी भी 2022-23 के अंत में हस्तांतरित नहीं की गई थी। योजना के अंतर्गत, अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित धनराशि सरकार के बकाया दायित्व को प्रदर्शित करती है।

### 2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका-2.24 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 0.56 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी परंतु वर्ष 2020-21 में यह पुनः बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गई। 2021-22 में यह 0.02 प्रतिशत की मामूली कमी के बाद 2022-23 में पुनः 0.59 प्रतिशत बढ़ गयी। इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 0.54 प्रतिशत से नाममात्र बढ़कर 2022-23 में 0.66 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसमें 0.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 144 करोड़ (99 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

तालिका-2.24: 2018-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	174	35	139	145	289
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.56	0.11	0.36	0.34	0.59
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.54	0.11	0.37	0.37	0.66

2022-23 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 45 करोड़), खाद्य भंडारण और भंडागारण (₹ 94 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 50 करोड़), ई डबल्यू एस मकानों के लिए अनुदान (₹ 22 करोड़), गरीब परिवारों को कुकिंग गैस हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़), मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना (₹ 10 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रिंकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 9 करोड़), पर्यटन क्षेत्र की स्वरोजगार योजना एवं होम-स्टे विकास योजना हेतु ऋण (₹ 12 करोड़), सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम (₹ 5 करोड़) और खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 5 करोड़) थी। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने अपने बजट में ₹ 378 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया था।

### 2.6.2.6 अंतर्निहित सब्सिडी

अंतर्निहित सब्सिडी तब उत्पन्न होती है जब सरकार सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं की सरकार द्वारा वहन की गई लागत से कम कीमत पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप में या वस्तु रूप में या रियायत के रूप में दी जा सकती है। 2018-23 के दौरान सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई अंतर्निहित सब्सिडी तालिका-2.25 में दी गई है।

तालिका-2.25: 2018-23 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अंतर्निहित सब्सिडी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
फसल बीमा	3.22	3.99	1.89	2.16	3.24
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता	24.00	45.19	123.90	85.70	79.93
<b>योग</b>	<b>27.22</b>	<b>49.18</b>	<b>125.79</b>	<b>87.86</b>	<b>83.17</b>

उपरोक्त तालिका-2.25 दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2018-19 से 2022-23 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 14.50 करोड़ की धनराशि भी अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में दी गयी और सड़क परिवहन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को वरिष्ठ नागरिकों एवं छात्राओं को मुफ्त यात्रा सुविधा के रूप में प्रतिपूर्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतु ₹ 358.72 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में दी गयी।

### 2.6.2.7 अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटकों, जिनमें स्थानीय निकायों को अन्य वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधियों में योगदान शामिल हैं, में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 2018-23 के दौरान छह प्रतिशत से नौ प्रतिशत की सीमा में रहा। इसके अतिरिक्त, अनम्य व्यय (₹ 2,549 करोड़) गत वर्ष 2022-23 (₹ 3,311 करोड़) की तुलना में 23.01 प्रतिशत कम हो गया।

**2.6.2.8 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.26 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.26: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	544.70	573.62	1,531.82	901.68	1,079.12
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	717.07	902.05	976.91	734.27	1,044.05
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	742.25	814.62	955.29	655.97	996.62
4.	विकास एजेंसियाँ	555.82	494.84	539.27	483.71	523.97
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	436.19	353.03	552.66	630.04	1,068.47
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	11.69	13.30	9.17	13.81	11.07
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	593.57	585.49	915.03	902.30	947.26
8.	सहकारी समितियाँ	2.67	1.55	15.18	14.26	16.85
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	41.80	51.17	55.77	70.97	76.63
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	51.12	47.27	56.38	64.19	98.14
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	216.54	238.66	250.85	178.48	433.53
12.	अन्य संस्थान	552.36	724.60	582.44	1208.77	1,335.60
<b>योग</b>		<b>4,465.78</b>	<b>4,800.18</b>	<b>6,440.77</b>	<b>5858.45</b>	<b>7,631.31</b>
रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता		13.87	14.61	17.36	15.05	17.43
वेतन हेतु अनुदान (वस्तु शीर्ष-05)		1,028.36	1,071.71	1,179.53	1,181.65	1,391.96
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (वस्तु शीर्ष-55)		485.48	383.01	(-)/431.63 <sup>8</sup>	706.10	450.47
गैर वैतनिक अनुदान (वस्तु शीर्ष-56)		3,053.28	3,129.89	3,409.34	3,312.13	4,747.80
वस्तु के रूप में दिया गया अनुदान		सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी				

स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एन सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 1,772.86 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 26.74 प्रतिशत लेखांकित की गई।

मई 2016 में चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी। 2018-19 से

<sup>8</sup> ऋणात्मक आँकड़ा लोक लेखा में हस्तांतरित एस डी आर एफ पर व्यय को दर्शाता है।

2022-23 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि और वास्तविक हस्तांतरित धनराशि तालिका-2.27 में दी गई है।

तालिका-2.27: हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	12,188	11,513	11,938	14,176	17,103
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)	1,340.68	1,266.43	1,313.18	1,559.36	1,881.33
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	1,459.32	1,716.67	1,932.2	1,390.24	1,491.55
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	11.97	14.91	16.19	9.81	8.72

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय कमी के बाद 2022-23 में स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरण मामूली रूप से बढ़ा। 2022-23 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से कम था।

### 2.6.3 पूँजीगत व्यय


पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूँजीगत व्यय 2018-19 में ₹ 6,184 करोड़ से 2022-23 में ₹ 8,194 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 660 करोड़ (8.76 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 10,471 करोड़) और बजट में किए गए अनुमान (₹ 10,840 करोड़) के सापेक्ष क्रमशः ₹ 2,277 करोड़ एवं ₹ 2,646 करोड़ कम था। चार्ट-2.16 में पाँच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, बजट के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.17 में स रा घ उ और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.16: 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.17: पूँजीगत व्यय की स रा घ उ तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



### 2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.28 में गत वर्ष के सापेक्ष 2022-23 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी अथवा कमी (₹ 50 करोड़ और 25 प्रतिशत से अधिक) को दिखाने वाले प्रकरणों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका-2.28: 2018-23 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	विगत वर्ष से अन्तर	प्रवृत्तियाँ
4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय	439.35	339.32	733.66	1050.30	1554.94	504.64(48.05)	
4217 शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	179.39	469.43	574.95	385.89	511.90	126.01(32.65)	
4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	154.33	290.10	398.37	361.46	476.89	115.43(31.93)	
5452 पर्यटन पर पूँजीगत व्यय	57.98	88.91	123.91	111.23	192.88	81.65(73.41)	
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय	79.54	105.75	82.10	97.51	178.28	80.77(82.83)	
4885 उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02	72.02(-)	
4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय	193.00	133.20	147.59	100.90	151.49	50.59(50.14)	
4408 खाद्य भंडारण एवं भंडागारण पर पूँजीगत व्यय	944.48	569.19	71.29	493.97	285.32	(-)208.65(-42.24)	
4215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत व्यय	486.35	638.64	648.18	1059.87	550.20	(-)509.67(-48.09)	

मुख्य योजनायें जिसमें सारभूत वृद्धि/कमी चिन्हित हुई वे बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं और जलापूर्ति एवं स्वच्छता (केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति थीं।

### 2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। पूर्व के अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों तथा अन्य निकायों

जैसे कि चीनी मिल, वित्त निगम आदि को दिये गए ऋणों को अनिवार्यता बढ़े खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता**

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में किये गए निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2023 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 4,043.90 करोड़ का निवेश किया था। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 25.07 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। तालिका-2.29 में 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.29: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत तक निवेश	3,402.45	3,534.95	3,683.54	3,818.94	4,043.90
निवेश पर प्रतिफल	18.69	14.08	40.02	35.05	25.07
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.55	0.40	1.09	0.92	0.62
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.15	7.26	6.83	6.55	6.56
औसत ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर	(-)7.60	(-)6.86	(-)5.74	(-)5.63	(-)5.94
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	258.59	242.50	211.44	215.01	240.21

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और निवेश के (ऐतिहासिक लागत पर) 0.40 प्रतिशत से 1.09 प्रतिशत के बीच था। गत वर्ष में 0.92 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 0.62 प्रतिशत हो गया। हालांकि, सरकार ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 7.07 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने दोहराया कि सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर लाभ को विशुद्ध वित्तीय लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक आर्थिक लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश आम जनता

को लाभ प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में करती है। लेखापरीक्षा ने सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के आर्थिक लाभ की गणना के लिए किए गए अध्ययन, यदि कोई हो, को साझा करने का अनुरोध किया। सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल को आर्थिक चश्मे से देखने की सरकार की अवधारणा वैध है, उन चुनौतियों और बाधाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो व्यवहार में इन विभागों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश से प्राप्त लाभों को अधिकतम करने के लिए परिचालन दक्षता और बाजार की गतिशीलता के साथ कल्याणकारी उद्देश्यों को संतुलित करना आवश्यक है।

**(ii) शेष राशि का समाधान**

राज्य के साक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, अद्वैत इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रासाक्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.30 में दिनांक 31 मार्च 2023 को इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.30: वित्त लेखों के सापेक्ष रासाक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रतिभूति के बकायों के आँकड़े

(₹ करोड़ में)

के सापेक्ष बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	रासाक्षे उ के आँकड़ों के अनुसार	अंतर
अ	ब	स	(ब-स)
इक्विटी	4,043.90	3,989.52	54.38
ऋण	731.13	935.51	(-)204.38
प्रतिभूति	33.45	101.18	(-)67.73

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के रासाक्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अन्तर पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। यह अन्तर मुख्य रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर सरकारी लेखों में निवेश की प्रविष्टियों तथा व्यक्तिगत साक्षे उ से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गए विवरणों के कारण उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार द्वारा इन साक्षे उ में किए गए निवेश में अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि शेष राशि का मिलान किया जायेगा।

**(iii) राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों के बीच गलत वर्गीकरण**

वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने गलत तरीके से पूँजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 14.71 करोड़ (वृहद कार्य) और ₹ 0.52 करोड़ (भूमि खरीद) का व्यय दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इसके कारण राजस्व व्यय में इस सीमा तक व्यायाधिक्य हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

**(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा**

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने बहुत सी संस्थाओं/ संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। तालिका-2.31, 31 मार्च 2023 को पाँच वर्षों 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ब्याज की प्राप्ति तथा भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.31: 2018-23 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम धनराशि	183.48	125.78	37.56	347.45	93.63
वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	26.91	18.92	23.05	17.08	17.30
लंबित ऋण का अन्त शेष	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28	2,454.61
शुद्ध वृद्धि	156.57	106.86	14.51	330.37	76.33
प्राप्त ब्याज	1.13	25.65	58.78	359.22	694.88 <sup>9</sup>
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	0.06	1.33	2.89	17.54	29.22
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)	8.15	7.26	6.83	6.55	6.56
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-)8.09	(-)5.93	(-)3.94	10.99	22.66

31 मार्च 2023 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,454.61 करोड़ थी। चालू वर्ष के दौरान ऋणों के संवितरण की धनराशि 2021-22 में ₹ 347.45 करोड़ से 73.05 प्रतिशत घट कर 2022-23 में ₹ 93.63 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता सहकारिता क्षेत्र ₹ 74.59 करोड़ तत्पश्चात परिवहन क्षेत्र ₹ 17.76 करोड़ था। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में गत वर्ष की तुलना में कोई उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी नहीं हुई। तथापि, इस संबंध में ब्याज प्राप्तियाँ वर्ष 2021-22 में ₹ 359.22 करोड़ से, उल्लेखनीय रूप से ₹ 335.66 करोड़ (93.44 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 के दौरान ₹ 694.88 करोड़ हो गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों (मार्च 2023 तक) में पाँच क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.32 में वर्णित किया गया है। एक क्षेत्र (परिवहन) में, कोई भुगतान न होने के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 17.76 करोड़) दिया गया था, जबकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मामूली भुगतान के बावजूद अतिरिक्त ऋण (₹ 74.59 करोड़) दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकायों में बढ़ोत्तरी हुई।

<sup>9</sup> इसमें मु ले-6003-111 (एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ) से संबंधित ₹ 660.16 करोड़ की धनराशि शामिल है जिसे 2017-18 और 2018-19 के दौरान अनजाने में मु ले-2049 के तहत बुक/डेबिट किया गया था। 2022-23 के दौरान मु ले-0049-800 क्रेडिट करके इसे एक टीई के माध्यम से ठीक किया गया था।

तालिका-2.32: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,011.24	1,119.57	1,117.47	1,116.47	1,188.91
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	153.80	153.80	158.09	215.47	233.23
<b>योग</b>		<b>1,729.76</b>	<b>1,838.09</b>	<b>1,840.28</b>	<b>1,896.66</b>	<b>1,986.86</b>

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 787.90 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 103.26 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2018-19 में 1.38 प्रतिशत से 2022-23 में 0.70 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 17.30 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण (₹ 2,378.28 करोड़) का 0.73 प्रतिशत थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बकाया ऋणों का विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा को अनुरोध किया।

सरकार को इन क्षेत्रों के अन्तर्गत इन बकाया ऋणों और अग्रिम शेष राशि को चुकाने के लिए अधिक समग्र और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि वे बहुत लंबे समय से लंबित हैं।

#### (v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरुद्ध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2022-23 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक लोक निर्माण विभाग में 143 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2023 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.33 में दी गयी है।

तालिका-2.33: 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय स्थिति (प्रतिशत में)
2017-18 तक स्वीकृत	46	387.13	316.75	81.82
2018-19	7	22.05	10.43	47.27
2019-20	13	48.03	30.54	63.59
2020-21	18	103.49	72.55	70.10
2021-22	37	119.71	69.86	58.35
2022-23	13	79.23	50.05	63.17
स्वीकृति/प्रारम्भ तिथि ज्ञात नहीं	9	24.58	14.27	58.07
<b>योग</b>	<b>143</b>	<b>784.22</b>	<b>564.45</b>	<b>71.98</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

बिना किसी विलम्ब के इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि परियोजनाओं को जल्द पूरा कराये जाने हेतु प्रयत्न किए जाएँगे।

**(vi) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता**

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.34 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका-2.34: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	3	71.42	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	5	441.73	5	364.55
4.	पर्यटन	3	25.00	1	35.00
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
6.	कृषि	0	0	1	380.00
	<b>योग</b>	<b>17</b>	<b>622.55</b>	<b>12</b>	<b>960.81</b>

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)।

**2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ**

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर विशेष क्षेत्र में आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो निम्न राजकोषीय

प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) को दर्शाता है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.35 में 2018-19 को आधार वर्ष मानते हुए, 2022-23 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राथमिकता का उ पू एवं हिमालयी राज्यों से विकास व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.35: 2018-19 और 2022-23 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य/ कु व्य
2018-19 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	27.30	35.72	29.11	64.84	16.11	17.70	6.48
उत्तराखण्ड	16.74	34.49	25.47	59.96	16.04	19.13	5.44
2022-23 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	27.24	38.68	24.89	63.57	15.52	15.77	6.95
उत्तराखण्ड	17.20	38.74	21.80	60.55	15.74	18.66	7.67
कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय।							

स्रोत: एन एस ओ, एम ओ एस पी आई, आदि के डेटा पर आधारित एस एफ ए आर संकलन।

2022-23 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2018-19 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2018-19 की तुलना में 2022-23 में मामूली रूप से 0.46 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- 2018-19 की तुलना में 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 4.25 प्रतिशत अंक अधिक था।
- 2018-19 की तुलना में 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 3.67 प्रतिशत अंक कम था।
- 2022-23 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय (वि व्य) और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय 2018-19 की तुलना में क्रमशः 0.59 एवं 2.28 प्रतिशत अंक बढ़ा।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) और शिक्षा व्यय का अनुपात 2018-19 की तुलना में 2022-23 में मामूली रूप से क्रमशः 0.30 एवं 0.47 प्रतिशत अंक कम हुआ।

आगे, 2018-19 के साथ 2022-23 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन ने निम्नलिखित दर्शाया:


- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- दोनों वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- 2018-19 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय कम था। हालाँकि, 2022-23 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में यह थोड़ा अधिक (0.06 प्रतिशत अंक) अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2018-19 में कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था, हालाँकि, इसमें बहुत सुधार हुआ और यह 2022-23 में 0.72 प्रतिशत अंक अधिक था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि 2018-19 की तुलना में अधिकतर संकेतकों में सुधार है।

### वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.18 में दिया गया है।

चार्ट-2.18: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



स्रोत: वित्त लेखे।

## 2.8 लोक लेखा

कुछ लेन देनों जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

### 2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान घटक वार निवल बकाया शेषों को नीचे तालिका-2.36 में दिया गया है।

तालिका-2.36: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आई. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि		889.86	665.79	431.46	333.88	122.95
जे आरक्षित निधि	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	112.77	2,759.12	89.90	(-)467.57	58.04
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-) 1.23	149.48	150.00	210	113.59
	आरक्षित निधियों से निवेश	0	(-) 150.00	(-) 150.00	(-)210	(-)110
	<b>योग</b>	<b>111.54</b>	<b>2,758.60</b>	<b>89.90</b>	<b>(-) 467.57</b>	<b>61.63</b>
के जमा एवं अग्रिम	ब्याज सहित जमा	53.02	(-) 2.77	3.57	(-)7.36	(-)12.79
	ब्याज रहित जमा	(-) 64.08	504.35	378.43	(-)673.73	357.25
	अग्रिम	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>(-) 11.06</b>	<b>501.58</b>	<b>382.00</b>	<b>(-) 681.09</b>	<b>344.46</b>
एल उचंत एवं विविध	उचंत	102.82	(-) 124.82	(-)103.72	285.28	13.22
	अन्य लेखे	70.26	(-) 1,039.63	(-)490.83	-7.46	(-)285.41
	विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-)0.01	0.04	0	0	0
	विविध	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>173.07</b>	<b>(-) 1,164.41</b>	<b>(-) 594.55</b>	<b>277.82</b>	<b>(-)272.19</b>
एम प्रेषण	मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण	(-) 4.5	(-) 4.38	0	(-)0.04	(-)0.32
	अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	683.65	3.76	(-) 6.41	12.33	17.54
	<b>योग</b>	<b>679.15</b>	<b>(-) 0.62</b>	<b>(-) 6.41</b>	<b>12.29</b>	<b>17.22</b>
<b>महायोग</b>		<b>1,842.56</b>	<b>2,760.94</b>	<b>302.40</b>	<b>(-)524.67</b>	<b>274.07</b>


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

\*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।

2018-23 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.19 में दिया गया है।

चार्ट-2.19: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसाकि तालिका-2.36 में दर्शाया गया है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक घटक वार निवल-लोक लेखा शेषों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। निवल-लोक लेखा शेष 2021-22 में ₹ (-)524.67 करोड़ से ₹ 798.74 करोड़ बढ़कर 2022-23 में ₹ 274.07 करोड़ हो गया था। यह निवल जमा एवं अग्रिम (₹ 1,025.55 करोड़), निवल आरक्षित निधि (₹ 529.20 करोड़) और प्रेषण (₹ 4.93 करोड़) में वृद्धि के कारण था जिसे निवल लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 210.93 करोड़) उंचंत एवं विविध (₹ 550.01 करोड़) द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया।


### 2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार दस आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से तीन आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 2,933.92 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,890.72 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन दस निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और आठ निधियाँ (शेष ₹ 4,861.12 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,808.62 करोड़ (37.21 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.20 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.20: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: निष्क्रिय आरक्षित निधि में संचय डेबिट में है इसलिए इसे नकारात्मक में दिखाया गया है।

आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

### 2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.37 में दिया गया है।

तालिका-2.37: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2023 तक धनराशि (₹ करोड़ में)	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
<b>योग</b>		<b>36.48 (डेबिट)</b>		

### 2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 में हस्तांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते

को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण तालिका-2.38 तथा एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.39 में दिये गये हैं।

तालिका-2.38: एस डी आर एफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2022-23 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में हस्तांतरण	1,748.80
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-) 874.40
	<b>उप-योग</b>	<b>874.40</b>
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	50.66
	800-अन्य व्यय	4.71
	<b>उप-योग</b>	<b>55.37</b>
<b>महायोग</b>		<b>929.77</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.39: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2022)	केंद्र द्वारा योगदान	राज्यांश	योग	निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2023)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
2.27	787.20	87.20	874.40	874.40	2.27	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि आँकड़ों का मिलान किया जायेगा एवं एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रयत्न किए जाएँगे।

### 2.8.2.3 राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ) का गठन किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

(एस डी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन डी आर एफ) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आने वाली आपदा के संबंध में विशेष रूप से शमन परियोजनाओं हेतु यह कोष बनाया गया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक 05 मई 2008 के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन कोष बनाया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 98.40 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 21.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 120.20 करोड़ हस्तांतरित किए। हालांकि, राज्य ने ₹ 87.92 करोड़ (डेबिट शेष) की शेष धनराशि छोड़कर कोष से ₹ 208.12 करोड़ की धनराशि निकाल ली। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 187.40 करोड़ का केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ, समतुल्य राज्यांश को आज तक निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया।

#### 2.8.2.4 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से प्रतिभूति दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को बकाया लागू की गयी प्रतिभूति के कम से कम पांचवें हिस्से के बराबर धनराशि का योगदान करना आवश्यक है, साथ ही वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रतिभूति के परिणामस्वरूप लागू होने वाली प्रतिभूति की धनराशि का योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2022-23 के दौरान कोई प्रतिभूति नहीं माँगी गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में अपेक्षित योगदान ₹ 74.87<sup>10</sup> करोड़ के सापेक्ष ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का ही योगदान किया गया था। ₹ 64.87 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम दर्शाया गया। ₹ 23.45 करोड़ के प्राप्त होने वाले प्रतिभूति कमीशन शुल्क के सापेक्ष ₹ 4.57 करोड़ प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.88 करोड़ का कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा

<sup>10</sup> वर्ष के दौरान जारी की गयी वृद्धिशील प्रतिभूतियों के परिणामस्वरूप बकाया लागू की गई प्रतिभूतियों की धनराशि का पाँचवाँ हिस्सा

कराना होता है। जबकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 4.57 करोड़ में से ₹ 0.99 करोड़ राजस्व प्राप्त के रूप में दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि आंकड़ों का समाधान किया जायेगा। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रतिभूति मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 7.86 प्रतिशत थी। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण तालिका-2.40 में दिया गया है।

तालिका-2.40: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2022)	निधि में जमा (योगदान और ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई धनराशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2023)
	वांछित स्तर का योगदान	वास्तविक किया गया योगदान				
153.92 (95.00 मूलधन एवं 58.92 ब्याज)	74.87 (374.34*1/5)	22.83 (10.00 मूलधन एवं 12.83 ब्याज)	शून्य	176.75 (105.00+71.75)	176.75	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

### 2.8.2.5 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया<sup>11</sup> को लागू नहीं किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में ₹ 119.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 256.68 करोड़ (₹ 150.00 करोड़ ब्याज हेतु + ₹ 106.68 करोड़ उपभोक्ता शुल्क हेतु) की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि में जमा की गई। निधि से ₹ 229.72 करोड़ की राशि आहरित की गयी जिससे 31 मार्च 2023 को निधि में ₹ 3,019.57 करोड़ राशि शेष थी।

<sup>11</sup> यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा।

### 2.8.3 ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

राज्य सरकार श्रेणी जे-आरक्षित निधियाँ (अ- ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ) और के-जमा और अग्रिम (अ- ब्याज वाली जमा) के अन्तर्गत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में विशिष्ट उप-मुख्य लेखाशीर्ष प्रदान किए गये हैं।

तदनुसार, ₹ 122.68 करोड़ ब्याज देनदारियाँ थीं जो राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता थी जैसाकि तालिका-2.41 में दिया गया है।

तालिका-2.41: आरक्षित निधि और जमाओं में ब्याज की अनिर्वाहित देयता का विवरण (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2022-23 की शुरुआत में अवशेष	देय ब्याज	ब्याज भुगतान
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस डी आर एफ)	7.49 प्रतिशत (एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों अनुसार)	2.27	0.17	--
	(ब) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस सी ए एफ)	3.35 प्रतिशत (जैसाकि प व एवं ज प मंत्रालय द्वारा बताया गया है)	2,873.61	96.27	150.00*
के-जमा और अग्रिम	(स) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर)	5.49 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	370.33	20.33	74.33*
	एन पी एस के अन्तर्गत अहस्तांतरित धनराशि (8342-117)	ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित/ सामान्य भविष्य निधि को देय 7.10 प्रतिशत की दर से की गई है	83.21	5.91	20.00*
<b>कुल ब्याज</b>				<b>122.68</b>	<b>244.33</b>

स्रोत : वित्त लेखों 2022-23, उत्तराखण्ड सरकार का एन टी ए।

\* विगत अवधि के लिए भुगतान सम्मिलित है।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 122.68 करोड़ देय ब्याज के स्थान पर ₹ 244.33 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। ₹ 121.65 करोड़ के अधिक भुगतान से राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा उस स्तर तक प्रभावित हुआ।


## 2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबंधन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

### 2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2022-23 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 72,860 करोड़ था। 2018-19 से 2022-23 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.21 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.21: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹ 5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ और ₹ 3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।

### 2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.42 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.42: घटकवार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋण	58,039	65,982	71,435	71,374	72,860
लोक ऋण	46,233	50,250	54,799	55,553	56,510
(i) आंतरिक ऋण	45,443	49,437	53,302	53,759	53,559
(ii) भा स से ऋण	790	813	1,497	1,794	2,951
लोक लेखा देयताएँ	11,806	15,732	16,636	15,821	16,350
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	7,899	8,565	8,997	9,331	9,453
(ii) संरक्षित निधि	573	3,332	3,422	2,954	3,016
(iii) जमा	3,334	3,835	4,217	3,536	3,881
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर	11.98	13.69	8.26	(-) 0.09	2.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621
देयता/ स रा घ उ (प्रतिशत)	25.20	27.58	30.16	26.23	24.08

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
<b>ऋण और अन्य देनदारियाँ (वित्तीय लेखों के विवरण 6 के अनुसार)</b>					
कुल प्राप्तियाँ	22,225	22,194	23,327	16,326	18,188
कुल पुनर्भुगतान	16,017	14,251	15,558	13,053	16,703
कुल उपलब्ध पूँजी	6,208	7,943	7,769	3,273	1,485
पुनर्भुगतान/ प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	72.07	64.21	66.70	79.95	91.84

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित ₹ 5,649 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ और ₹ 3,333 करोड़) को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा।


राज्य सरकार की कुल देनदारियों में ₹ 14,821 करोड़ (25.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में ₹ 58,039 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 72,860 करोड़ हो गई हैं। हालांकि, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,486 करोड़ (2.08 प्रतिशत) बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में ₹ 200 करोड़ (-0.37 प्रतिशत) की कमी आई और भारत सरकार से ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,157 करोड़ (64.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2018-23 की अवधि के दौरान लोक लेखे पर देनदारियों में ₹ 4,544 करोड़ (38.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा देनदारियों के सभी घटकों में मामूली वृद्धि के कारण लोक लेखे पर देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 529 करोड़ (3.34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 2.9.3 2022-23 के अंत में बकाया समय देनदारियों का विवरण

2022-23 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 72,860 करोड़ था। आंतरिक ऋण, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 53,559 करोड़) है, कुल बकाया ऋण का 74 प्रतिशत है। चार्ट-2.22 में ऋण का घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है:

चार्ट-2.22: वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में बकाया देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)



टिप्पणी: बकाया कुल देयता में भा स से वर्ष 2021-22 तक जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

### 2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.43 तथा चार्ट-2.23 में दर्शाई गई हैं।


तालिका-2.43: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाज़ार उधारियाँ	भारत सरकार से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लघु बचतें/ भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम
2018-19	31,951.60	789.91	9,427.01	4,064.10	7,899.49	573.45	3,333.70
2019-20	36,451.59	812.87	8,645.99	4,339.10	8,565.28	3,332.06	3,835.28
2020-21	41,660.05	1,497.10	7,864.97	3,776.54	8,996.74	3,421.96	4,217.28
2021-22	43,460.04	1,794.32	6,753.88	3,545.25	9,330.62	2,954.39	3,536.19
2022-23	44,910.79	2,951.36	5,312.70	3,334.93	9,453.58	3,016.02	3,880.66

चार्ट-2.23: घटक-वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




टिप्पणी: बकाया कुल देयता में जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

### 2.9.5 लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2018-19 से 2022-23 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.24 में दी गई है।

चार्ट-2.24: लिये गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.44 में दिखाया गया है।

तालिका-2.44: राजकोषीय घाटा के घटक और उसके वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अ	राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)	(-) 7,320	(-) 7,657	(-) 5,439	(-) 3,736	(-) 2,949
1.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	(-) 980	(-) 2,136	(+)	(+) 4,128	(+) 5,310
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 6,184	(-) 5,414	(-) 6,538	(-) 7,534	(-) 8,183
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 156	(-) 107	(-) 14	(-) 330	(-) 76
ब	राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	(+) 5,217	(+) 4,017	(+)	(+) 4,088	(+) 956
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+) 5,289	(+) 4,500	(+)	(+) 1,800	(+) 1,450
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 61	(+) 23	(+)	(+) 3,630	(+) 1,157
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 411	(-) 781	(-) 781	(-) 1,111	(-) 1,441
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण <sup>12</sup>	(+) 278	(+) 275	(-) 563	(-) 231	(-) 210
2.	निवल लोक लेखे	(+) 1,843	(+) 2,761	(+) 302	(-) 525	(+) 274
अ.	निवल लघु बचत, भ नि आदि	(+) 890	(+) 666	(+) 431	(+) 334	(+) 123
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(-) 11	(+) 501	(+) 382	(-) 681	(+) 344
स.	निवल उचंत और विविध	(+) 173	(-) 1,164	(-) 595	(+) 278	(-) 272
द.	निवल प्रेषण	(+) 679	(-) 01	(-) 6	(+) 12	(+) 17
ड.	निवल आरक्षित निधि	(+) 112	(+) 2,759	(+) 90	(-) 468	(+) 62
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(+) 110	(+) 68	(-) 225	(+) 224	(+) 90
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(+) 150	(+) 811	(-) 1,503	(-) 51	(+) 1,629

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

<sup>12</sup> निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

2022-23 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से नकद शेष में वृद्धि (55.24 प्रतिशत), बाजार से लिए गए उधार (49.17 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से ऋण (39.23 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों (48.86 प्रतिशत) में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.25 में दिया गया है।

चार्ट-2.25: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण

राजकोषीय देयताएं (2022-23)		
नकद अवशेष में वृद्धि/कमी	1,629	78,509
आकस्मिता निधि	90	
आरक्षित निधि	62	
प्रेषण	17	
ऊंचत एवं विविध	-272	
जमा एवं अग्रिम	344	
लघु बचत, भ नि आदि	123	
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	-210	
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-1,441	
भारत सरकार से ऋण	1,157	
बाजार ऋण	1,450	77,024
राजकोषीय देयताएं (2021-22)		

### 2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.45 और चार्ट-2.26 में दी गयी है।


तालिका-2.45: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	धनराशि			लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2023-24 तक	0-1 वर्ष	3,248.00	68.63	3,316.63	5.87
2024-25 एवं 2025-26 के बीच	1-3 वर्ष	7,746.90	112.27	7,859.17	13.91
2026-27 एवं 2027-28 के बीच	3-5 वर्ष	12,956.57	110.52	13,067.09	23.12
2028-29 एवं 2029-30 के बीच	5-7 वर्ष	12,132.17	116.97	12,249.14	21.68
2030-31 से आगे	7 वर्ष से ऊपर	14,139.06	438.31	14,577.37	25.80
अन्य	उ न	3,335.73	2,104.63	5,440.36	9.63
<b>योग</b>		<b>53,558.43</b>	<b>2,951.33</b>	<b>56,509.76</b>	<b>100</b>

टिप्पणी: भारत सरकार से ऋण, वर्ष 2021-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ के अतिरिक्त है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

चार्ट-2.26: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




31 मार्च 2023 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 56,509.76 करोड़<sup>13</sup> में से, 64.58 प्रतिशत (₹ 36,492.04 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 25.80 प्रतिशत (₹ 14,577.37 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 9.63 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड, एन सी डी सी आदि) ₹ 3,335.73 करोड़ (5.37 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में भारत सरकार से ऋण ₹ 2,062.93 करोड़ (3.32 प्रतिशत) सम्मिलित है। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, केन्द्र सरकार की एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण (₹ 53,558.43 करोड़) कुल बकाया लोक ऋण का 94.78 प्रतिशत है। दस वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण तालिका 2.46 एवं चार्ट-2.27 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.46: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाजार ऋण)**	ब्याज	योग
2023-24	2,500	3,484.12	5,984.12
2024-25	2,400	3,256.22	5,656.22
2025-26	3,900	3,046.11	6,946.11
2026-27	5,450	2,721.57	8,171.57
2027-28	6,660	2,313.61	8,973.61
2028-29	6,300	1,798.72	8,098.72
2029-30	5,100	1,269.78	6,369.78
2030-31	6,200	901.81	7,101.81
2031-32	3,200	475.73	3,675.73
2032-33	3,200	247.25	3,447.25
<b>योग</b>	<b>44,910</b>	<b>19,514.92</b>	<b>64,424.92</b>

\*\*बाजार ऋण के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना सूचना यानि वित्त खाते में परिपक्वता प्रोफाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।

<sup>13</sup> इसमें जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।



नोट 31 :मार्च 2023 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2025-26 तक बाजार ऋणों का ₹ 8,800 करोड़ और ब्याज का ₹ 9,786 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2027-28 तक, मूलधन ₹ 12,110 करोड़ और ब्याज ₹ 5,035 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों के दौरान 2027-28 तक ₹ 7,146.20 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2028-29 से 2032-33 की अवधि के दौरान, ₹ 24,000 करोड़ के ऋण और ₹ 4,693.27 करोड़ का ब्याज भुगतान देय होगा। ऐसे ही 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 4,809.39 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वर्ष का ऋण पुनर्भुगतान ₹ 5,738.65 करोड़ है।

### 2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों: डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ आर बी एम लक्ष्यों के लिए मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन के आधार पर किया गया है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "ज्ञात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण सेवा हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण ब्याज दर और विकास में झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए यह एक रोलओवर संकट (यानी निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं

को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) है।

- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है।

ऋण के प्रति कमजोरी इसके प्रोफाईल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा रोलओवर (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि वह विस्फोट ना करे और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

(अ) ऋण स्थिरता को राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण की अदायगी करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका-2.47 और चार्ट-2.28 में दिया गया है।

तालिका-2.47: ऋण स्थिरता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया लोक ऋण	46,233	50,250	54,799**	55,553**	56,510**
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	12.72	8.69	9.05	1.38	1.72
स रा घ उ	2,30,314	2,39,247	2,36,860	2,72,159	3,02,621
स रा घ उ की वृद्धि दर	4.58	3.88	(-) 1.00	14.90	11.19
ऋण/ स रा घ उ अनुपात	20.07	21.00	23.14	20.41	18.67
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा-जिसमें चूक इतिहास, यदि कोई हो, शामिल है	1,464	1,099	1,601	2,237	2,594
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.78	7.81	7.65	7.60	7.50
बकाया लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	3,830	3,770	4,018	4,194	4,201
ब्याज भुगतान के बिना राजस्व घाटा/अधिशेष	2,850	1,634	5,132	8,322	9,511
राजस्व घाटा/अधिशेष पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	390.81	176.50	360.68	101.60	79.11
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	12.27	12.27	10.52	9.74	8.56
ऋण प्राप्ति में ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत <sup>#</sup>	28.27	34.66	29.85	45.30	81.00
राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण*	1,388	247	2,848	(-)106	(-) 3,244
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध ऋण	19.08	4.02	29.10	(-)1.42	(-) 64.42
प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+)	(-)2,845	(-)3,153	(-)666	1,203	2,155
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड \$+ प्राथमिक घाटा)	(-) 4,786.79	(-) 5,127.83	(-) 4,074.11	5,258.37	4,240.22

\* राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

\*\* इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के जी एस टी मुआवजे में कमी के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में संचित बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है। इस ऋण की ऋण सेवा जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा।

\$ क्वांटम स्प्रेड = (बकाया ऋण \* (स रा घ उ की वृद्धि दर - बकाया ऋण की औसत ब्याज दर)

# अर्थात् अग्रिम को छोड़कर



- लोक ऋण प्राप्तियों में लोक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक ऋण का अनुपात उत्पादन के बजाय ऋण सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। 2018-23 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात 28.27 प्रतिशत से 81.00 प्रतिशत के बीच था।

इसके अतिरिक्त, पांच साल की अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान, स रा घ उ 6.56 प्रतिशत के सी ए जी आर से बढ़ा है और बकाया लोक ऋण थोड़ी अधिक 6.62 प्रतिशत<sup>14</sup> की सी ए जी आर से बढ़ा है।

(ब) ई डी डोमर [डोमर, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल में कहा गया है कि लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर, स रा घ उ की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट शेष के आधार पर सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता निम्न प्रकार है:

जी - आर (जी: वास्तविक आर्थिक विकास दर, आर: वास्तविक ब्याज दर)	एस <0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए।	स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
जी-आर <0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जी स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल के लिए बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

उत्तराखण्ड के मामले में उपरोक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका-2.48 में दर्शित हैं।

तालिका-2.48: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण स्थिरता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	डोमर अंतराल (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में) (एस)	टिप्पणी
2018-19	2.83	4.65	(-) 1.82	(-) 2,845	जी-आर <0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर तक परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2019-20	1.97	0.90	1.07	(-) 3,155	जी-आर > 0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण

<sup>14</sup> ₹ 5,649 करोड़ के बी 2 बी ऋण को छोड़कर।

वर्ष	वास्तविक विकास (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	डोमर अंतराल (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में) (एस)	टिप्पणी
					शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए।
2020-21	(-) 12.02	1.25	(-) 13.27	(-) 666	जी-आर <0 और एस <0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर तक परिवर्तित किए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2021-22	10.87	0.94	9.93	1,203	जी-आर > 0 और एस > 0: स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
2022-23	7.87	0.77	7.10	2,155	

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

डोमर मॉडल के विश्लेषण में प्राथमिक घाटा या अधिशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक ऋण संचय, सरकारी वित्त और समग्र आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली राजकोषीय गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि:

- 2018-19 और 2020-21 में डोमर अंतर (जी-आर) नकारात्मक है, जो दर्शाता है कि वास्तविक विकास दर वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा नकारात्मक है। इस परिदृश्य में, स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण के स्थिर स्तर पर परिवर्तित हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ने की उम्मीद है।
- कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (जी-आर) नकारात्मक था। हालाँकि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान डोमर अंतर स रा घ उ की उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक हो गया। उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतराल भी पिछले वर्ष की तुलना में कम आधार के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।
- हालाँकि, 2021-22 और 2022-23 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 1,203 करोड़ और ₹ 2,155 करोड़ है। इससे पता चलता है कि स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर अभिसरण होना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।

(स) केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट (एफ सी आर) में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.48 (अ): एफ सी आर में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां

(स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय मापदंड		के वि आ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	ल	00	00	00	00	00
	उ	(-) 0.43	(-) 0.89	0.47	1.52	1.75
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	ल	(-) 3.25	(-) 3.25	(-) 4.5	(-) 4.00	(-) 3.5
	उ	(-) 3.18	(-) 3.20	(-) 2.30	(-) 1.37	(-) 0.97
कुल बकाया देयता का स रा घ उ से अनुपात	ल	22.56	22.52	33.20	33.10	33.90
	उ	25.20	27.58	30.16*	26.23*	24.08*

\* इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 तक संचित बैंक-टू-बैंक ऋण (वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 हेतु क्रमशः ₹ 3,333 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़) शामिल नहीं है।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व अधिशेष में सकारात्मक परिवर्तन के साथ राजस्व घाटे के अनुपात में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा-स रा घ उ और बकाया देयता-स रा घ उ अनुपात 2018-23 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर बना रहा।

इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय में कमी आई है, जो 2018-19 में 69 प्रतिशत से 2022-23 में 53 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह लगातार 2018-20 के दौरान लगभग 70 प्रतिशत और 2021-23 के दौरान 55 प्रतिशत रहा है, जिससे ऋण सेवा सहित अन्य उद्देश्यों के लिए राजस्व संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता दिखाई देती है।

### 2.9.8 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.49 एवं चार्ट-2.29 में नीचे दिखाई गई है।

तालिका-2.49: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	ला न	ला न
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	ला न	ला न
2020-21	9,787	2,921 (30)	6,538 (67)	38 (0.39)	ला न <sup>15</sup>
2021-22	7,473	3,385 (45)	4,088 (55)	ला न	ला न
2022-23	5,036	4,079 (81)	957 (19)	ला न	ला न

\*निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ। ला न - लागू नहीं।

<sup>15</sup> उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 में राजस्व अधिशेष था।

चार्ट-2.29: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



2018-23 की अवधि में, राज्य ने पहले के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए उधार का 28 से 81 प्रतिशत उपयोग किया और पूंजीगत व्यय के लिए कम जगह छोड़ी और शुद्ध पूंजीगत व्यय उपलब्ध ऋण का 19 प्रतिशत से 72 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, शुद्ध पूंजीगत व्यय पर खर्च 2018-19 में 72 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 19 प्रतिशत हो गया। वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों द्वारा राजस्व घाटा को कम करने एवं अनन्तितम रूप से समाप्त करने तथा समस्त ऋणों का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिये जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में जो कि वित्त आयोग अवधि का द्वितीय वर्ष है, राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5,310 करोड़ रहा। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 में कम उधार लिया।

## 2.10 प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट वैधानिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उन्हें सरकार के बजटीय समर्थन और सरकार के उधारों की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की प्रासंगिक देनदारियों का गठन करती हैं और उधारकर्ता जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है द्वारा चूक के मामले में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के अन्तर्गत प्रतिभूति प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 और 20 के अनुसार तालिका-2.50 एवं चार्ट-2.30 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर प्रतिभूति दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.50: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियाँ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि	893	854	717	374	117
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया प्रतिभूति। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	251	शून्य	402	418	386
वर्ष के दौरान हटायी गई	75	188	713	761	643

चार्ट-2.30: लंबित प्रतिभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2023 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 117 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 32 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 82 करोड़) तथा अन्य (₹ तीन करोड़) शामिल है। 31 मार्च 2023 को कुल लम्बित प्रतिभूतियां ₹ 117 करोड़ थीं जो कि वर्ष के स रा घ उ की 0.04 प्रतिशत है और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर थीं। चार्ट-2.31 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.31: 31 मार्च 2023 के अंत में प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति लागू नहीं की गई। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने ₹ 4.57 करोड़ प्रतिभूति कमीशन के रूप में प्राप्त किए। “उत्तराखण्ड प्रतिभूति पर सिलिंग अधिनियम 2016” की आवश्यकतानुसार प्रतिभूति कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए, राज्य सरकार ने प्रतिभूति कमीशन के रूप में ₹ 0.98 करोड़ की धनराशि प्रतिभूति मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त की।

## 2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2022 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 602 करोड़ थी और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम के 326 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था। वर्ष के दौरान एस डब्ल्यू एम ए तथा ओवरड्राफ्ट का उपयोग क्रमशः 36 दिन एवं तीन दिन के लिए किया गया था।

### 2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.51 में दिया गया है।

तालिका-2.51: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
<b>अ. सामान्य नकद बकाया</b>		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	112.47	(-)131.82
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>112.47</b>	<b>(-)131.82</b>

	01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	2,037.62	653.37
<b>योग (अ)</b>	<b>2,150.09</b>	<b>521.55</b>
<b>ब. अन्य नकद बकाया और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधि में निवेश	1,698.62	1,808.62
<b>योग (ब)</b>	<b>1,687.10</b>	<b>1,797.10</b>
<b>योग (अ + ब)</b>	<b>3,837.19</b>	<b>2,318.65</b>
<b>अर्जित ब्याज</b>	<b>34.23</b>	<b>44.17</b>

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2021-22 में ₹ 3,837.19 करोड़ से ₹ 1,518.54 करोड़ (39.57 प्रतिशत) घटकर 2022-23 में ₹ 2,318.65 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 1,384.25 करोड़) और रिजर्व बैंक के साथ जमा (₹ 244.29 करोड़) में कमी के कारण था, जो निर्धारित निधि में जमा राशि (₹ 110 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान ₹ 44.17 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

निर्धारित निधियों में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,808.62 करोड़ में से, ₹ 1,703.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 105 करोड़ प्रतिभूति मोचन निधि में वर्ष के अन्त में निवेशित थे। 2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को तालिका-2.52 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.52: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2018-19	385.49	247.48	(-) 138.01	10.49
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+) 1,931.57	32.01
2021-22	1,931.57	2,037.62	(+) 106.05	34.23
2022-23	2,037.62	653.37	(-)1384.25	44.17

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2018-19 से 2019-20 तक निवेश में उत्तरोत्तर कमी के उपरान्त 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष- नकद शेष निवेश खाते में ₹ 1,384 (67.93 प्रतिशत) की कमी के साथ ₹ 653.37 करोड़ की राशि शेष पड़ी थी।

राज्य सरकार नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लिया जिससे इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नकद शेष में वृद्धि हुई।

2018-19 से 2022-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नकद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.32 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.32: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.33 में वर्ष 2022-23 के दौरान माहवार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.33: 2022-23 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नकद शेष होने के बावजूद चार बार (अक्टूबर 2022 एवं जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2023) बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,200 करोड़ बाजार से उठाये।

## 2.12 निष्कर्ष

- 2022-23 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 6,026 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि, स्वयं का कर राजस्व (₹ 2,926 करोड़), स्वयं का करेत्तर राजस्व (₹ 1,611 करोड़), संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 711 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 778 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।
- 2018-23 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84 प्रतिशत (वर्ष 2018-23 के दौरान 83 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच) था। 2018-23 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 59 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ के 53 प्रतिशत से 71 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- अनम्य व्यय राजस्व व्यय का छः प्रतिशत से नौ प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2018-23 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ के पाँच प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 661 करोड़ (8.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों (₹ 10,471 करोड़) तथा बजट अनुमानों (₹ 10,840 करोड़) से क्रमशः ₹ 2,276 करोड़ ₹ 2,645 करोड़ कम था।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 17.30 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों (₹ 2,378.28 करोड़) का 0.73 प्रतिशत थी।
- 2022-23 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था। जबकि, 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 784.22 करोड़ की 143 अपूर्ण/ चालू परियोजनाएँ थीं। इन 143 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 317.87 करोड़) का अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से छः साल समयाधिक था जबकि 91 परियोजनाएँ

(अनुमानित लागत ₹ 323.49 करोड़) जो कि 2022-23 को पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्त, 20 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 76.52 करोड़) का पूर्ण होने का वर्ष ज्ञात नहीं था।

- ₹ 23.44 करोड़ प्राप्त होने वाली प्रतिभूति कमीशन शुल्क के सापेक्ष, ₹ 4.57 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 18.87 करोड़ की प्रतिभूति कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। प्राप्त हुई प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.99 करोड़ राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में 2.15 प्रतिशत की कमी हुई और यह 24.08 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) के 33.30 प्रतिशत लक्ष्य से कम था।

### 2.13 संस्तुतियाँ

- सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के निर्धारण में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेक्टर राजस्व में सुधार करना चाहिए;
- राज्य सरकार, अपने द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;
- राज्य सरकार विकास क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उ पू एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य सरकार प्रतिभूति कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे प्रतिभूति मोचन निधि में जमा कर सकती है।

**अध्याय-3**  
**बजटीय प्रबंधन**



## अध्याय-3

### बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

#### 3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चित्र में दी गई है।



### 3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में आधिदिष्ट है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरण और अनुदान की मांग में होने वाले व्यय के अनुमान को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधान है।

उत्तराखण्ड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है, तथापि आकलनो और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमानों को अंतिम रूप दे।
- राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों/विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और मांगों<sup>1</sup> को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।

<sup>1</sup> 2022-23 के अनुदान/विनियोजन के लिए 31 मांग हैं।

- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त मांग/विनियोग दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

उत्तराखण्ड सरकार का वित्त विभाग हर साल पत्र जारी कर बजट तैयार करने की रूपरेखा बताता है। वर्ष 2022-23 में बजट की तैयारी के लिए, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है:

- बजट अनुमानों की शुद्धता और उसकी जिम्मेदारी बजट मैनुअल के पैरा 16 (अध्याय 3) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। राज्य सरकार के खाते आम तौर पर नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं; इसलिए, व्यय की सभी मदों और आय के सभी स्रोतों और वास्तविक परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक पर सावधानीपूर्वक और गहन विचार के बाद अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।
- बजट मैनुअल के पैरा 17 (अध्याय 3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बजट अनुमान, एक नियम के रूप में, सकल आधार पर तैयार किया जाना चाहिए न कि शुद्ध आधार पर। प्रत्येक विभाग में प्राप्तियों और शुल्कों दोनों के मामले में सकल लेनदेन को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। प्राप्तियों का अनुमान प्राप्ति पक्ष पर और व्यय का व्यय पक्ष पर लगाया जाना चाहिए।
- विभागाध्यक्षों और अन्य आकलन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए अनुमान तैयार करना चाहिए और निर्धारित तिथियाँ तक महालेखाकार को एक प्रति के साथ प्रशासनिक विभागों को अनुमान भेजना चाहिए। महालेखाकार पिछली वास्तविक जानकारी प्रस्तुत करता है, अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करता है, और ऐसी सहायता प्रदान करता है जो वित्त विभाग द्वारा उचित रूप से मांगी जा सकती है।
- बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय 5) के अनुसार, आम तौर पर एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य है, वहां बजट अनुमानों की टिप्पणियों में प्रमुख कार्य शीर्ष और संबंधित अनुमानों का विवरण दिया जाना चाहिए।
- पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाते समय, ऋण और अग्रिम की वसूली एक प्रमुख विषय है। इसलिए, इन अनुमानों को तैयार करते समय, दिए गए ऋणों और अग्रिमों

की किस्तों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के लिए लंबित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनके अनुमान भी प्रदान किए जाने चाहिए।

- जहां तक संभव हो नए पदों का सृजन नहीं किया जाए चाहिए और यदि यह अपरिहार्य हैं तो नए पदों का सृजन अधिकतम एक प्रतिशत तक सीमित होना चाहिये।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

### 3.2.1 जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग सरकारी बजट के लिंग-आधारित परिणामों का पता लगाने के लिए बजट का विभाजन है और यह लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजटीय नीति में जेंडर बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन और प्रावधानित बजट में परिमाणीकरण पर्याप्तता का आकलन जेंडर बजटिंग के माध्यम से किया जाता है। बजट के अंतर्गत विभागीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत बजट निर्धारित करने वाली योजनाओं को श्रेणी-1 में रखा गया है और 30 प्रतिशत से अधिक वाली योजनाओं को श्रेणी-2 में रखा गया है।

2022-23 के दौरान श्रेणीवार जेंडर बजट आवंटन और व्यय नीचे तालिका-3.1 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.1: जेंडर बजटिंग

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	आवंटन	व्यय
श्रेणी-1	2,068.21	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी
श्रेणी-2	11,703.10	
योग	13,771.31	

स्रोत: जेंडर बजट।

### 3.2.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य साथ ही इसके अतिरिक्त मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य (2022-23)

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
56,810.48	14,201.44	46,779.83	13,813.07	(-) 10,030.65	(-)388.37

स्रोत: विनियोग लेखे।

### 3.2.3 भारित एवं मतदेय वितरण

2018-19 से 2022-23 तक कुल वितरण का भारित एवं मतदेय में विभाजन तालिका-3.3 में दिया गया है।

तालिका-3.3: 2018-19 से 2022-23 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72
2020-21	38,726.01	13,274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65
2022-23	46,779.83	13,813.07	(-)10,030.65	(-)388.37

स्रोत: विनियोग लेखे।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2018-19 से 2022-23 के दौरान मतदेय में निरंतर बचत और 2018-19 से 2020-21 के दौरान भारित मद में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, विगत दो वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान भारित मद में बचत हुई है।

### 3.2.4 बजट मानक चिन्ह

#### कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का आउटटर्न/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, जो कि अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के संदर्भ में हैं।

तालिका: 3.4: बजट अनुमानों के सापेक्ष कुल बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल बजट अनुमोदित	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	49,013.31	43,772.73	(-) 5,240.58
पूजीगत	16,558.18	16,820.17	(+) 261.99
<b>योग</b>	<b>65,571.49</b>	<b>60,592.90</b>	<b>(-) 4,978.59</b>

\*मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 10.69 प्रतिशत था। यह 26 अनुदानों में 0 और  $\pm 25$  प्रतिशत के बीच, पांच अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूजीगत खंड में, बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+) 1.58 प्रतिशत था। यह 14 अनुदानों में 0 और  $\pm 25$  प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। हालाँकि, पूजीगत खंड के एक अनुदान (अनुदान संख्या 2) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

#### व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना के भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका: 3.5: बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मुकाबले व्यय संरचना आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न	बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर	वास्तविक और पुनरीक्षित अनुमान के मध्य अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	49,013.31	49,594.24	43,772.73	580.93	(-) 5821.51
पूजीगत	16,558.18	18,159.41	16,820.17	1601.23	(-) 1,339.24
<b>योग</b>	<b>65,571.49</b>	<b>67,753.65</b>	<b>60,592.90</b>	<b>2,182.16</b>	<b>(-) 7,160.75</b>

\*मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की अधिकता को (+) के रूप में दर्शाया जाता है और मूल प्रावधान की तुलना में वास्तविक परिणाम की कमी को (-) के रूप में दर्शाया जाता है।

राजस्व खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 11.74 प्रतिशत था। यह विचलन 25 अनुदानों में 0 और  $\pm 25$  प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच था।

पूंजीगत खंड में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 7.37 प्रतिशत था। यह विचलन 19 अनुदानों में 0 और  $\pm 25$  प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में  $\pm 25$  प्रतिशत से  $\pm 50$  प्रतिशत के बीच, तीन अनुदानों में  $\pm 50$  प्रतिशत से  $\pm 100$  प्रतिशत के बीच और 100 प्रतिशत के बराबर एवं अधिक विचलन दो अनुदानों में था। हालाँकि, एक अनुदान (अनुदान संख्या 2) के संबंध में पूंजीगत अनुभाग में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

### 3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

#### 3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

##### 3.3.1.1 विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं करना चाहिए। राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम द्वारा पुनर्विनियोग, पूरक अनुदान अथवा विनियोग के

माध्यम से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर नई योजना पर व्यय हेतु निधियों का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि 2022-23 के दौरान ऐसी कोई योजना नहीं थी जिस पर बजट प्रावधानों के बिना व्यय किया गया हो।

### 3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण नामक “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मदों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि **अध्याय-2** में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखे के व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करता है। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	27, 2406	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	14.71	वृहद कार्यों एवं भूमि क्रय पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
2.	12, 2210		0.52	
<b>उप-योग</b>			<b>15.23</b>	

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 15.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण एवं भूमि क्रय के कार्यों से संबन्धित है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

### 3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता।
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं।
- प्रावधानों का न लिया जाना।

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करना होगा। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था का उत्पादन करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए उचित औचित्य है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास किया जा सकता था और प्रावधान नहीं किया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान कुल विनियोग ₹ 71,011.92 करोड़ के विरुद्ध ₹ 10,419.02 करोड़ (14.67 प्रतिशत) की बचत हुई।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.7 में दिखाया गया है:

तालिका-3.7: ऐसे प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक)  
अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1.	03- मंत्रिपरिषद्	48.80	10.50	38.15	21.15
2.	04-न्यायिक प्रशासन	267.64	32.71	254.01	46.34
3.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,080.92	112.07	1737.57	455.42
4.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	10,874.35	336.42	10,378.74	832.03
5.	10- पुलिस एवं जेल	2,377.05	24.41	2,186.01	215.45
6.	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	10,014.99	82.18	9,103.26	993.91
7.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,609.09	422.84	3,488.09	543.84
8.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	891.56	91.49	888.09	94.96
9.	14-सूचना	127.09	51.70	167.26	11.53
10.	15-कल्याण योजनाएं	2,669.31	316.55	2,285.00	700.86
11.	16-श्रम एवं रोजगार	536.55	24.64	346.05	215.14
12.	17- कृषि कार्य एवं शोध	1,155.30	38.63	959.41	234.52
13.	19-ग्रामीण विकास	1161.44	250.34	1156.36	255.42
14.	22- लोक निर्माण	993.06	56.37	902.35	147.08
15.	23-उद्योग	360.61	30.00	325.25	65.36
16.	24-परिवहन	147.19	25.70	154.10	18.79
17.	25-खादय	210.33	52.97	181.44	81.86
18.	29- औद्योगिक विकास	499.38	37.36	395.12	141.62
19.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,702.85	36.08	1104.34	634.59
20.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	437.24	29.17	271.95	194.46
<b>योग</b>		<b>40,164.75</b>	<b>2,062.13</b>	<b>36,322.55</b>	<b>5,904.33</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं	6,271.34	200.00	5,217.68	1,253.66
<b>योग</b>		<b>6,271.34</b>	<b>200.00</b>	<b>5,217.68</b>	<b>1,253.66</b>
<b>पूजीगत (दत्तमत)</b>					
1	04-न्यायिक प्रशासन	103.10	55.56	96.04	62.62
2	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	234.20	40.15
3	11-शिक्षा, खेलकूद युवा कल्याण तथा संस्कृति	478.93	43.57	414.91	107.59
4	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	385.07	10.00	298.37	96.70

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
5	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1219.29	294.67	1035.65	478.31
6	17- कृषि कार्य एवं शोध	50.90	18.30	44.42	24.78
7	19-ग्रामीण विकास	2,537.69	350.00	1,851.71	1,035.98
8	22- लोक निर्माण	1,345.80	220.00	1,235.14	330.66
9	23-उद्योग	87.46	72.10	120.40	39.16
10	28- पशुपालन	45.25	20.00	26.55	38.70
11	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	319.81	36.17	233.58	122.40
12	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.59	13.18	107.08	45.69
<b>योग</b>		<b>6,868.69</b>	<b>1,093.44</b>	<b>5,332.01</b>	<b>2,630.12</b>
<b>महा योग</b>		<b>53,304.78</b>	<b>3,355.57</b>	<b>46,872.24</b>	<b>9,788.11</b>



बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि अनुपूरक प्रावधान उस समय की प्रशासनिक जरूरतों और योजनाओं की लिए विधायी प्रक्रिया के अनुसार किए गए हैं। इसके अलावा, व्यय पहलू की निगरानी की जाएगी।

उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए, जिनका विस्तृत विवरण नीचे तालिका-3.7(अ) में हैं:

तालिका-3.7(अ): उन मामलों का विवरण जहां योजना स्तर पर अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
03	मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान	30.00	10.00	0.00	40.00	28.85	11.15
04	न्यायिक कार्यो के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास	80.00	50.00	0.00	130.00	80.00	50.00

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान संख्या	योजना का नाम	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
06	तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (विश्व बैंक परियोजना ए एफ)	210.00	10.00	0.00	220.00	187.00	33.00
07	राज्य विकास ऋणों का समेकित ऋण निधि में स्थानांतरण	200.00	200.00	0.00	400.00	100.00	300.00
12	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	141.87	60.00	0.00	201.87	133.54	68.33
12	मेडिकल कॉलेज एलोपैथी	413.18	19.71	0.00	432.89	366.11	66.78
15	एकीकृत बाल विकास योजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय	160.28	24.44	0.00	184.72	151.46	33.26
15	नंदा गौरा योजना	500.00	130.73	0.00	630.73	334.96	295.77
22	केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से किया गया कार्य	340.00	70.00	0.00	410.00	334.34	75.66
29	बागवानी विकास	264.92	36.82	1.28	303.02	257.46	45.56
31	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास परियोजना (90% सी एस) सक्षम आंगनवाड़ी सेवा और पोषण 2.0	13.48	11.55	- 0.19	24.84	9.37	15.48
<b>योग</b>		<b>2,353.73</b>	<b>623.25</b>	<b>1.09</b>	<b>2,978.07</b>	<b>1,983.09</b>	<b>994.99</b>

स्रोत: बजट दस्तावेज़ और विनियोग लेखे।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान इन योजनाओं में कुल विनियोग ₹ 2,978.07 करोड़ के विरुद्ध ₹ 994.99 करोड़ (33.41 प्रतिशत) की बचत हुई। इसलिए, ₹ 2,353.73 करोड़ के मूल विनियोजन के मुकाबले ₹ 370.64 करोड़ की बचत हुई, ₹ 623.25 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 994.99 करोड़ की बचत ₹ 623.25 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

### 3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण है। वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

#### 3.4.1 अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग

छह प्रकरण जहां पुनर्विनियोग पांच करोड़ और उससे अधिक था और अंतिम बचत ₹ पांच करोड़ या पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, जैसा कि तालिका-3.8 में दर्शाया गई है:

तालिका-3.8: अधिक/अनावश्यक विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 08-राज्य आपदा शमन निधि 797-आरक्षित निधि में अंतरण 03- राज्य आपदा शमन निधि से व्यय	291.47	0.00	135.25	426.72	208.12	218.60
2	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएं 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र प्रायोजित योजना	1200.00	0.00	163.49	1363.49	1072.85	290.64
3	15-कल्याण योजनाएं 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 95 केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्यांश	50.83	37.97	6.44	95.24	25.61	69.63
4	19-ग्रामीण विकास 2505 ग्रामीण रोजगार 02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 01 केन्द्र प्रायोजित योजना	170.00	137.64	29.08	336.72	316.75	19.97

क्र.स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
5	19-ग्रामीण विकास 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय 102-सामुदायिक विकास 05- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अधिक व्यय का भुगतान	20.00	0.00	80.00	100.00	4.61	95.39
6	29-बागवानी विकास 2401 - फसल कृषि कर्म 119- बागवानी और सब्जी की फसलें 98 नाबाई वित्त पोषित	13.80	0.00	9.73	23.53	12.36	11.17

श्रोत: विनियोग लेखे।

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने अनुदान के अन्दर ₹ 3,033.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 90.88 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2023) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन 6 प्रकरणों में (₹ पाँच करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ 2.00 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग का एक मामला देखा गया था, जो उत्तराखण्ड सरकार के बजट मैनुअल के अनुसार अनुमन्य नहीं था। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत का कोई पुनर्विनियोजन का मामला प्रकाश में नहीं आया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि भारत सरकार से बजट प्राप्त होने की संभावना आदि जैसी परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विनियोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। राजस्व दत्तमत से राजस्व भारित के पुनर्विनियोग के संबंध में सरकार ने कहा कि भविष्य में इस तरह कि चूक की पुनरावित्त से बचा जाएगा।

### 3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रूप से समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये।

जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.9 में दिया गया है

तालिका-3.9: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
<b>राजस्व (मतदेय)</b>								
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,080.92	112.07	2,192.99	1,737.57	455.42	20.77	455.42
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	10,874.35	336.42	11,210.77	10,378.74	832.03	7.42	832.03
3	10 पुलिस व जेल	2,377.05	24.41	2,401.46	2,186.01	215.45	8.97	215.45
4	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	10,014.99	82.18	10,097.17	9,103.26	993.91	9.84	993.91
5	12 चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,609.09	422.84	4,031.93	3,488.09	543.84	13.49	543.84
6	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	891.56	91.49	983.05	888.09	94.96	9.66	94.96
7	15 कल्याण योजनाएं	2,669.31	316.55	2,985.86	2,285.00	700.86	23.47	700.86
8	16-श्रम एवं रोजगार	536.55	24.64	561.19	346.05	215.14	38.34	215.14

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,155.30	38.63	1,193.93	959.41	234.52	19.64	234.52
10	19 ग्रामीण विकास	1161.44	250.34	1,411.78	1156.36	255.42	18.09	255.42
11	22 लोक निर्माण	993.06	56.37	1,049.43	902.35	147.08	14.02	147.08
12	29- बागवानी विकास	499.38	37.36	536.74	395.12	141.62	26.39	141.62
13	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	1,702.85	36.08	1,738.93	1104.34	634.59	36.49	634.59
14	31 अनुसूचित जनजतियों का कल्याण	437.24	29.17	466.41	271.95	194.46	41.69	194.46
<b>योग</b>		<b>39,003.09</b>	<b>1,858.55</b>	<b>40,861.64</b>	<b>35,202.34</b>	<b>5,659.30</b>	<b>13.85</b>	<b>5,659.30</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>								
1.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	6,271.34	200.00	6,471.34	5,217.68	1,253.66	19.37	1,253.66
<b>योग</b>		<b>6,271.34</b>	<b>200.00</b>	<b>6,471.34</b>	<b>5,217.68</b>	<b>1,253.66</b>	<b>19.37</b>	<b>1,253.66</b>
<b>पूँजीगत (मतदेय)</b>								
1	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	274.35	234.20	40.15	14.63	40.15
2	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	478.93	43.57	522.50	414.91	107.59	20.59	107.59
3	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,219.29	294.67	1513.96	1,035.66	478.30	31.59	478.30
4	19 ग्रामीण विकास	2537.70	350.00	2887.70	1851.72	1035.98	35.88	1,035.98
5	22 लोक निर्माण	1345.80	220.00	1565.80	1235.14	330.66	21.12	330.66
6	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	319.81	36.17	355.98	233.58	122.40	34.38	122.40
<b>योग</b>		<b>6,160.43</b>	<b>959.86</b>	<b>7,120.29</b>	<b>5,005.21</b>	<b>2,115.08</b>	<b>29.70</b>	<b>2,115.08</b>
<b>महा योग</b>		<b>51,434.86</b>	<b>3,018.41</b>	<b>54,453.27</b>	<b>45,425.23</b>	<b>9,028.04</b>	<b>16.58</b>	<b>9,028.04</b>

श्रोत: विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 14 अनुदानों के अंतर्गत 21 प्रकरणों में ₹ 3,018.41 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष पहले से ₹ 6,009.63 करोड़ (11.68 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने इन अनुदानों के अंतर्गत किसी भी राशि का समर्पण नहीं किया। बचत के कारण राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गए।

### 3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2022-23 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2022-23 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या व नाम	2018-19 (प्रतिशत)	2019-20 (प्रतिशत)	2020-21 (प्रतिशत)	2021-22 (प्रतिशत)	2022-23 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2022-23 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का बजट (₹ करोड़ में)
1	01 विधायिका (पूँजीगत मतदेय)	99.84	76.93	17.29	15.00	8.33	3	12.00	82.70
2	08 आबकारी (पूँजीगत मतदेय)	कोई बजट आवंटित नहीं हैं, इसलिए उपयोग नहीं हैं				0	1	2.00	2.00
3	09 लोक सेवा आयोग (पूँजीगत मतदेय)	100	100	17.42	0	20.30	2	7.00	16.28
4	15 कल्याण योजनाये (पूँजीगत मतदेय)	47.17	64.14	47.87	31.33	46.03	4	134.89	584.12
5	20 सिचाई एवं बाड़ (पूँजीगत मतदेय)	78.16	52.23	36.00	31.28	46.71	3	759.87	3,400.66
6	20 सिचाई एवं बाड़ (राजस्व भारित)	कोई बजट आवंटित नहीं हैं, इसलिए उपयोग नहीं हैं				13.87	1	3.00	3.00
7	21 ऊर्जा (पूँजीगत मतदेय)	76.95	39.60	48.32	139.39	29.35	3	451.44	1,751.16
8	28 पशुपालन (पूँजीगत मतदेय)	32.88	35.15	29.32	26.71	40.69	5	65.25	189.60
9	29 बागवानी विकास (पूँजीगत मतदेय)	31.55	74.04	119.26	76.12	43.28	2	36.10	96.89

जैसा कि उपरोक्त तालिका-3.10 में वर्णित है, आठ अनुदान में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि एक विभाग अर्थात् कल्याण योजनाये विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और पशुपालन विभाग पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं था।

### 3.5.2 ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.11 में दिया गया है।

तालिका-3.11: 31 मार्च तक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि
शून्य							

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई धनराशि समर्पित नहीं की।

### 3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण




जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 22 अनुदानों/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 5 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 प्रतिशत के मध्य, एक अनुदानों/ विनियोगों में उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम तथा तीन अनुदानों/ विनियोगों, अर्थात् 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ, 10-पुलिस एवं कारागार और 14-सूचना में उपयोग बजट आवंटन के 90 प्रतिशत से ऊपर था।

### 3.5.4 वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:-

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 10,419 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान समर्पण के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं की और न ही किसी विभाग द्वारा कोई धनराशि समर्पित की गई।

### 3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और पूरक) और इसका उपयोग नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2018-19 से 2022-23 में बजट उपयोग



### 3.6 अधिक व्यय और उसका नियमतीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धन उस वर्ष के लिए उस सेवा पर आधिक्य में व्यय किया जाता है, राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है

कि राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हैं कि वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में आधिक्य का नियमतीकरण करें।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमतीकरण लोक लेखा समिति के विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधान सभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

### 3.6.1 2022-23 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन हैं बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिससे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय का सार तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: 2022-23 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों से अधिक वितरण का सार

(₹ करोड़ में)

	विभाग/अनुदान का नाम
	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध
पूँजीगत भारित	896.53
<b>कुल आधिक्य</b>	<b>896.53</b>

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

### 3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि अनुदान के लिए मांग का किया जाता है। 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण तालिका-3.13 में दिया गया है।

तालिका-3.13: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	07	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	3.50	(-)0.23	3.27	4.06	0.79	

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
2.	07	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	7497.03	0.00	7497.03	8412.58	915.55	विभाग द्वारा कारण उपलब्ध नहीं कराया गया
3.	07	7615	विविध ऋण	7578.24	0.00	7578.24	8474.77	896.53	
4.	24	7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण	22.47	(-)16.47	6.00	17.76	11.76	
<b>योग</b>								<b>1824.63</b>	

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

### 3.6.3 कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार एक अनुदान में आधिक्य प्रदर्शित हुआ जिसे नीचे तालिका-3.14 में दिया गया है:

तालिका-3.14: 2018-19 से 2022-23 तक के दौरान एक अनुदान में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
01	अनुदान संख्या.-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध (पूँजीगत भारित)					
	कुल अनुदान	3,182.00	2,876.31	3,503.31	अधिकता नहीं हैं	7,578.24
	व्यय	10,230.14	9,096.03	8,269.59		8,474.77
	कुल आधिक्य	7,048.14	6,219.72	4,766.28		896.53
	डब्लू एम ए के अंतर्गत आधिक्य	7,072.64	5,865.36	4,561.42		1,195.47

स्रोत: विनियोग लेखें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, अनुदान संख्या 07 वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध में 2018-19 से 2020-21 और 2022-23 की अवधि में लगातार अधिकता देखी गयी थी। यह देखा गया कि यह लगातार व्यय की अधिकता इन वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों में अधिकता के बड़े हिस्से के कारण हुई। सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया है।

### 3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग खाते के माध्यम से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या भारित विनियोग के तहत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005-06 से 2021-22 तक विगत वर्षों के ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष है। ₹ 47,758.16 करोड़ में से, ₹ 27,722.40 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है और ₹ 19,041.88 करोड़ अनुदान संख्या 17,25 और 29 के अंतर्गत आधिक्य से संबंधित है। अनुदान संख्या 7 (वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ) के अंतर्गत अर्थोपाय अग्रिम में अतिरिक्त व्यय, बजट अनुमान से अधिक अर्थोपाय अग्रिम के तहत ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण था। इसके अलावा, अनुदान संख्या 17 (कृषि कार्य और अनुसंधान), अनुदान संख्या 25 (खाद्य) और अनुदान संख्या 29 (बागवानी विकास) के तहत परिलक्षित अतिरिक्त व्यय इस तथ्य के कारण था कि बजट अनुमान वसूली के बाद तैयार किए गए थे। (बजट अनुमान सकल आधार के बजाय शुद्ध आधार पर तैयार किए गए थे)

विनियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण तालिका-3.15, तालिका 3.15(अ) और तालिका 3.15(ब) में दिया गया है।

तालिका-3.15: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	3	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	6	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
2021-22	--	---	0.00	
<b>योग</b>			<b>47,758.16</b>	

स्रोत: विनियोग लेखें

तालिका-3.15 (अ): अनुदान संख्या 17, 25 एवं 29 के अंतर्गत नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	3	17, 25 एवं 29	492.66	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	2	17, एवं 25	408.31	
2007-08	3	17, 25 एवं 29	386.78	
2008-09	3	17, 25 एवं 29	580.44	
2009-10	3	17, 25 एवं 29	931.04	
2010-11	3	17, 25 एवं 29	1,240.96	
2011-12	3	17, 25 एवं 29	1,306.09	
2012-13	3	17, 25 एवं 29	1,828.36	
2013-14	2	25 एवं 29	1,780.56	
2014-15	3	17, 25 एवं 29	1,763.02	
2015-16	3	17, 25 एवं 29	2,218.20	
2016-17	3	17, 25 एवं 29	2,270.88	
2017-18	2	17, एवं 25	1,326.11	
2018-19	1	25	1,414.04	
2019-20	2	17, एवं 25	994.76	
2020-21	3	17,25 एवं 29	99.67	
<b>योग</b>			<b>19,041.88</b>	

तालिका-3.15 (ब): डब्लू एम ए में नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	07	376.14	अभी तक नियमित नहीं
2007-08	07	311.94	
2008-09	07	475.86	
2009-10	07	199.81	
2010-11	07	5.87	
2011-12	07	431.17	
2016-17	07	3,291.28	
2017-18	07	5,130.91	
2018-19	07	7,072.64	
2019-20	07	5,865.36	
2020-21	07	4,561.42	
	<b>योग</b>	<b>27,722.40</b>	

स्रोत: विनियोग लेखें।

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने कहा कि आधिक्य पूरी तरह से लेखांकन प्रकृति का था। डब्लू एम ए के तहत बजटीय आवंटन न्यूनतम रखा जाता है ताकि बजट में वृद्धि न हो।

सरकार के लिए दीर्घकालिक योजना और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह राजकोषीय प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से व्यय आधिक्य को संबोधित करना आवश्यक है।

### 3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी के वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत

एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	47.00	46.00	80.00	26.00	0.00
कुल पूंजीगत व्यय	6,184.00	5,414.00	6,538.00	7,533.00	8,195.00
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश (प्रतिशत में)	0.76	0.86	1.22	0.35	0.00
सहायता अनुदान से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने के फलस्वरूप राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 1,027	(-) 2, 182	(+)1,034	(+)4,102	(+)5,310

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश का विवरण

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया। हालाँकि, 2022-23 के दौरान किसी भी सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

### बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी: एकमुश्त बजट प्रावधान

बजट मैनुअल के पैरा 31 (अध्याय-5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि, एक नियम के रूप में, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए एकमुश्त अनुदान, जिला योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त राशि जैसी योजनाओं के लिए 2022-23 के दौरान ₹ 789.18 करोड़ का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया।

इसके अलावा, सरकार ने 24 वस्तु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद वस्तु शीर्ष "अन्य विभागीय व्यय" के तहत ₹ 3,861.44 करोड़ का व्यय किया

### 3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के प्रतिस्पर्धा विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.17 में दी गई है।

तालिका-3.17: 2022-23 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	42,594.08	2,072.46	44,666.54	38,434.43	(-)6,232.11	0.00	0.00
	II. पूंजीगत	10,840.27	1,154.00	11,994.27	8,251.77	(-)3,742.50		
	III. ऋण एवं अग्रिम	149.67	0.00	149.67	93.63	56.04		
	<b>कुल</b>	<b>53,584.02</b>	<b>3,226.46</b>	<b>56,810.48</b>	<b>46,779.83</b>	<b>(-)10,030.65</b>		
भारित	IV. राजस्व	6,419.23	203.97	6,623.20	5,338.30	(-)1,284.90	0.00	0.00
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	5,568.24	2,010.00	7,578.24	8,474.77	(+)896.53		
	<b>कुल</b>	<b>11,987.47</b>	<b>2213.97</b>	<b>14,201.44</b>	<b>13,813.07</b>	<b>388.37</b>		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
<b>महायोग</b>		<b>65,571.49</b>	<b>5,440.43</b>	<b>71,011.92</b>	<b>60,592.90</b>	<b>10,419.02</b>		

स्रोत: विनियोग लेखें।

जैसा कि उपरोक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 10,419.02, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 11,315.55 करोड़ की बचत का और ₹ 896.53 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के दौरान कोई समर्पण नहीं किया गया।

2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है।

तालिका-3.18: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	45,585.09	48,663.90	53,526.97	57,937.83	65,571.49
अनुपूरक बजट	2,452.40	2,533.90	4,063.79	7,074.57	5,440.43
कुल बजट	48,037.49	51,197.80	57,590.76	65,012.40	71,011.92
पुनरीक्षित आकलन	43,460.93	45,081.50	51,343.15	53,130.62	67,753.65
वास्तविक व्यय	49,395.84	47,973.19	52,000.11	50,694.35	60,592.90
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(+)1,358.35	(-)3,224.61	(-)5,590.65	(-)14318.05	(-)10,419.02
मूल प्रविधान में अनुपूरक की प्रतिशतता	5.38	5.21	7.59	12.21	8.30
मूल प्रविधान में सम्पूर्ण बचत / आधिक्य की प्रतिशतता	लागू नहीं	6.30	9.71	22.02	14.67
कुल बजट - पुनरीक्षित आकलन	4,576.56	6,116.30	6,247.61	11,881.78	3,258.27
पुनरीक्षित आकलन - वास्तविक व्यय	(+)5,934.91	(+)2,891.69	(+)656.96	(-)2,436.27	(-)7,160.75
कुल बजट से (कुल बजट-पुनरीक्षित आकलन) का प्रतिशतता	9.53	11.95	10.85	18.28	4.59
कुल बजट से (वास्तविक व्यय - पुनरीक्षित आकलन) का प्रतिशतता	(+) 12.35	(+) 5.65	(+)1.14	(-)3.75	(-)10.08

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखें।

तालिका-3.18 में प्रदर्शित है कि 2022-23 के दौरान ₹ 5,440.43 करोड़ का पूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 8.30 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष में यह 12.21 प्रतिशत था।

चार्ट-3.6: बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक रुझानों का विवरण




उपरोक्त तालिका संख्या 3.18 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक के वर्षों में, पुनरीक्षित अनुमान हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था। पुनरीक्षित अनुमान और कुल बजट के बीच अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें पहले चार वर्षों के दौरान, अंतर 9.53 प्रतिशत से 18.28 प्रतिशत की सीमा में था। हालाँकि, चालू वर्ष 2022-23 के दौरान यह तेजी से घटकर 4.59 प्रतिशत हो गया, जो बड़ी/छोटी अनुमान त्रुटि को दर्शाता है।

प्रतिशत के संदर्भ में, पुनरीक्षित अनुमान 2018-19 में कुल बजट से 9.53 प्रतिशत कम था जो कि 2021-22 में बढ़कर 18.28 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, यह 2022-23 में घटकर 4.59 प्रतिशत रह गई। इसके अलावा, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत भी पुनरीक्षित अनुमान से अधिक था और 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान यह 1.14 प्रतिशत से 12.35 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः 3.75 प्रतिशत और 10.08 प्रतिशत कम था। ऐसे में वर्ष 2018-19 में अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से अधिक था। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे, और पिछले चार वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.7 में दिया गया है:

चार्ट-3.7: विनियोग लेखे में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1,124 विस्तृत शीर्षों के तहत व्यय निर्धारित किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,124 विस्तृत शीर्षों में से 765 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। 765 विस्तृत शीर्षों में से केवल 32 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था हालांकि, 733 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण की और आवश्यकता थी। आगे, 1,124 विस्तृत शीर्षों में से 359 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 प्रतिशत से कम थी।

### 3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी जगह कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.19 में दिया गया है।

तालिका-3.19: पूंजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
<b>पूंजीगत (मतदेय)</b>						
1	04- न्यायिक प्रशासन	103.10	55.56	158.66	96.04	62.62
2	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	258.90	15.45	274.35	234.20	40.15
3	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	478.93	43.57	522.50	414.91	107.59
4	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	385.07	10.00	395.07	298.37	96.70
5	13 जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1219.29	294.67	1513.96	1035.66	478.30
6	17 कृषि कार्य व शोध	50.90	18.30	69.20	44.42	24.78
7	18- सहकारिता	82.00	5.00	87.00	73.00	14.00
8	19 ग्रामीण विकास	2537.69	350.00	2887.69	1851.71	1035.98
9	22 लोक निर्माण	1345.80	220.00	1565.80	1235.14	330.66
10	23 उद्योग	87.46	72.10	159.56	120.40	39.16
11	28 पशुपालन	45.25	20.00	65.25	26.55	38.70
12	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	319.81	36.17	355.98	233.58	122.40
13	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.59	13.18	152.77	107.08	45.69
	<b>कुल</b>	<b>6,950.69</b>	<b>1,098.44</b>	<b>8,049.13</b>	<b>5,675.02</b>	<b>2,374.11</b>

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी खंड के अंतर्गत ₹ 2,374.11 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था।

### 3.10 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 3,033.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। हालाँकि, 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ दो करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन का एक प्रकरण देखा गया था। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी से राजस्व में पुनर्विनियोजन और इसके विपरीत का कोई मामला सामने नहीं आया। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण नहीं बनाया गया।

### 3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनकी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों की मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक मंजूरी के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से निष्पादित किया जाता है। यह लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित करता है।

यह देखा गया है कि नौ योजनाओं (प्रत्येक योजना में ₹ 10 करोड़ या अधिक) के तहत ₹ 365.07 करोड़ का संशोधित परिव्यय था, लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि नीचे तालिका-3.20 में दिखाया गया है।

तालिका-3.20: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ 10 करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन या तो प्रावधान वापस ले लिया गया या कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल + अनुपूरक)	संशोधित परिव्यय (पुनर्विनियोजन के बाद)
1	01-विधानसभा	गेरसेंण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा का निर्माण	10.00	0.01
2	07-वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	वित्तीय वर्ष 22-23 में बाजार प्राप्त ऋण	300.00	300.00
3		राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज	55.00	55.00
4	11-शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	श्राइन बोर्ड को अनुदान	10.00	10.00
5	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य में मातृत्व के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना	1,489.95	0.01
6	13-जल आपूर्ति आवास एवं शहरी विकास	गेरसेंण में अवसंरचना कार्य	10.00	0.01
7	15-कल्याणकारी योजनाएँ	मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उन्नयन योजना	20.00	0.01
8	27-वन	टाइगर फाउंडेशन को समर्थन	12.00	0.01
9	29-उद्योगिकी विकास	सघन वृक्षारोपण के लिए पौध का आयात	14.00	0.02
<b>योग</b>			<b>1,920.95</b>	<b>365.07</b>

स्रोत: बजट दस्तावेज़ 2022-23 एवं 2023-24।

इसके अलावा, छह योजनाओं के तहत, ₹ 274.75 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय था जिसे संशोधित परिव्यय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया था जैसा कि तालिका-3.21 में नीचे दिखाया गया है जो कि यह दर्शाता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे।

तालिका-3.21: उस योजना का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ पांच करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरी तरह से वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	वापसी का कारण
1	07- वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	यू एस डी ए आई डी द्वारा पोषित परियोजना	40.00	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में ₹ 40.00 करोड़ की कमी वेतन के अलावा सहायता अनुदान में बचत के कारण थी
2.		विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (एक बार)	200.00	पेंशन/संतुष्टि/अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में बचत के कारण
3	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	6.85	वृहद कार्यों में बचत के कारण
4	13-जल आपूर्ति आवास एवं शहरी विकास	शहरी क्षेत्रों में जल मीटर	11.00	उपकरण, मशीन और सहायक उपकरण में बचत के कारण
5	17-फसल पालन एवं अनुसंधान	एकीकृत कृषि ग्राम योजना	12.00	अन्य विभागीय व्यय में बचत के कारण
6	24-परिवहन	हलदवानी (एस पी ए) में आईएसबीटी की स्थापना	5.00	प्रमुख कार्यों में बचत के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में ₹ पाँच करोड़ की कमी हुई
<b>योग</b>			<b>274.75</b>	

### 3.12 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2022-23 के लिए आठ मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2023 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका-3.22 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.22: मुख्य शीर्ष, जहां केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया था  
(प्रतिशत में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1	2801	ऊर्जा	0.00	0.06	0.03	0.4	0.49	0.38	77.55
2	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	99.19	196.58	59.64	1199.53	1554.94	834.23	53.65
3	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	0.85	0.63	55.03	56.99	41.49	72.80
4	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15.76	0	0.26	27.55	43.57	26.38	60.55
5	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.40	2.71	0	13.46	17.57	10.97	62.44
6	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0	2.66	7.88	46.06	56.60	38.97	68.85
7	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0	0.15	1.01	4.70	5.86	4.31	73.55
8	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	34.07	28.52	113.49	178.28	94.06	52.76
<b>कुल</b>			<b>119.03</b>	<b>237.08</b>	<b>97.97</b>	<b>1,460.22</b>	<b>1,914.30</b>	<b>1,050.79</b>	<b>54.89</b>

मासिक व्यय में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखण्ड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि आठ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय का 76.28 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में किया गया था। जबकि व्यय का 54.89 प्रतिशत मार्च 2023 के महीने में किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में सुधारत्मक उपाय किए जाएंगे।

सरकारी धन पूरे वर्ष समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए कोई तिमाही वार प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित किया जा

सके। सभी अनुदानों पर किए गए व्यय का त्रैमासिक विवरण निम्नलिखित तालिका-3.23 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.23: 2022-23 के दौरान सभी अनुदानों में सभी मुख्य शीर्ष के लिए तिमाही वार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	22-23 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च में व्यय की प्रतिशता
			प्रथम तिमाही	दुनिया तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	विधान सभा	96.83	15.12	18.65	18.08	18.52	5.70	70.37	26.31	8.10
2	राज्यपाल	14.98	3.55	2.59	3.24	3.58	1.43	12.96	27.62	11.03
3	मंत्रालय परिषद	109.50	2.88	10.36	29.07	43.58	26.80	85.89	50.74	31.20
4	न्यायिक प्रशासन	526.80	89.67	138.21	87.21	89.74	32.49	404.83	22.17	8.03
5	चुनाव	97.87	4.77	28.87	20.28	30.60	19.98	84.52	36.20	23.64
6	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2469.97	137.37	848.66	188.83	799.36	139.79	1974.22	40.49	7.08
7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय और विविध सेवाएँ	26796.48	4188.14	4291.42	6153.64	10605.12	4247.71	25238.32	42.02	16.83
8	आबकारी	40.42	7.76	7.96	9.37	7.39	3.29	32.48	22.75	10.13
9	लोक सेवा आयोग	75.63	29.53	15.40	7.36	9.10	2.75	61.39	14.82	4.48
10	पुलिस एवं जेल	2447.96	568.46	525.04	565.36	573.20	274.30	2232.06	25.68	12.29
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति	10619.67	2085.25	2183.55	2712.17	2537.22	1239.12	9518.19	26.66	13.02
12	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4427.01	746.01	1105.98	833.94	1100.54	616.99	3786.47	29.07	16.29
13	जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2497.01	169.31	508.27	380.98	865.17	322.60	1923.73	44.97	16.77
14	सूचना	179.79	20.35	27.46	40.75	78.70	65.52	167.26	47.05	39.17
15	कल्याणकारी योजनाएँ	3120.75	342.04	752.53	418.29	834.22	496.76	2347.08	35.54	21.17

अनुदान संख्या	विवरण	22-23 के दौरान आवंटन	व्यय					वर्ष 2022-23 में कुल व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय के सापेक्ष मार्च में व्यय की प्रतिशतता
			प्रथम तिमाही	द्वितीया तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
16	श्रम एवं रोजगार	629.97	69.40	143.11	94.07	87.80	45.48	394.38	22.26	11.53
17	फसल पालन एवं अनुसंधान	1263.14	147.08	317.72	261.43	253.93	180.73	980.16	25.91	18.44
18	सहकारिता	211.80	33.81	101.36	25.56	25.17	11.38	185.90	13.54	6.12
19	ग्रामीण विकास	4299.48	320.92	612.32	1060.90	1013.94	361.41	3008.08	33.71	12.01
20	सिंचाई एवं बाढ़	1329.19	93.72	202.32	188.18	365.32	200.37	849.54	43.00	23.59
21	ऊर्जा	482.75	3.00	21.06	61.99	63.11	6.39	149.16	42.31	4.28
22	लोक निर्माण	2626.02	289.04	419.96	497.44	937.37	579.74	2143.81	43.72	27.04
23	उद्योग	550.18	57.02	60.17	78.53	249.94	96.94	445.66	56.08	21.75
24	परिवहन	362.75	31.31	58.22	83.29	120.93	61.31	293.75	41.17	20.87
25	खाद्य	587.30	14.23	337.43	-4.51	119.60	106.38	466.75	25.62	22.79
26	पर्यटन	357.09	55.30	30.81	54.69	171.05	50.66	311.85	54.85	16.24
27	वन	943.24	122.44	139.56	243.09	309.36	147.27	814.45	37.98	18.08
28	पशुपालन	559.42	72.98	107.52	117.94	132.33	73.92	430.77	30.72	17.16
29	बागवानी विकास	574.83	71.68	98.92	72.08	161.98	74.73	404.66	40.03	18.47
30	अनुसूचित जाति का कल्याण	2094.91	141.58	251.50	319.37	625.46	368.98	1337.91	46.75	27.58
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	619.18	47.50	60.21	88.77	182.57	100.90	379.05	48.17	26.62
<b>योग</b>		<b>71,011.92</b>	<b>9,981.22</b>	<b>13,427.14</b>	<b>14,711.39</b>	<b>22,415.90</b>	<b>9,961.82</b>	<b>60,535.65<sup>2</sup></b>		

स्रोत: वी एन सी डाटा।

उपरोक्त तालिका से पता चला कि 2022-23 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 31 अनुदानों में से, तीन अनुदानों में कुल व्यय के 50 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय चौथी तिमाही में किया गया था, जबकि 11 अनुदानों में 40 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय चौथी तिमाही में किया गया था।

31 अनुदानों में 2022-23 के दौरान 11 अनुदानों में मार्च 2023 में किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 20 प्रतिशत या उससे अधिक का व्यय किया गया था।

<sup>2</sup> इसमें वसूलियों की ₹ 57.25 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिमाहीवार व्यय सीमा अनुपलब्धता के कारण, तिमाही व्यय के अनुपालन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

### 3.13 चयनित अनुदानों की समीक्षा

#### 3.13.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 15: कल्याणकारी योजनाएँ, 16: श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के लिए प्राप्तियाँ एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

#### अनुदान संख्या 15: कल्याणकारी योजनाएँ

यह अनुदान उत्तराखण्ड राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है और इसके अध्यक्ष सचिव समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास हैं। इस अनुदान के कार्यात्मक निदेशक समाज कल्याण, निदेशक महिला कल्याण एवं एकीकृत बाल विकास योजना तथा सैनिक कल्याण विभाग आते हैं। ये विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला कल्याण, विकलांग और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं। यह मुख्य रूप से पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, एस सी अटल आवास योजना, बुजुर्ग एवं विकलांग, असहाय पेंशन का क्रियान्वयन करता है।

#### अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 10.12 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष से 38.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.24 में सारांशित है।

तालिका-3.24: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा	2018-19	1,594.74	114.69	1,709.43	1,341.83	367.60	21.50	--
	2019-20	1,748.77	110.44	1,859.21	1,444.05	415.16	22.38	7.62

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	2020-21	1,890.59	82.36	1972.95	1494.45	478.50	24.25	3.49
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2021-22	1,880.83	462.61	2343.44	1645.71	697.73	29.77	10.12
2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2022-23	2,669.31	316.55	2985.86	2285.00	700.86	23.47	38.85
<b>योग</b>		<b>9,784.24</b>	<b>1,086.65</b>	<b>10,870.89</b>	<b>8,211.04</b>	<b>2,659.85</b>	<b>24.47</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान निरंतर बचत हुई। 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹ 1,086.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जब की मूल प्रावधान ₹ 9,784.24 करोड़ के सापेक्ष, वास्तविक व्यय ₹ 8,211.04 करोड़ था जबकि इन वर्षों में पहले से ही ₹ 1,573.20 करोड़ की बचत थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत छह उप-शीर्ष/योजनाओं<sup>3</sup> में (बाल कल्याण सी एस एस, एकीकृत बाल विकास योजना पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय, बाल कल्याण सी एस एस में राज्य अंश, महिला कल्याण सी एस एस, नंदा गौरा योजना और सैनिक कल्याण) ₹ 229.37 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन उपशीर्ष/योजनाओं के तहत अंतिम बचत ₹ 650.89 करोड़<sup>4</sup> थी जो अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी।

विगत तीन वर्षों में इस अनुदान के अंतर्गत कुछ प्रमुख शीर्षों के तहत किए गए व्यय की नमूना जांच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय के स्वरूप प्रवृत्ति में विविधता थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक के अन्तर को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.25 में दिखाया गया है:

<sup>3</sup> (2235-02-102-01, ₹ 25.92 करोड़, 2235-02-102-03, ₹ 24.44 करोड़, 2235-02-102-95, ₹ 37.97 करोड़, 2235-02-103-01 ₹ 7.76 करोड़, 2235-02-103-29, ₹ 130.73 करोड़, और 2235-60-200-03, ₹ 2.55 करोड़)

<sup>4</sup> (2235-02-102-01, ₹ 239.54 करोड़, 2235-02-102-03, ₹ 33.26 करोड़, 2235-02-102-95 ₹ 69.63 करोड़, 2235-02-103-01, ₹ 7.76 करोड़, 2235-02-103-29, ₹ 295.77 करोड़ और 2235-60-200-03, ₹ 4.93 करोड़)

तालिका-3.25: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े अन्तर की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम <sup>5</sup>	व्यय (लाख में)			विचलन (लाख में)		विचलन प्रतिशत में	
		2020-21	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
	वित्तीय वर्ष							
1	बाल कल्याण-केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजना	33,715.09	39,943.47	25538.46	6228.38	14405.01	18.47	-36.06
2	बाल कल्याण-आई सी डी एस परियोजनाओं के तहत राज्य मानदेय (राज्य योजना)	8048.12	10740.67	15146.24	2692.55	4405.57	33.46	41.02
3	महिला कल्याण-नंदा गौरा योजना	10496.96	6000.00	33496.22	-4496.96	27496.22	-42.84	458.27
4	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन-सामाजिक प्रतिभूतियों के तहत वृद्धावस्था पेंशन	44566.39	35252.73	44535.05	-9313.66	9282.32	-20.90	26.33

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

### ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 53.66 प्रतिशत की कमी हुई और 2022-23 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष में 84.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि नीचे तालिका-3.26 में सारांशित है।

<sup>5</sup> 2235-02-102-01, 2235-02-102-03, 2235-02-103-29 और 2235-60-102-05.

तालिका-3.26: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2018-19	71.29	9.00	80.29	37.87	42.42	52.83	--
	2019-20	88.90	20.46	109.36	70.14	39.22	35.86	85.21
	2020-21	123.50	28.48	151.98	72.75	79.23	52.13	3.72
	2021-22	107.60	0.00	107.60	33.71	73.89	68.67	-53.66
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2022-23	134.89	0.00	134.89	62.09	72.80	53.97	84.19
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
<b>योग</b>		<b>526.18</b>	<b>57.94</b>	<b>584.12</b>	<b>276.56</b>	<b>307.56</b>	<b>52.65</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 57.94 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 526.18 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 276.56 करोड़ से काफी अधिक था।

#### स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्ष/योजनाओं की नमूना जांच से पाया गया कि एक कल्याण योजना में 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान लगातार बचत हुई थी क्योंकि विभाग इन तीन वर्षों के दौरान पूरे बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। विवरण तालिका-3.27 में दिया गया है।

तालिका-3.27: 2020-21 से 2022-23 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारंशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2020-21	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
2	2021-22	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
3	2022-23	कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति का कल्याण	2225-04-277-02	203.00	0.00	203.00
<b>योग</b>						<b>609.00</b>

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि प्रकरण को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

**द. अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ:**

अनुदान के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय (₹ पाँच करोड़ और अधिक) तालिका-3.28 में दिया गया है।

तालिका-3.28: केन्द्रीय योजना व्यय (₹ पाँच करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (पी एफ एम एस)	बजट प्राविधान	एच ओ डी को अवमुक्त राशि	व्यय	बचत
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन	2235-03-101-01-00-57	105.98	59.81	59.81	59.81	0.00
2.	ओ बी सी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2225-03-102-01-02-45	14.99	11.09	6.73	6.73	4.36

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना में, ₹ 59.81 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान विभाग प्रमुख को 31 मार्च 2023 तक वितरित किया गया था, और इस पूरी राशि का उपयोग किया गया था, वर्ष के अंत तक कोई अव्ययित शेष नहीं छोड़ा गया था। हालाँकि, जबकि केंद्र सरकार ने पूरे वर्ष में कुल ₹ 105.98 करोड़ जारी किए, वास्तव में विभाग प्रमुख को इससे कम राशि वितरित की गई थी।

इसी प्रकार, ओ बी सी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत, ₹ 11.09 करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद, केंद्र सरकार ने 28 दिसम्बर 2022 को ₹ 8.01 करोड़ और 30 मार्च 2023 को ₹ 6.98 करोड़ जारी किए। हालाँकि, केंद्र सरकार से पूरी राशि प्राप्त होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 01 फरवरी 2023 को समाज कल्याण निदेशक को केवल ₹ 6.73 करोड़ जारी किए। परिणामस्वरूप, विभाग प्रमुख ने राज्य सरकार से प्राप्त संपूर्ण ₹ 6.73 करोड़ का उपयोग कर लिया।

वाहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि शेष राशि राज्य योजनाओं से अग्रिम के रूप में दी गई होगी।

2022-23 के दौरान बजट और व्यय के आशय के लिए निम्नलिखित राज्य योजनाओं (₹ पांच करोड़ और अधिक) का विश्लेषण किया गया था।

तालिका-3.29: राज्य योजना व्यय (₹ पाँच करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	बजट प्रविधान	विभागाध्यक्ष को अवमुक्त राशि	व्यय	बचत
1.	जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन	2235-02-101-20-00-57	116.05	116.05	114.71	1.34
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन	2235-03-101-95-00-57	229.19	229.19	229.19	0.00
3.	सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन	2235-60-102-05-00	403.53	403.03	401.56	1.47
4.	किसान पेंशन योजना	2235-60-102-06-00	34.17	34.17	33.84	0.33
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग विधवा पेंशन राज्य अंश	2235-03-102-95-02	35.88	32.12	32.12	0.00
6.	निराश्रित विधवा पेंशन	2235-02-103-15-00-57	246.79	246.79	238.87	7.92
7.	जिन महिलाओं को पतियों ने छोड़ दिया हैं निराश्रित, मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को भोजन की सुविधा के लिए अनुदान	2235-02-103-20-00-57	9.97	9.97	9.60	0.36

स्रोत: बजट दस्तावेज़ एवं विनियोग लेख।

क्रमांक 1, 3 एवं 4 पर राज्य की योजनाओं में वर्ष के दौरान कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण बचत हुई। दो योजनाओं में, अर्थात्, निराश्रित विधवा पेंशन (क्रम संख्या 6) और उन महिलाओं को भोजन की सुविधा के लिए अनुदान जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है/निराश्रित महिलाएं, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं (क्रम संख्या 7) में बचत इस तथ्य के कारण थी कि यह राशि उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में (अर्थात् 31 मार्च 2023 को) प्राप्त हुई थी।

**य. डी डी ओ द्वारा अपने खाता में स्थानांतरण**

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जाँच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, यह पता चला कि 2022-23 के दौरान इस अनुदान के तहत डी डी ओ द्वारा ₹ 514.41 करोड़ (2235 - ₹ 508.83 करोड़ और 2225 - ₹ 5.58) की राशि अपने खातों में स्थानांतरित की गई थी। इन स्वयं के बैंक खाते हस्तांतरण की भी निगरानी करने की आवश्यकता है।

**र. प्राप्तियाँ**

2020-21 से 2022-23 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष-0235 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.30 में सारांशित है।

तालिका-3.30: अनुदान के मुख्य शीर्ष-0235, के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2020-21	0.61	0.71	7.83	7.12	1002.82
	2021-22	0.76	32.76	31.57	-1.19	-3.63
	2022-23	0.84	1.95	1.06	-0.89	-45.64

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.31 में दिया गया है।

तालिका-3.31: वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
1	0235-60-800-अन्य प्राप्तियाँ	2020-21	0.61	0.71	7.83	7.12	1002.82
		2021-22	0.76	32.76	31.57	-1.19	-3.63
		2022-23	0.84	1.95	1.06	-0.89	-45.64

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल एक मुख्यशीर्ष जैसे 800- अन्य प्राप्तियाँ हैं जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

### अनुदान संख्या 16: श्रम एवं रोजगार

इस अनुदान का संचालन सचिव श्रम एवं रोजगार द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संवैधानिक, वैधानिक और सम्मेलनों के तहत प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में विभाग के प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रकार है:-

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, विशेष रूप से न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान, श्रमिकों के मुआवजे के भुगतान, समान काम के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन भुगतान, मातृ लाभ सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना। निम्नलिखित के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना :-

- i. ग्रेच्युटी भुगतान, बोनस भुगतान, अंतरराज्यीय और अनुबंध श्रमिकों आदि के लाभ और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना।
- ii. बाल / बंधक प्रथा के उन्मूलन के लिए संबंधित कानूनों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- iii. व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने में भूमिका।

अ) विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन।

ब) राज्य में औद्योगिक शांति बनाये रखने में सहायता करना।

स) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण/लाइसेंसिंग।

द) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दावों के निपटान के बाद भुगतान।

य) बाल श्रमिकों की पहचान करना एवं उल्लंघन करने वालों के संबंध में कार्यवाही करना तथा चिन्हित बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाना आदि।

### अ. राजस्व व्यय

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय में 0.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 2.98 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, जैसाकि तालिका-3.32 में सारांशित है।

तालिका-3.32: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांश

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2018-19	342.92	25.25	368.17	221.60	146.57	39.81	--
	2019-20	386.68	48.54	435.22	288.78	146.44	33.65	30.32
	2020-21	355.23	135.37	490.60	334.85	155.75	31.75	15.95
	2021-22	394.92	0.74	395.66	336.03	59.63	15.07	0.35
	2022-23	536.55	24.65	561.20	346.05	215.15	38.34	2.98
<b>कुल</b>		<b>2,016.30</b>	<b>234.55</b>	<b>2,250.85</b>	<b>1,527.31</b>	<b>723.54</b>	<b>32.15</b>	<b>--</b>

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 234.55 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 2,016.30 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 1,527.31 करोड़ से कहीं अधिक था। विगत तीन वर्षों के लिए इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है।

#### ब. पूँजीगत व्यय

2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 42.68 प्रतिशत की वृद्धि और विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 5.49 प्रतिशत की कमी देखी गई, जैसा कि तालिका-3.33 में सारांशित है।

तालिका-3.33: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4259-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत	2018-19	12.00	2.00	14.00	10.96	3.04	21.71	--
	2019-20	15.34	0.00	15.34	4.22	11.12	72.49	-61.50
	2020-21	35.00	10.00	45.00	35.85	9.15	20.33	749.53

मुख्य लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
परिव्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2021-22	92.01	25.00	117.01	51.15	65.86	56.29	42.68
	2022-23	68.77	0.00	68.77	48.34	20.43	29.71	(-)/5.49
<b>योग</b>		<b>223.12</b>	<b>37.00</b>	<b>260.12</b>	<b>150.52</b>	<b>109.60</b>	<b>42.13</b>	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 37.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 223.12 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 150.52 करोड़ से कहीं अधिक था। ₹ 20 करोड़ से अधिक के योजना परिव्यय के लिए अनुदान के लघु शीर्षों के अंतर्गत उपशीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय प्रवृत्ति नहीं था।

**स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना**

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.34 में दिया गया है।

तालिका-3.34: 2020-21 से 2022-23 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2020-21	मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना	2230-03-102-05	200.00	0.00	200.00
2		नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सामान्य प्रशिक्षण	4216-80-003-98	600.00	0.00	600.00
3	2021-22	मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना	2230-03-102-05	200.00	0.00	200.00
4	2022-23	श्रमिक कल्याण केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना	2430-01-103-01	450.00	0.00	450.00
5		शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्रीय योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना	2230-03-003-01	2,277.73	0.00	2,277.73
6		शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सी एस एस में राज्य का हिस्सा	2230-03-003-95	180.17	0.00	180.17
7		शिक्षुता प्रशिक्षण सी एस एस	2230-03-102-01	2,400.00	0.00	2,400.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रकरण को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

**द. अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय योजनाएं:**

अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं पर व्यय (₹ चार करोड़ और अधिक) तालिका-3.35 में दिया गया है।

तालिका-3.35: केंद्रीय योजनाओं पर व्यय (₹ चार करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1	मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास	4059-60-051-97-01-53	50.00	35.00	15.00
2	आई टी आई भवन का निर्माण	4216-80-003-98-01-53	14.77	9.91	4.86
3	मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास	2230-03-003-97-01-56	150.00	10.00	140.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

मॉडल इकोनॉमी के लिए कार्यबल विकास में मानकों के उन्नयन/आउटटर्न के कारण और वर्ष 2022-23 में सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण बचत हुई। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण निर्माण एजेंसी को धनराशि जारी नहीं की गई, जिससे आई टी आई भवन के निर्माण में बचत हुई। मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल विकास क्र.सं. - 3 के संबंध में विभाग द्वारा बचत हेतु कोई कारण नहीं बताया गया।

**य. डी डी ओ द्वारा अपने खाता में स्थानांतरण**

निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन के लिए वार्षिक लेखों में दर्ज प्रत्येक व्यय की जाँच की जानी चाहिए। आई एफ एम एस डेटा और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, यह पता चला कि 2022-23 के अंतर्गत इस अनुदान के तहत डी डी ओ द्वारा ₹ 22.62 करोड़ (2210 - ₹ 22.62 करोड़) की राशि अपने खातों में स्थानांतरित की गई थी। इन स्वयं के बैंक खाते के हस्तांतरण की भी निगरानी की जानी आवश्यक है।

**र. प्राप्तियाँ**

2020-21 से 2022-23 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0230 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.36 में सारांशित है।

तालिका-3.36: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0210 और 0230 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2020-21	125.67	130.67	168.62	37.95	29.04
	2021-22	131.67	161.67	177.85	16.18	10.01
	2022-23	145.29	209.17	188.50	-20.67	-9.88
0230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	2020-21	29.26	12.26	15.28	3.02	24.63
	2021-22	15.26	13.70	7.44	-6.26	-45.69
	2022-23	14.39	14.43	16.27	1.84	12.75

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 10 करोड़ और अधिक के आधार की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.37 में दिया गया है।

तालिका-3.37: मुख्य शीर्ष -0210,0230 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0210-01-020 (अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियाँ)	2020-21	13.25	13.25	12.54	-0.71	-5.36
		2021-22	11.25	11.25	9.97	-1.28	-11.38
		2022-23	12.38	11.25	12.09	0.84	7.47
2.	0210-01-101 (कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ)	2020-21	3.20	6.20	85.07	78.87	1272.10
		2021-22	70.20	77.20	123.93	46.73	60.53
		2022-23	77.22	120.20	95.62	-24.58	-20.45
3.	0210-01-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2020-21	60.54	60.54	5.56	-54.98	-90.82
		2021-22	2.54	2.54	11.48	8.94	351.97
		2022-23	3.24	7.04	13.42	6.38	90.63
4.	0210-03-105 (एलोपैथी)	2020-21	42.00	42.00	56.81	14.81	35.26
		2021-22	42.00	55.00	19.77	-35.23	-64.05
		2022-23	46.20	55.00	55.29	0.29	0.53
5.	0230-00-104 (फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्राप्त शुल्क)	2020-21	6.00	2.00	6.66	4.66	233.00
		2021-22	6.00	6.00	2.62	-3.38	-56.33
		2022-23	6.60	6.00	10.09	4.09	68.17

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या- 16 के अन्तर्गत प्राप्तियों के विश्लेषण दर्शाते है कि दो मुख्य शीर्ष<sup>6</sup> के अंतर्गत पाँच लघु शीर्ष हैं जिनके अन्तर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

<sup>6</sup> 0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 0230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास।

### 3.14 केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय

वर्ष 2022-23 के बजट आशय का आकलन करने के लिए निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं को चुना गया और जांचा गया।

तालिका-3.38: केंद्र योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	बजट	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	राज्य में डी डी ओ को आवंटन	कुल आवंटन	व्यय	कमी(-)/आधिक्य(+)
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सहायता अनुदान	1,884.05	787.20	0.00	787.20	874.40	(+)87.20
2	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1,431.08	949.18	6.55	955.73	703.10	(-)252.63
3	आर सी एच और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम & राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,253.94	432.52	124.19	556.71	887.15	(+)330.44
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2,307.00	1,297.16	0.00	1,297.16	1,483.78	(+)189.62
5	समग्र शिक्षा	1,621.23	704.39	0.00	704.39	553.47	(-)150.92
6	सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0	799.35	425.84	43.69	469.53	308.04	(-)161.49
<b>योग</b>		<b>9,296.65</b>	<b>4,596.29</b>	<b>174.43</b>	<b>4,770.72</b>	<b>4,809.94</b>	<b>(+) 39.22</b>

स्रोत: पी एफ एम एस डाटा।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को छह प्रमुख योजनाओं के संबंध में ₹ 9,296.65 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष केंद्र सरकार से ₹ 4,596.29 करोड़ प्राप्त हुए और राज्य निधि से ₹ 174.43 करोड़ डी डी ओ को आवंटित किए गए। वर्ष के दौरान ₹ 4,809.94 करोड़ का व्यय किया गया जो कि कुल आवंटन ₹ 4,770.72 करोड़ का 100.82 प्रतिशत था।

तालिका-3.39: राज्य योजना पर व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य कार्यक्रम/योजना			
क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	राज्य में गर्भवती के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना	14.90	0.00
2	नंदा गौरा योजना	630.73	334.96
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	11.00	8.08

स्रोत: वित्त लेखे।

राज्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में उपरोक्त तालिका के आंकड़े व्यय के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं, जिसमें नंदा गौरा योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में धन का उल्लेखनीय उपयोग हुआ है, जबकि राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए ईजा-बोई शगुन योजना में धन का व्यय शून्य सूचित हुआ है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार को समय समय पर प्रदर्शन को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने, इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने और प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए जानकारी एकत्र, विश्लेषण और उपयोग करना चाहिए।

संक्षेप में, बजट प्रावधानों और व्ययों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत बजटीय इरादे का संकेत देता है। हालाँकि, कुछ राज्य योजनाओं ने अपने आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, जिसके लिए आगे अधिक ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

### 3.15 निष्कर्ष

- 2022-23 के दौरान, ₹ 71,011.92 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 10,419.02 करोड़ की कुल बचत हुई।
- 33 प्रकरणों में ₹ 3,355.57 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 6 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में पाँच करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान दत्तमत राजस्व से प्रभारित राजस्व में ₹ दो करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन का एक प्रकरण देखा गया, जो उत्तराखण्ड सरकार के बजट मैनुअल के अनुसार अनुमान्य नहीं था।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2021-22 तक की अवधि से संबन्धित व्ययाधिक्य की धनराशि ₹ 47,758.16 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम ₹ 27,722.40 करोड़ और अनुदान संख्या 17, 25 और 29 के ₹ 19,041.88 करोड़ सहित) को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 15.23 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों एवं भूमि क्रय से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

### 3.16 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए;
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

## **अध्याय-4**

**लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य**



## अध्याय-4

### लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

#### 4.1 लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण

##### 4.1.1 ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज की जमा राशियों और आरक्षित निधियों की राशि पर ब्याज प्रदान करे और उसका भुगतान करे। 2022-23 के दौरान सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) को छोड़कर सभी ब्याज वाली जमाओं और आरक्षित निधियों के सापेक्ष अपनी देनदारी का निर्वहन किया जैसा कि नीचे तालिका-4.1 में बताया गया है।

तालिका-4.1: ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	मुख्य शीर्ष 8121-121 के तहत ब्याज युक्त आरक्षित निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ)	2.27	7.49 प्रतिशत (एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार)	0.17	-----
2.	मुख्य शीर्ष 8121-129 के तहत ब्याज युक्त आरक्षित	2,873.61	3.35 प्रतिशत (जैसा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और	96.27	150.00*

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	ब्याज दर	देय ब्याज	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि		जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है)		
3.	मुख्य शीर्ष 8342-117 के तहत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना को छोड़कर ब्याज वाली जमाएँ	370.33	5.49 प्रतिशत (वर्ष 2022-23 के लिए अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर 5.49 प्रतिशत लेते हुए)	20.33	74.33*
4.	एन पी एस की अस्थानान्तरित धनराशि (मुख्य शीर्ष 8342-117 के तहत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना)	83.21	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि में देय 7.10 प्रतिशत	5.91	20.00*
	<b>योग</b>	<b>3,329.42</b>		<b>122.68</b>	<b>244.33</b>

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के 2022-23 के वित्त लेखे का एन टी ए

\*विगत अवधि के भुगतान शामिल हैं।

चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 122.68 करोड़ के स्थान पर ब्याज के रूप में ₹ 244.33 करोड़ का भुगतान किया। ₹ 121.65 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक प्रभावित किया।

#### 4.1.2 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-6 में प्रदर्शित किए गए हैं।

महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड में 410 क्रियान्वयन एजेंसियों को 161 योजनाओं के अंतर्गत सीधे ₹ 4,335.37 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2021-22 में ₹ 4,825.65 करोड़ से 10.16 प्रतिशत कम हो कर 2022-23 में ₹ 4,335.37 करोड़ हो गया है। 161 योजनाओं में से, सात योजनाएँ ऐसी थीं जिनके तहत क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 50 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त हुई जो कि वर्ष के दौरान हस्तान्तरित कुल धनराशि का 91.60 प्रतिशत (₹ 3971.00 करोड़) थी। विवरण, नीचे तालिका-4.2 में दिया गया है।

तालिका-4.2: क्रियान्वयन एजेंसियां जिन्होंने 2022-23 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना	65.11
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	1212.25
3.	जल जीवन मिशन/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन उत्तराखण्ड, हिमालयन पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं विकास संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उत्तराखण्ड, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, देव ऋषि एजुकेशनल सोसायटी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस	1210.66
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	440.61
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	हेदेय कम्युनिकेशन, हिलवेज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम इत्यादि	64.32
6.	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	505.30
7.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	472.75
<b>योग</b>			<b>3,971.00</b>

क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तांतरित समग्र धनराशि का विवरण तालिका-4.3 में प्रदर्शित है।

तालिका-4.3: क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि

क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधा हस्तांतरण	2020-21	2021-22	2022-23
हस्तांतरित धनराशि (₹ करोड़ में)	4,056.80	4,825.65	4,335.37

#### 4.1.3 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (धारा 40, 80 और 119) के अनुसार, पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषागार और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (धारा 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार

भी नगर निगम निधियाँ (यू एल बी के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी। वित्त लेखों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नगरपालिका निधि के तहत लेन-देन हुए थे, जैसा कि नीचे तालिका-4.4 में वर्णित है।

तालिका-4.4: स्थानीय निधियों में जमा

(₹ करोड़ में)

		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	14.79	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्रतिशत उपयोगिता	0	0	0	0	0
नगर पालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	236.59	340.59	441.61	495.41	211.56
	प्राप्ति	711.61	835.76	941.81	660.00	906.40
	व्यय	607.61	734.74	888.01	943.86	882.95
	अंतिम शेष	340.59	441.61	495.41	211.56	235.01
	प्रतिशत उपयोगिता	64.08	62.46	64.19	81.69	78.98

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2022-23

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका-4.4 से स्पष्ट है, पंचायत निकाय कोष प्रारम्भ से ही लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका निधि संचालन में है और 31 मार्च 2023 तक इसमें ₹ 235.01 करोड़ का समग्र शेष है।

## 4.2 पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण

### 4.2.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब<sup>1</sup>

उत्तराखण्ड वित्तीय पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के नियम 369-(एच) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। वस्तु शीर्ष 56 और 69 मुख्य शीर्ष 3604 के तहत केवल उन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को म ले (लेखा एवं हकदारी) द्वारा देखा जाता है जिसमें संस्तुति आदेश विशेष रूप से उन्हें उपयोगिता प्रमाणपत्र देखने के लिए प्रदान करता है।

<sup>1</sup> अनुदान नियंत्रक अधिकारियों से वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹ 5,198.27 करोड़ (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान = ₹ 450.47 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त सहायता अनुदान ₹ 4,747.80 करोड़) के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

मार्च 2023 तक ₹ 2,247.39 करोड़ के कुल 536 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आयु-वार स्थिति को तालिका-4.5 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.5: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2020-21	201	1,636.69	338	1,016.32	82	764.04	457	1,888.97
2021-22	457	1,888.97	301*	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00
2022-23	622	2,571.00	268*	1,383.06	354	1706.67	536 <sup>2</sup>	2,247.39

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

\* उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2022-23 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2023-24 में देय होती है।

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2023 तक जमा करने के योग्य 268 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2022 तक ₹ 864.32 करोड़ की धनराशि दी गई थी। उपरोक्त में से ₹ 6.29 करोड़ की धनराशि वाले 19 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 अगस्त 2023 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्ष वार विवरण नीचे तालिका-4.6 में दिया गया है।

तालिका-4.6: 31.03.2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्ष वार विवरण

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान प्रस्तुत करने हेतु देय है	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	01	20.29
2022-23	267	844.03
<b>योग</b>	<b>268</b>	<b>864.32</b>


31 मार्च 2023 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबन्धित ₹ 496.83 करोड़ और राज्य योजनाओं से संबन्धित ₹ 367.49 करोड़ की राशि शामिल है। उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत

<sup>2</sup> क्रमशः 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 तक प्रस्तुत करने के लिए देय, धनराशि ₹ 20.29 करोड़ (राज्य योजनाएँ) का एक उ प्र, धनराशि ₹ 844.03 (के प्रा यो = ₹ 496.83 करोड़ और राज्य योजनाएँ = ₹ 347.20 करोड़) के 267 उ प्र और धनराशि ₹ 1383.07 करोड़ (के प्रा यो = ₹ 464.65 करोड़ और राज्य योजनाएँ = ₹ 918.42 करोड़) के 268 उ प्र शामिल है।

किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण को संबन्धित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

चार्ट-4.1: 31 मार्च 2023 तक विभाग वार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र



उपरोक्त अनुदानों के अलावा, नीचे तालिका-4.7 में वर्णित सहायता अनुदान भी विभिन्न संस्थानों को दिए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों को उक्त अनुदान के उपयोग/अंतिम उपयोग पर नजर रखनी थी। नियंत्रण अधिकारियों ने उपरोक्त अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत नहीं की है।

तालिका-4.7: सहायता अनुदान (यू एल बी/पी आर आई के इतर)

(₹ करोड़ में)					
क्र.सं.	वस्तु शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2020-21	2021-22	2022-23
1.	05	वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान	1,179.53	1,181.65	1,391.96
2.	55	पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान	-----	706.10	450.47
3.	56	वेतन के अलावा सहायता अनुदान	34,09.34	3,312.13	4,747.80
<b>योग</b>			<b>4,588.87</b>	<b>5,199.88</b>	<b>6,590.23</b>

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि इन अनुदानों का बड़ा हिस्सा वस्तु शीर्ष 05 वेतन, भत्ता और अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान से (₹ 1391.96 करोड़) संबन्धित है। शेष राशि (₹ 5198.27 करोड़) के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए संबन्धित विभागों पर कार्रवाई की जाएगी।

#### 4.2.2 सार आकस्मिक बिल

वर्ष 2022-23 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण तालिका-4.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.8: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2020-21 तक	37	3.01	78	5.67	38	5.24	77	3.44
2021-22	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33
2022-23	243	27.33	271	8.97	440	24.94	74	11.36

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना

तालिका-4.8 से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान ₹ 8.97 करोड़ की धनराशि के लिए 271 ए सी बिल आहरित किए गए तथा ₹ 24.94 करोड़ की धनराशि के लिये 440 डी सी सी बिलों को वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2023 तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 ए सी बिल बकाया थे। बकाया 74 डी सी सी बिलों में ₹ 10.60 करोड़ की धनराशि के 37 बिल 2021-22 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2023 तक ₹ 1.06 करोड़ की राशि के 11 डी सी सी बिल प्राप्त हुए जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 10.60 करोड़ में से ₹ 0.91 करोड़ का एक डी सी सी बिल तथा वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 0.76 करोड़ में से ₹ 0.15 करोड़ के 10 डी सी सी बिल शामिल थे। सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को चार्ट-4.2 में दिया गया है।

चार्ट-4.2: बकाया डी सी सी बिल



आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हों यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की अप्राप्ति की

सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया।

#### 4.2.3 स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

सामान्य व्यय पूर्ण तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों पर होता है जो सामग्री की प्राप्ति या संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में, कोषागार से आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के बैंक खाते या कार्यदायी संस्थाओं के खाते में धन का हस्तांतरण काल्पनिक व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए सार आकस्मिक बिलों और सहायता अनुदान बिलों के समान गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। अभी तक सरकारी लेखा प्रणाली में ऐसे लेनदेन की पहचान करने और चिह्नित करने के लिए कोई संकेत नहीं है। नीचे दी गई तालिका-4.9 विवरण में दिया गया है।

तालिका-4.9: स्वयं के खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के खाते में हस्तांतरित	787.12
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	5,135.89
<b>योग</b>	<b>5,923.01</b>

स्रोत-लेखापरीक्षा द्वारा आई एफ एम एस डेटाबेस से संगणित

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी।

#### 4.2.4 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340 (अ) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धन निकालने की प्रथा वर्जित है।

2022-23 के अंत में, 25 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 129.28 करोड़ की अव्ययित शेष धनराशि राज्य की संचित निधि में अहस्तांतरित रही। 2022-23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को तालिका-4.10 में दिया गया है।

तालिका-4.10: 2022-23 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों ( मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
45	188.07	0	5.85	20	64.64	25	129.28

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि 25 पी डी खातों में से 16 खातों को बंद कर दिया गया है और ₹ 12.02 करोड़ की शेष राशि वाले नौ खाते आतिथि तक लंबित हैं जिन्हें शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा।

तालिका-4.11 में 2018-23 की अवधि के दौरान वित्त वर्ष के अंतिम दिन में 8443-106 जिला अधिकारी (डी एम), देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.11: 2018-19 से 2022-23 के दौरान डी एम देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धन का अवरूद्ध रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पी डी ए में पड़ी धनराशि	98.36	96.18	97.68	97.68	95.92

\* जिलाधिकारी देहरादून का पी डी खाता जून 2023 में बंद कर दिया गया था।

राज्य में 31 मार्च 2023 तक ₹ 129.28 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 25 व्यक्तिगत जमा खाते थे। 31 मार्च 2023 तक जिला अधिकारी, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 95.92 करोड़ (74.20 प्रतिशत) की राशि पड़ी हुई थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष राशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। जिलाधिकारी देहरादून का पीडी खाता जून 2023 में बंद कर दिया गया था।

तालिका-4.12: डी एम देहरादून के अलावा शीर्ष पांच पी डी ए/पी एल ए धारक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी डी ए/पी एल ए स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
1.	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	06/09/2021	2022-23	16.74
2.	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	27/02/2013	2022-23	4.20
3.	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	18/11/2014	2022-23	2.90

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी डी ए/पी एल ए स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
4.	निदेशक शहरी विकास निदेशालय, साइबर ट्रेजरी	निदेशक शहरी विकास निदेशालय, साइबर ट्रेजरी	08/08/2011	2017-18	2.70
5.	महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून	महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून	27/03/2019	2018-19	2.22

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका-4.12 में, डी एम देहरादून को छोड़कर, अन्य शीर्ष पांच पी डी ए/पी एल ए खाता धारकों का विवरण दिया गया है।

तालिका-4.13: सक्रिय/निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण

क्र. सं.	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	पी डी लेखों की संख्या	लेखों में रखी धनराशि (करोड़ में)	पी डी लेखों की संख्या जिनमें अवशेष शून्य है
1.	2013-14	4	0.18	3
2.	2014-15	3	0.00	3
3.	2015-16	1	0.00	1
4.	2017-18	3	4.46	0
5.	2018-19	2	2.22	1
6.	2019-20	3	0.00	3
7.	2021-22	3	1.09	1
8.	2022-23	6	119.59	0
<b>योग</b>		<b>25</b>	<b>127.54*</b>	<b>12</b>

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड (आई एफ एम एस डाटा)

\*कुल व्यक्तिगत जमा खाते और इन खातों की धनराशि वित्त लेखों के आंकड़ों से भिन्न है।

कुल 25 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 12 खातों में शेष राशि शून्य है। 11 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच वर्ष से अधिक समय से तथा पाँच व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित थे। सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, इन जमाओं के तहत रखी गई राशि को राज्य की संचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत (31 मार्च 2023) में बंद नहीं किया गया था।

#### 4.2.5 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहरादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका-4.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.14: केंद्रीय कोषागार देहरादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 के इतर)  
(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि
1.	8448-00-120	वित्त अधिकारी/बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
<b>योग</b>			<b>11.04</b>	

स्रोत: मुख्य कोषागार कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2023 तक 8443-106 के इतर एक असंचालित व्यक्तिगत जमा खाता था, जिसमें ₹ 11.04 लाख शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय तक असंचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों के तहत जमा धनराशि को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोषागार, देहरादून के एक लेखे में विगत तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सरकार के लेखे में ₹ 11.04 लाख की धनराशि जमा की जानी चाहिए थी।

#### 4.2.6 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2022-23 के दौरान, 32 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,625.33 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 51,967.24 करोड़) का 3.13 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 45 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,778.39<sup>3</sup> करोड़, जो कुल प्राप्तियों (₹ 49,082.70 करोड़) का 3.62 प्रतिशत (पेंशन विभाजन के 3.38 प्रतिशत को छोड़कर) है, के लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इस बीच, पिछले दस वर्षों में लघु शीर्ष-800 के तहत व्यय के वर्गीकरण में तेजी से कमी आई है। 2011-12 में, व्यय का 26.50 प्रतिशत लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया था, जबकि 2022-23 में यह घटकर कुल व्यय का 3.13 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, 2011-12 में कुल प्राप्तियों का 9.25 प्रतिशत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था, जबकि 2022-23 में यह कुल प्राप्तियों का 3.62 प्रतिशत (पेंशन विभाजन के 3.38 प्रतिशत को छोड़कर) पर आ गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' और लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों (₹ 20 करोड़ से अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण तालिका-4.15 में दर्शाया गया है:

<sup>3</sup> वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में ₹ 1,659.46 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 3.38 प्रतिशत) शामिल नहीं है, जो 2022-23 के दौरान 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया है।

तालिका-4.15: लघु शीर्ष 800 का विवरण-उपशीर्ष स्तर पर अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय (₹ 20 करोड़ से अधिक)  
(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"						"800-अन्य व्यय"				
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि	अनुदान	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	धनराशि	
1	0049	800	12	681.62	0007	4059	800	01	1071.57	
2	0039	800	00	275.73	0003	4059	800	02	47.74	
3	0406	800	03	98.39	0018	2425	800	31	45.00	
4	0406	800	01	92.14	0012	2210	800	11	43.20	
5	0801	800	01	73.56	0015	4235	800	04	35.76	
6	0070	800	06	69.01	0013	4216	800	02	35.00	
7	0029	800	08	45.96	0030	4225	800	03	29.71	
8	0039	800	05	42.12	0007	4059	800	17	27.30	
9	0030	800	01	33.71	-	-	-	-	-	
10	0217	800	99	30.98	-	-	-	-	-	
11	0425	800	03	28.41	-	-	-	-	-	
12	0059	800	99	27.22	-	-	-	-	-	
13	0211	800	02	27.02	-	-	-	-	-	
14	0801	800	02	25.00	-	-	-	-	-	
15	0853	800	01	21.88	-	-	-	-	-	
योग				1,572.75		योग				1,335.28

ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण राशि (20 प्रतिशत या अधिक और ₹ पाँच करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, तालिका-4.16 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.16: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय में 2022-23 के दौरान दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
1.	0029-भू- राजस्व	64.98	50.96	78.42	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20.32	18.41	90.60
2.	0049-व्याज प्राप्तियाँ	759.04	694.88	91.55	2425- सहकारिता	122.90	79.64	64.80
3.	0055- पुलिस	29.72	16.86	56.73	-4047अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16.64	16.64	100.00

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
4.	0059- लोक निर्माण	51.01	41.78	81.91	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1554.94*	1127.42	72.51
5.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	110.23	78.34	71.07	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	66.37	53.03	79.90
6.	0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	188.50	14.08	7.47	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	57.00	47.64	83.58
7.	0211-परिवार कल्याण	27.03	27.03	100.00	4235-सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	43.57	35.96	82.53
8.	0217-शहरी विकास	30.99	30.99	100.00	4401-फसल वानिकी पर पूंजीगत परिव्यय	27.02	06.69	24.76
9.	0401- फसल वानिकी	7.03	4.98	70.84	4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	30.47	15.37	50.44
10.	0406- वानिकी और वन्यजीव	474.93	203.57	42.86	-	-	-	-
11.	0425- सहकारिता	28.74	28.74	100.00	-	-	-	-
12.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	14.02	14.02	100.00	-	-	-	-
13.	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14.68	8.49	57.83	-	-	-	-
14.	0801-विद्युत	72.46	32.79	45.25	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>1873.36</b>	<b>1247.51</b>	<b>66.59</b>	<b>योग</b>	<b>1939.23</b>	<b>1400.80</b>	<b>72.23</b>

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा तैयार 2022-23 के वित्त लेखे।

\* इसमें 2022-23 में आकस्मिकता निधि से ली गयी ₹ 15.64 करोड़ की धनराशि शामिल नहीं है और वर्ष के अंत तक जो वसूल नहीं की गयी है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शहरी विकास, वन, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के 14 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 66.59 प्रतिशत '800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, सहकारिता, लोक निर्माण, आवास, अल्पसंख्यक कल्याण, फसल वानिकी और दूरसंचार विभाग से संबन्धित नौ मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 72.23 प्रतिशत


'800-अन्य व्यय' के तहत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के तहत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/ निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।


लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किए गए कुछ लेनदेन नीचे दिये गए हैं-

- लेखाशीर्ष 5452 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में “जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटक आवास गृह गंगोलीहाट का निर्माण कार्य” हेतु धनराशि पुस्तांकित की गयी है। किन्तु उक्त की प्रकृति के अनुसार लेखाशीर्ष 5452-01-102 (पर्यटक आवास) में पुस्तांकन किया जा सकता है।
- लेखाशीर्ष 2047 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 भारतीय भागीदारी अधिनियम, सोसाइटी चिट फंड अधिनियम हेतु व्यय पुस्तांकित किया गया है। जबकि उक्त की प्रकृति के अनुसार लेखाशीर्ष 3475-00-200 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (अन्य व्यवसायिक उपक्रमों का विनियमन) में पुस्तांकन किया जाना उचित है।
- ब्याज प्राप्त लेखाशीर्ष 0049 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 में उप निबंधक सहकारी समिति हेतु पुस्तांकन किया गया है। जबकि लघु एवं मुख्य शीर्षों की सूची के अनुसार लघुशीर्ष 800 के स्थान पर लघुशीर्ष 195 (सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज) का प्रयोग किया जाना उचित है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सरकार ने सूचित किया कि महालेखाकार द्वारा सुझाए गए अधिकतम मुख्य शीर्षों को वर्ष 2022-23 के दौरान सही किया गया है। इसके अलावा यह भी अवगत कराया कि भविष्य में लघु शीर्ष-800 के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 के संचालन की सीमा चार्ट-4.3 और चार्ट-4.4 में दी गई है।





### 4.3 माप संबंधी प्रकरण

#### 4.3.1 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

##### अ) उचन्त एवं प्रेषण शेष

नीचे दी गई तालिका मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त खाते के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट शेष के लेनदेन की प्रकृति देती है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय केंद्र सरकार की ओर से भुगतान करते हैं।	जब केंद्र सरकार का वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य सरकार की ओर से भुगतान करता है।
102- उचन्त लेखे (सिविल)	भुगतान/नकद खातों की ट्रेजरी सूचियों और उसके साथ जुड़े भुगतान/प्राप्तियों की सूचियों के आंकड़ों के बीच देखे गए अंतर को शामिल करने के लिए महालेखाकार की पुस्तकों में संचालित किया जाता है।	इस उप-शीर्ष के तहत शुरू में रखी गई धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और संबंधित खातों के मुख्य शीर्षों में ले जाया जाएगा जब कोषाधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरण/ अनुसूची की प्राप्ति पर मतभेदों का निपटारा किया जाता है।
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	इस लघु शीर्ष का उपयोग एक ही महालेखाकार को लेखे प्रदान करने वाले लोक निर्माण प्रभागों के बीच निपटान या लेनदेन के लिए किया जाएगा।	जब एक लोक निर्माण प्रभाग राज्य सरकार के दूसरे प्रभाग को सामग्री देता है।
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केंद्रीय लेखा कार्यालय	परामर्श (सूचना) प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा कार्यालय, नागपुर, राज्य सरकार के शेष को डेबिट करता है और संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय को सूचित करते हुए केंद्र सरकार को क्रेडिट भेजता है।	इस लघु शीर्ष का उपयोग प्रधान लेखा कार्यालय आदि द्वारा आरबीआई, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को परामर्श देते समय केंद्र सरकार (सिविल) के शेष से राज्य सरकार के शेष में स्थानांतरण के लिए किया जाता है।

लघु शीर्ष का नाम	डेबिट पक्ष	क्रेडिट पक्ष
	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	जब लेखा प्राधिकारी (म ले उत्तराखण्ड) केंद्र सरकार को भुगतान करेगा।	जब आयकर के अनुसार टी डी एस उत्तराखण्ड सरकार के डी डी ओ द्वारा काटा जाता है।
113- भविष्य निधि उचन्त	मूल लेन-देन का पता लगाने पर यह शीर्ष स्पष्ट हो जाता है।	जब मूल लेनदेन का पता चलने तक सा भ नि अभिदाता को क्रेडिट या डेबिट दिया जाता है।
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आरबीआई से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों को सबसे पहले इस लघु शीर्ष में डेबिट किया जाना चाहिए।	सरकारी लेखों में दिखाई देने वाली आर बी आई से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान सबसे पहले इस लघु शीर्ष में क्रेडिट किए जाने चाहिए।
123- अखिल भारतीय सेवा (अ भा से) अधिकारी समूह बीमा योजना।	राज्य संवर्ग के ए आई एस अधिकारियों को केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए किए गए भुगतान को इस उप शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।	केंद्र सरकार की कर्मचारी समूह बीमा योजना के लिए ए आई एस राज्य संवर्ग के अधिकारियों से की गयी कटौती/ वसूली को उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
129- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता।	यह लघु शीर्ष उन मामलों में भंडारों की सीधी खरीद के लिए संचालित किया जाएगा जहां भुगतान उसी महीने में नहीं किया गया है जिसमें भंडार प्राप्त हुए हैं।	जब राज्य सरकार के एक लोक निर्माण प्रभाग/कार्यालय ने भारत सरकार के पूर्ववर्ती आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के माध्यम से सामग्री की खरीद की। 1993 के बाद से ऐसे लेनदेन होना बंद हो गए हैं।
102- लोक निर्माण प्रेषण 103- वन प्रेषण।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग राजकोष में धन जमा करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।	जब कोई लोक निर्माण प्रभाग/वन प्रभाग राजकोष के माध्यम से कोई भुगतान करता है। अप्रैल 2019 से आई एफ एम एस के कार्यान्वयन के साथ यह हेड अब संचालित नहीं किया जा रहा है।
8793-अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे।	जब अन्य राज्यों के पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त होता है।	जब उत्तराखण्ड सरकार अन्य राज्यों के पेंशनरों को भुगतान करती है।

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका-4.17 में दी गई है।

तालिका-4.17: उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
<b>8658- उचन्त लेखे</b>						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	115.24	23.40	189.52	89.34	331.64	186.11
निवल	(डेबिट) 91.84		(डेबिट) 100.16		(डेबिट) 145.53	
102- उचन्त लेखे (सिविल)	574.13	379.40	289.18	386.82	295.03	392.38
निवल	(डेबिट) 194.73		(क्रेडिट) 97.64		(क्रेडिट) 97.35	
107- नकद निपटान उचन्त लेखे	81.39	0.26	99.71	0.26	1233.79	1133.42
निवल	(डेबिट) 81.13		(डेबिट) 99.45		(डेबिट) 100.37	
110- रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	221.31	219.61	224.32	219.61
निवल	(क्रेडिट) 4.94		(डेबिट) 1.70		(डेबिट) 4.71	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	241.27	28.03	267.44	28.03	330.23
निवल	(क्रेडिट) 213.24		(क्रेडिट) 239.41		(क्रेडिट) 302.20	
113- भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	(डेबिट) 0.11		(डेबिट) 0.11		(डेबिट) 0.11	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	(क्रेडिट) 2.21		(क्रेडिट) 2.21		(क्रेडिट) 2.21	
123- ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.32	0.57	0.34	0.61	0.36	0.64
निवल	(क्रेडिट) 0.25		(क्रेडिट) 0.27		(क्रेडिट) 0.28	
129-- सामग्री खरीद निपटान उचन्त खाता	0.03	(-) 0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
निवल	(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76	
<b>8782- नकद प्रेषण और अधिकारियों के बीच समायोजन उसी लेखा अधिकारी को लेखे प्रदान करना</b>						
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	296.13	372.70	296.45	372.70
निवल	(क्रेडिट) 76.61		(क्रेडिट) 76.57		(क्रेडिट) 76.24	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 59.72	
8793-अंतर्राज्यीय उचन्त लेखे	2095.05	2014.10	2083.81	2015.19	2067.53	2316.45
निवल	(डेबिट) 80.95		(डेबिट) 68.62		(डेबिट) 51.08	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2022-23।

उचन्त के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

वित्त लेखे 2022-23 में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उचन्त, 102-उचन्त लेखा (सिविल) तथा 112-स्रोत स्तर पर कटौती (टी डी एस) उचन्त के तहत उचन्त शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत हैं:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय व राज्यों के महालेखाकार (ले एवं हक) के तहत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत विगत वर्ष के अंत में ₹ 100.16 करोड़ के डेबिट शेष के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2023) ₹ 145.53 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियाँ 35.95 प्रतिशत और संवितरण 64.05 प्रतिशत रहीं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है।

उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102): ऐसे लेनदेन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष लेखों में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें प्रारम्भ में इस उचन्त शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 295.03 करोड़ (42.92 प्रतिशत) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 392.38 करोड़ (57.08 प्रतिशत) की राशि को इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2021-22 के डेबिट शेष ₹ 97.64 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक ₹ 97.35 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 330.23 करोड़ (92.18 प्रतिशत) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (7.82 प्रतिशत) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2023 तक आई टी विभाग को ₹ 302.20 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गयी थी। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2021-22 (₹ 239.41 करोड़) की तुलना में अधिक था।

#### **ब) मुख्य शीर्ष बैंक और बिल्स (मुख्य शीर्ष 8670)**

इस शीर्ष का उपयोग चेक जारी करने और उसके बाद उनके नकदीकरण से संबंधित लेनदेन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। आर बी आई की ई-भुगतान प्रणाली (ई-कुबेर) के कार्यान्वयन के साथ इस शीर्ष का उपयोग ई-भुगतान सूचना और अनुवर्ती निकासी को दर्ज करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के तहत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए हैं परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष ₹ 349.72 करोड़

(क्रेडिट) था। 2022-23 के दौरान, ₹ 49,375.90 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 49,661.31 करोड़ का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2023 को अन्तिम अवशेष ₹ 64.31 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार से 31 मार्च 2023 तक कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

#### स) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (के स एवं अव नि)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। विद्यमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष "1601 सहायता अनुदान" के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान" के कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के स एवं अव नि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत लेखांकित किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449 से संबन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में 'घटाए व्यय' के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 378.17 करोड़ जारी किए।

तथापि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के तहत कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के तहत ₹ 334.34 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 1601-06-104 में अनुदान के तहत प्राप्त राशि से ₹ 43.83 करोड़ कम था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 378.17 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया, जबकि राजकोषीय अधिशेष/घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

#### द) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष नीचे दी गयी तालिका-4.18 में दिया गया है।

तालिका-4.18 मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अंतर्गत आने वाली ऋणात्मक शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6851	ग्राम्य एवं लघु उद्योग के लिए ऋण	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-) 20.08

ये ऋण उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किए गए थे। इन ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षों के तहत बुक की जा रही है ऋणों की चुकौती उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की जा रही है क्योंकि ऐसी प्रतिकूल शेष राशि खातों में प्रदर्शित होती है। इन प्रतिकूल शेष राशियों की समीक्षा की जा रही है।

#### 4.3.2 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना


उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और व्यय का मिलान कराना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) द्वारा (पूर्ण रूप से 56 मु नि अ द्वारा तथा आंशिक रूप से 06 मु नि अ द्वारा) के द्वारा मिलान किया गया। 62 मु नि अ (100 प्रतिशत) में से ₹ 56,992.72 करोड़ (कुल व्यय ₹ 60,535.64 करोड़<sup>4</sup> का 94.15 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया। इसके अलावा, प्राप्तियों के संबंध में, 48 मु नि अ में से, 44 मु नि अ द्वारा (37 मु नि अ द्वारा पूर्ण रूप से और 07 मु नि अ द्वारा आंशिक रूप से) मिलान किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 58,266.57 करोड़ की प्राप्तियों का (कुल प्राप्तियों ₹ 58,542.90 करोड़<sup>5</sup> का 99.53 प्रतिशत) मिलान किया गया।

2020-21 से 2022-23 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट-4.5 में दिखाया गया है।

<sup>4</sup> कुल व्यय ₹ 60,535.64 करोड़ में ₹ 93.63 करोड़ के ऋण और अग्रिम का संवितरण और ₹ 8,474.77 करोड़ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

<sup>5</sup> कुल प्राप्त ₹ 58,542.90 करोड़ में ऋण और अग्रिम की वसूली ₹ 17.08 करोड़ और सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ₹ 9,431.07 करोड़ शामिल है।



विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा तालिका-4.19 में दिया गया है।

तालिका-4.19: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/ व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
<b>प्राप्तियाँ</b>							
2020-21	48	03	23	22	38,204.56	36,512.20	95.57
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	95.19
2022-23	48	37	07	04	58,542.90	58,266.57	99.53
<b>व्यय</b>							
2020-21	62	12	41	09	43,629.24	32,107.80	73.59
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	89.02
2022-23	62	56	06	00	60,535.64	56,992.72	94.15

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2022-23 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग होती है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2021-22 में 89.02 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर वर्ष 2022-23 में 94.15 प्रतिशत हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने सूचित किया कि 2022-23 के दौरान महालेखाकार (ले एवं ह) के साथ प्राप्त और व्यय के आंकड़ों के मिलान में सुधार हुआ है।

### 4.3.3 नगद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2023 का नगद शेष ₹ 131.82 करोड़ (क्रेडिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 0.85 करोड़ (क्रेडिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नगद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नगद शेष के बीच ₹ 130.97 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर स्कॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि मिलान के लिए मामला आर बी आई और कोषाध्यक्षों के पास विचाराधीन था।

## 4.4 प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण

### 4.4.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका-4.20 में विस्तृत है।

तालिका-4.20: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ	इस मानक के अर्न्तगत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	आई जी ए एस-2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 का अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है।

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय ऋण, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सरकार ने कहा कि भविष्य में इस संबंध में अनुपालन किया जाएगा।

#### 4.4.2 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखा परीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा तालिका-4.21 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.21: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2022-23 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2020-21	03
2.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2022-23	01
3.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2005-06	17

तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकरणों के लेखे एक वर्ष से 17 वर्ष तक लंबित हैं।

#### 4.4.3 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, सरकार/विभागीय प्रमुखों को चाहिये कि वे ऐसे विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध करायें। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रदान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान/या ऋण में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो। हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 पर विनियमों का उल्लंघन था। वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2022-23 के दौरान विभिन्न विभागों ने पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन के इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) क्रमशः ₹ 450.47 करोड़ और ₹ 4,747.80 करोड़ दिया था।

#### 4.4.4 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

2022-23 के दौरान सभी लेखा प्रतिपादन करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था और बहिष्करण का कोई प्रकरण नहीं था।

## 4.5 अन्य प्रकरण

### 4.5.1 गबन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार, डी डी ओ को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (लेखा एवं हकदारी) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना चाहिए। वर्ष 2022-23 के दौरान डी.डी.ओ. द्वारा गबन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

### 4.5.2 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

## 4.6 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2022 तक दिये गए ₹ 864.32 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 268 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2023 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2023 तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता है।
- 2022-23 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमशः 99.53 और 94.15 प्रतिशत था।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,625.33 करोड़) और प्राप्तियाँ (₹ 1,778.39 करोड़<sup>6</sup>) दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के बहुप्रयोजन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

<sup>6</sup> वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से पेंशन के बंटवारे के रूप में 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किए गए ₹ 1,659.46 करोड़ को छोड़कर।

#### 4.7 संस्तुतियाँ

- सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हे जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित करना चाहिए;
- सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें;
- राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर बहीखातों में ठीक प्रकार से लेन देन वर्गीकृत किया जा सके;
- राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

## **अध्याय-5**

### **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**



## अध्याय-5

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (स नि अ क) के वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए (या पिछले वर्षों के लेखे जिनको चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा सम्पादित इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

#### 5.1 सरकारी कम्पनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गई हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी<sup>1</sup> को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

#### 5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सहपठित सी ए जी (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सी ए जी सांविधिक लेखाकार को कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने की विधि पर दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, सी ए जी को कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों के निगमित कानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सी ए जी द्वारा की जाती है।

#### 5.3 रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान

रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की कम्पनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रिया कलापों को सम्पादित करने

<sup>1</sup> कम्पनीयाँ (कठिनाइयों को दूर करना), सातवां आदेश, 2014 गजट अधिसूचना दिनांक 4 नवम्बर, 2014 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।

हेतु रा सा क्षे उ की स्थापना की गई है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 को, उत्तराखण्ड में 33 रा सा क्षे उ थे, जिनमें चार<sup>2</sup> सांविधिक निगम और 28 सरकारी कम्पनियाँ (नौ निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों<sup>3</sup> सहित) और एक<sup>4</sup> सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क) शामिल थीं, जो सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थीं। इन रा सा क्षे उ के नाम **परिशिष्ट-5.1** में दिए गए हैं। रा सा क्षे उ में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

राज्य में नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अधीन सात शामिल हैं) हैं। इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ में ₹ 36.19 करोड़ का निवेश है जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 12.31 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 9.54 करोड़ और अन्य: ₹ 2.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 23.88 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 5.15 करोड़ और अन्य: ₹ 18.73 करोड़) है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय रा सा क्षे उ में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं है।

रा सा क्षे उ के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) से अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में रा सा क्षे उ की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। कार्यरत रा सा क्षे उ के टर्नओवर का विवरण **परिशिष्ट-5.2** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत रा सा क्षे उ का टर्नओवर और स रा घ उ **तालिका-5.1** में दिया गया है।

तालिका-5.1: उत्तराखण्ड के स रा घ उ की तुलना में रा सा क्षे उ के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22♣	2022-23♥
<b>टर्नओवर</b>			
विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	7735.80	8483.51	9936.49
अन्य रा सा क्षे उ	2324.25	2513.40	2513.40
<b>योग</b>	<b>10060.05</b>	<b>10996.91</b>	<b>12449.89</b>
<b>उत्तराखण्ड की स रा घ उ</b>	<b>236860</b>	<b>272159</b>	<b>302621</b>
उत्तराखण्ड के स रा घ उ में टर्नओवर का प्रतिशत			
विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	3.27	3.12	3.28
अन्य रा सा क्षे उ	0.98	0.92	0.83
<b>योग</b>	<b>4.25</b>	<b>4.04</b>	<b>4.11</b>

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड ♥अनंतिम अनुमान, ♣ संशोधित अनुमान।

<sup>2</sup> उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम

<sup>3</sup> निष्क्रिय रा सा क्षे उ वे हैं जिन्होंने अपना संचालन करना बंद कर दिया है।

<sup>4</sup> उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

उत्तराखण्ड की स रा घ उ में रा सा क्षे उ का योगदान 2021-22 में 4.04 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 4.11 प्रतिशत हो गया। स रा घ उ में विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ का योगदान 2022-23 में 3.28 प्रतिशत था।

स रा घ उ में अन्य क्षेत्र के रा सा क्षे उ का योगदान यद्यपि न्यूनतम (0.92 से 0.83 प्रतिशत तक) था, लेकिन कर्मचारियों (स्थायी/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर) की संख्या 8,958<sup>5</sup> थी। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार का इन रा सा क्षे उ में ₹ 687.97 करोड़ (इक्विटी ₹ 334.23 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण ₹ 353.74 करोड़) का निवेश था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) द्वारा 2020-23 की अवधि के दौरान इनमें से नौ रा सा क्षे उ को ₹ 4,082.56 करोड़ के अनुदान और सब्सिडी प्रदान की गई।

#### 5.4 रा सा क्षे उ में निवेश और बजटीय सहायता

##### 5.4.1 रा सा क्षे उ में इक्विटी स्वामित्व और ऋण

31 मार्च 2023 तक 21 कार्यरत रा सा क्षे उ (तीन<sup>6</sup> कार्यकारी कम्पनियों को छोड़कर, जहां राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था) में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋण तालिका-5.2 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका-5.2: रा सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश

विवरण	निवेश <sup>7</sup> (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण	
विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	3660.29	3655.29	4431.50	581.77	8091.79	90.49
अन्य रा सा क्षे उ	375.67	334.23	474.49	353.74	850.16	9.51
<b>योग</b>	<b>4035.96</b>	<b>3989.52</b>	<b>4905.99</b>	<b>935.51</b>	<b>8941.95</b>	<b>100</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत और वित्तीय विवरण के अनुसार सूचना।

रा सा क्षे उ में निवेश मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ पर था, जिसे 31 मार्च 2023 तक ₹ 8,941.95 करोड़ के कुल निवेश का 90.49 प्रतिशत (₹ 8,091.79 करोड़) प्राप्त हुआ था। कुल निवेश ₹ 8,941.95 करोड़ में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 55.08 प्रतिशत (₹ 4,925.03 करोड़) थी। इसके अतिरिक्त, रा सा क्षे उ में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रस्तर 2.6.3.2(ii) में भी चर्चा की गई है।

<sup>5</sup> इसमें चार रा.सा.क्षे.उ. नामतः उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड में 6,800 कर्मचारी शामिल हैं।

<sup>6</sup> उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड

<sup>7</sup> निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

#### 5.4.2 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यरत के साथ-साथ निष्क्रिय रा सा क्षे उ के विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था।

### 5.5 रा सा क्षे उ से प्रतिफल

#### 5.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ

2022-23 में लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ<sup>8</sup> की संख्या 12 थी जो 2021-22 के समान थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 257.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 232.20 करोड़ हो गया।

शीर्ष तीन रा सा क्षे उ जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया, उन्हें तालिका-5.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.3: शीर्ष तीन रा सा क्षे उ जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया

रा सा क्षे उ का नाम	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	कुल लाभ पर रा सा क्षे उ लाभ का प्रतिशत
यूजेवीएन लिमिटेड	117.76	50.71
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	48.65	20.95
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	20.26	8.73
<b>योग</b>	<b>186.67</b>	<b>80.39</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।

अकेले इन तीन रा सा क्षे उ का 2022-23 के दौरान 12 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 232.20 करोड़) में 80.39 प्रतिशत योगदान था।

रा सा क्षे उ का शुद्ध लाभ अनुपात<sup>9</sup> तालिका-5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.4: रा सा क्षे उ का शुद्ध लाभ अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	शुद्ध लाभ	टर्नओवर	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	(-)1088.76	9936.49	-
अन्य रा सा क्षे उ	48.06	2513.40	1.91
<b>योग</b>	<b>(-)1040.70</b>	<b>12449.89</b>	<b>-</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार

#### 5.5.2 रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिसके अन्तर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिलाभ

<sup>8</sup> 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त लेखे।

<sup>9</sup> शुद्ध लाभ/टर्नओवर\*100

का भुगतान करना अपेक्षित हो। रा सा क्षे उ द्वारा भुगतान किया गया लाभांश तालिका-5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.5: रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया	चुक्ता पूँजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5	6
2020-21	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	2	1941.65	178.56	45.01
	अन्य रा सा क्षे उ	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>1941.65</b>	<b>178.56</b>	<b>45.01</b>
2021-22	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	1	1372.68	121.86	30.00
	अन्य रा सा क्षे उ	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>1372.68</b>	<b>121.86</b>	<b>30.00</b>
2022-23	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	2	2120.38	134.88	25.01
	अन्य रा सा क्षे उ	-	-	-	-
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>2120.38</b>	<b>134.88</b>	<b>25.01</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 12 रा सा क्षे उ, जिन्होंने अपने नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार लाभ अर्जित किया, में से केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात् यूजेवीएन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) ने लाभांश का भुगतान/घोषणा की। यूजेवीएन लिमिटेड और पिटकुल ने 2022-23 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय के क्रमशः 1.50 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत की दर से लाभांश भुगतान/घोषणा की थी। अन्य 10 लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ में से किसी ने भी 2022-23 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

## 5.6 ऋण भुगतान

### 5.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व (ई बी आई टी) कम्पनी की आय को उसी अवधि के ब्याज के व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। रा सा क्षे उ जिन पर ब्याज का भार है का ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका-5.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.6: रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले रा सा क्षे उ की संख्या	1 से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या	1 से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या
2020-21	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	246.94	308.32	3	2	1
	अन्य रा सा क्षे उ	58.85	6.15	9	4	5
	<b>कुल</b>	<b>305.79</b>	<b>314.47</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
2021-22	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	280.12	464.13	3	3	0
	अन्य रा सा क्षे उ	59.14	54.01	9	5	4
	<b>कुल</b>	<b>339.26</b>	<b>518.14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
2022-23	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	380.20	(-)666.83	3	2	1
	अन्य रा सा क्षे उ	59.14	54.01	9	5	4
	<b>कुल</b>	<b>439.34</b>	<b>(-)612.82</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।

2022-23 के दौरान, यह देखा गया कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित तीन रा सा क्षे उ, जिनमें ऋण की देयता थी, उनमें से दो का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक और एक का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। हालांकि, अन्य रा सा क्षे उ के प्रकरण में, जिनके पास ऋण की देयता है, केवल पांच रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था और शेष चार रा सा क्षे उ का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये रा सा क्षे उ ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रहे थे।

## 5.7 रा सा क्षे उ का वित्तीय प्रदर्शन

### 5.7.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी<sup>10</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान आर ओ सी ई का विवरण तालिका-5.7 में नीचे दिया गया है।

<sup>10</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त आरक्षित और आधिक्य + दीर्घकालिक ऋण-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका-5-7: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर ओ सी ई (प्रतिशत में)
2020-21	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	308.32	5601.92	5.50
	अन्य रा सा क्षे उ	69.91	370.82	18.85
	<b>कुल</b>	<b>378.23</b>	<b>5972.74</b>	<b>6.33</b>
2021-22	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	464.13	5769.31	8.04
	अन्य रा सा क्षे उ	119.81	366.14	32.72
	<b>कुल</b>	<b>583.94</b>	<b>6135.45</b>	<b>9.52</b>
2022-23	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	(-)666.83	4475.66	(-)14.90
	अन्य रा सा क्षे उ	120.76	366.08	32.99
	<b>कुल</b>	<b>(-)546.07</b>	<b>4841.74</b>	<b>(-)11.28</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।

2020-21 से 2021-22 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि आर ओ सी ई सकारात्मक थी, हालांकि 2022-23 में यह ऋणात्मक थी। उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) में विद्युत् खरीद लागत अधिक होने से असाधारण हानि के परिणामस्वरूप ई बी आई टी एवं नियोजित पूँजी में कमी हुई, जिस कारण से 2021-22 की तुलना में 2022-23 में आर ओ सी ई कम हुई।

### 5.7.2 रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक मापक है जिसमें यह गणना की जाती है कि कम्पनी की सम्पत्तियों का उपयोग लाभ सृजित करने हेतु कितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में तभी की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं।

2022-23 में, लाभ अर्जित करने वाले 12 कार्यरत रा सा क्षे उ की इक्विटी पर प्रतिफल<sup>11</sup> 5.07 प्रतिशत रहा। हानि में चल रहे सात रा सा क्षे उ सहित सभी 19<sup>12</sup> कार्यरत रा सा क्षे उ में समग्र आर ओ ई 2022-23 में ऋणात्मक था।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात् की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त सम्पत्तियां विक्रय एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारकों

<sup>11</sup> इक्विटी पर प्रतिफल = (कर के बाद शुद्ध लाभ/अंशधारक की इक्विटी)X 100 जहां अंशधारक की इक्विटी + प्रदत्त पूँजी + मुक्त आरक्षित-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।

<sup>12</sup> पांच रा सा क्षे उ को छोड़कर, जिनमें से तीन रा सा क्षे उ (सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड, एन आई सी डी सी, उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड और इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड) ने अपने लेखे जमा नहीं किए हैं और दो रा सा क्षे उ (देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड और किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का टर्नओवर शून्य है।

हेतु कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के निर्वाहन हेतु पर्याप्त सम्पत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की इक्विटी का अर्थ है कि दायित्व सम्पत्ति से अधिक हैं।

कार्यरत रा सा क्षे उ से सम्बन्धित शेयरधारक निधि और आर ओ ई का विवरण तालिका-5.8 में दिया गया है।

तालिका-5.8: रा सा क्षे उ से सम्बन्धित इक्विटी पर वापसी

वर्ष	विवरण	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत)
2020-21	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	26.81	1023.69	2.62
	अन्य रा सा क्षे उ	(-)2.13	(-)215.33	-
	<b>कुल</b>	<b>24.68</b>	<b>808.36</b>	<b>3.05</b>
2021-22	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	138.45	1227.04	11.28
	अन्य रा सा क्षे उ	47.28	(-)219.23	-
	<b>कुल</b>	<b>185.73</b>	<b>1007.81</b>	<b>18.43</b>
2022-23	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	(-)1088.76	44.16	-
	अन्य रा सा क्षे उ	48.06	(-)219.29	-
	<b>कुल</b>	<b>(-)1040.70</b>	<b>(-)175.13</b>	<b>-</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार।

2020-21 और 2021-22 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के दो<sup>13</sup> रा सा क्षे उ के लाभ प्रदर्शन के फलस्वरूप समग्र आर ओ ई सकारात्मक था। हालांकि, 2022-23 के दौरान आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि रा सा क्षे उ की समग्र शुद्ध आय मुख्य रूप से एक रा सा क्षे उ अर्थात् यू पी सी एल को वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि के कारण ऋणात्मक थी।

### 5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर

प्रत्येक वर्ष के अन्त में 31 मार्च 2023 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य (पी वी) पर लाने के लिए, रा सा क्षे उ में राज्य सरकार द्वारा पिछले निवेश/वर्षवार धन के निवेश को सरकारी ऋणों पर वर्षवार औसत ब्याज दर पर संयोजित किया गया है जिसे सम्बन्धित वर्ष के लिए सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार निवेश के पी वी की गणना की गई, जहां राज्य सरकार ने परिचालन और प्रबन्धकीय व्ययों के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश किया था, यदि कोई हो *घटाया* : विनिवेश इन कंपनियों की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2023 तक।

रा सा क्षे उ में राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

<sup>13</sup> यू जे वी एन लिमिटेड और पिटकुल

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किया गया निधियों का निवेश माना गया है क्योंकि रा सा क्षे उ द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों की कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अतिरिक्त, उन प्रकरणों में जहां रा सा क्षे उ को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋणों की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष<sup>14</sup> के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को पी वी पर लाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश हेतु वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

2001-02 से 2022-23 की अवधि के लिए 21 रा सा क्षे उ (तीन<sup>15</sup> रा सा क्षे उ को छोड़कर जहां राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था) में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार की निधियों के निवेश की रा सा क्षे उ वार स्थिति **परिशिष्ट-5.3** में इंगित की गई है।

22 रा सा क्षे उ (दो<sup>16</sup> रा सा क्षे उ को छोड़कर) में सामान्य अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के पी वी की समेकित स्थिति एवं कुल आय **तालिका-5.9** में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका-5.9: 2001-02 से 2022-23 की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्ष-वार का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रबन्धकीय व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान/ सन्निधि	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष <sup>17</sup> के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय <sup>18</sup>
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii
						VII=III+IV+V+VI	viii=ii+vii		x=viii*(1+ix/100)	xi=x-viii	
प्रा शे		37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	37.75	0.00	37.75		
2001-02	37.75	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20	55.95	8.36	60.63	4.68	-30.78
2002-03	60.63	18.30	3.72	0.00	0.00	22.02	82.65	10.40	91.24	8.60	-17.19
2003-04	91.24	14.68	0.00	0.00	0.25	14.93	106.17	8.51	115.21	9.04	-48.12

<sup>14</sup> सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए राज्य वित्त (उत्तराखण्ड सरकार) पर सी ए जी की रिपोर्टों से अपनाई गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर + ब्याज भुगतान / {(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2}\*100

<sup>15</sup> उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सिडकुल प्लास्टिक पार्क और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड।

<sup>16</sup> सिडकुल प्लास्टिक पार्क और एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड।

<sup>17</sup> वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य घटाया: वर्ष के अंत में कुल निवेश।

<sup>18</sup> वर्ष के लिए कुल आय उन 22 रा सा क्षे उ से संबंधित नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार कुल शुद्ध आय (लाभ/हानि) दर्शाती है जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था।

2004-05	115.21	195.37	0.00	0.00	0.40	195.77	310.98	9.10	339.28	28.30	-189.20
2005-06	339.28	263.90	9.72	0.00	1.88	275.50	614.78	7.47	660.70	45.92	-135.13
2006-07	660.70	144.35	-0.25	0.00	4.50	148.60	809.30	7.79	872.35	63.04	-178.02
2007-08	872.35	232.42	23.42	0.00	4.20	260.04	1132.39	7.99	1222.86	90.48	-194.93
2008-09	1222.86	73.58	5.49	0.00	6.75	85.82	1308.68	7.75	1410.11	101.42	-311.25
2009-10	1410.11	697.83	0.00	0.00	9.18	707.01	2117.12	7.64	2278.86	161.75	-505.96
2010-11	2278.86	31.78	0.00	0.00	0.37	32.15	2311.01	7.34	2480.64	169.63	-172.58
2011-12	2480.64	44.00	100.52	0.00	3.40	147.92	2628.56	7.83	2834.38	205.82	-35.39
2012-13	2834.38	518.41	25.00	0.00	2.20	545.61	3379.99	8.50	3667.29	287.30	-53.95
2013-14	3667.29	259.91	10.00	0.00	4.59	274.50	3941.79	7.57	4240.18	298.39	289.80
2014-15	4240.18	330.82	1.00	158.86	6.25	179.21	4419.39	7.73	4761.01	341.62	-179.42
2015-16	4761.01	208.94	8.00	0.00	22.85	239.79	5000.80	8.19	5410.37	409.57	94.96
2016-17	5410.37	130.10	0.00	0.00	16.96	147.06	5557.43	8.91	6052.59	495.17	-203.35
2017-18	6052.59	53.15	0.00	0.00	63.01	116.16	6168.75	8.27	6678.91	510.16	-236.69
2018-19	6678.91	194.03	0.00	0.00	234.02	428.05	7106.96	8.15	7686.17	579.22	-578.67
2019-20	7686.17	133.34	0.00	0.00	222.90	356.24	8042.41	7.26	8626.29	583.88	-208.34
2020-21	8626.29	147.58	0.00	0.00	214.51	362.09	8988.38	6.83	9602.29	613.91	24.68
2021-22	9602.29	107.81	0.00	0.00	202.01	309.82	9912.11	6.55	10561.35	649.24	185.73
2022-23	10561.35	133.27	0.00	0.00	166.15	299.42	10860.77	6.56	11573.24	712.47	-1040.70
कुल		3989.52	186.62	158.86	1186.38						

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त 2022-23 में रा सा क्षे उ में शेष निवेशित धनराशि का वर्ष 2001-02 में ₹ 55.95 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,860.77 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने इन रा सा क्षे उ में 2001-02 से 2022-23 की अवधि के दौरान परिचालन और प्रबन्धकीय व्ययों के लिए इक्विटी (₹ 3,951.77 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹ 186.62 करोड़) और अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,186.38 करोड़) के रूप में निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों का पीवी ₹ 11,573.24 करोड़ थी। 2001-02 से 2022-23 के सभी वर्षों के दौरान, इन रा सा क्षे उ में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए कुल आय न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रही।

## 5.8 रा सा क्षे उ की हानियाँ

### 5.8.1 वहन की गई हानियाँ

सात कार्यरत रा सा क्षे उ थे जिन्हें उनके नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार हानि हुई। मार्च 2023 तक इन रा सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश ₹ 2001.94 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1785.43 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 216.51 करोड़) था। इन सात रा सा क्षे उ में से, एक रा सा क्षे उ अर्थात् यू पी सी एल में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1531.50 करोड़ (76.50 प्रतिशत) था। 2020-21 में नौ रा सा क्षे उ को ₹ 230.14 करोड़ की हानि की तुलना में 2022-23 में सात रा सा क्षे उ की हानि बढ़कर ₹ 1,272.90 करोड़ हो गई। एक विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) की हानि 2020-21 में ₹ 151.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,223.64 करोड़ हो गई, जैसा तालिका-5.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि वहन करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य <sup>19</sup>
2020-21	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	01	(-)151.75	(-)3851.01	(-)2376.10
	अन्य रा सा क्षे उ	08	(-)78.39	(-)1550.37	(-)1267.22
	<b>कुल</b>	<b>09</b>	<b>(-)230.14</b>	<b>(-)5401.38</b>	<b>(-)3643.32</b>
2021-22	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	01	(-)21.42	(-)3872.44	(-)2382.53
	अन्य रा सा क्षे उ	06	(-)50.04	(-)1271.89	(-)1007.13
	<b>कुल</b>	<b>07</b>	<b>(-)71.46</b>	<b>(-)5144.33</b>	<b>(-)3389.66</b>
2022-23	विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ	01	(-)1223.64	(-)5288.07	(-)3758.16
	अन्य रा सा क्षे उ	06	(-)49.26	(-)1271.95	(-)1007.19
	<b>कुल</b>	<b>07</b>	<b>(-)1272.90</b>	<b>(-) 6560.02</b>	<b>(-)4765.35</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार

2022-23 में, सात रा सा क्षे उ द्वारा वहन किए गए ₹ 1,272.90 करोड़ के कुल हानि में से, ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि मात्र एक विद्युत क्षेत्र रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) द्वारा वहन की गई।

### 5.8.2 रा सा क्षे उ में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2023 को, आठ रा सा क्षे उ की संचित हानि ₹ 6,892.07 करोड़ की थी जैसा **परिशिष्ट-5.4** में दिया गया है। इनमें से, छः रा सा क्षे उ को 30 सितम्बर 2023 तक नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार ₹ 1,264.97 करोड़ की हानि वहन हुई।

इन आठ में से छः रा सा क्षे उ का कुल निवल मूल्य, संचित हानि से पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था और उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इन छः रा सा क्षे उ का निवल मूल्य पांच से 22 वर्षों की अवधि में ऋणात्मक रहा है। 31 मार्च 2023 तक इन छः रा सा क्षे उ के ₹ 1,796.68 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष कुल निवल मूल्य (-) ₹ 4,787.16 करोड़ था। छः रा सा क्षे उ में से, जिनकी पूंजी का क्षरण हो गया था दो<sup>20</sup> रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 22.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2023 तक छः में से पांच रा सा क्षे उ पर, ₹ 317.24 करोड़ का सरकारी ऋण बकाया था, जैसा कि **तालिका-5.11** में वर्णित है।

<sup>19</sup> निवल मूल्य = चुकता अंश पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से सृजित सभी आरक्षित राशियां लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान को वापस लिखने से सृजित भंडार शामिल नहीं हैं।

<sup>20</sup> किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

तालिका-5.11: रा सा क्षे उ का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार क्षरण हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	खाते का वर्ष	कुल चुकता पूंजी	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ (+)/(-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि, जब से निवल मूल्य ऋणात्मक रही है	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राज्य <sup>21</sup> सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 की स्थिति अनुसार राज्य <sup>21</sup> सरकार ऋण
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	(-)1223.64	(-)5288.07	(-)3758.16	2001-02	1529.91	1.59
2	डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड <sup>22</sup>	2021-22	6.00	(-)16.59	(-)441.65	(-)435.65	2002-03	6.00	127.99
3	किच्छा शहर कंपनी लिमिटेड <sup>22</sup>	2021-22	17.99	20.26	(-)294.40	(-)276.41	2002-03	17.54	119.32
4	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड <sup>22</sup>	2022-23	0.10	(-)0.06	(-)3.10	(-)3.06	2018-19	0.10	0.00
5	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	4.08	2.57	(-)24.84	(-)20.76	2015-16	1.20	19.50
6	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	238.60	(-)3.87	(-)531.72	(-)293.12	2003-04	229.36	48.84
	<b>महायोग</b>		<b>1796.68</b>	<b>(-)1221.33</b>	<b>(-)6583.84</b>	<b>(-)4787.16</b>		<b>1784.11</b>	<b>317.24</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार

## 5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

सी ए जी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सी ए जी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी जारी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाले कानूनों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखों की लेखा परीक्षा सी ए जी द्वारा की जाए और एक रिपोर्ट विधानमण्डल को प्रस्तुत की जाए।

## 5.10 सी ए जी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सी ए जी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर की जानी होती है।

<sup>21</sup> ये आंकड़े प्रस्तर संख्या 5.4.1 में कुल निवेश के आंकड़ों का हिस्सा हैं।

<sup>22</sup> 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने देनदारियों/स्थापना व्ययों का भुगतान हेतु ₹ 106.16 करोड़ (डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड- ₹ 61.27 करोड़, किच्छा शहर कंपनी लिमिटेड- ₹ 36.39 करोड़ और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड - ₹ 8.50 करोड़) का अनुदान और सब्सिडी प्रदान की थी।

## 5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

### 5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कामकाज तथा कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक<sup>23</sup> (ए जी एम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इसके पश्चात शीघ्रातिशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या उसके पूरक प्रतिवेदन पर सी ए जी की टिप्पणियों, के साथ विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की ए जी एम आयोजित करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए जी एम की तारीख और अगली ए जी एम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन न करने पर जिम्मेदार व्यक्तियों सहित कम्पनी के निदेशकों पर जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान करती है।

विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक खाते 30 सितंबर 2023 तक लम्बित थे, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

### 5.11.2 रा सा क्षे उ द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा

31 मार्च 2023 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में 29 रा सा क्षे उ<sup>24</sup> थे। इनमें से वर्ष 2022-23 के लिए 29 रा सा क्षे उ से लेखे बकाया थे, जिनमें सात<sup>25</sup> परिसमापन के अधीन थे। हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए केवल पाँच रा सा क्षे उ ने 30 सितम्बर 2023 तक सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 24 रा सा क्षे उ के 282 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट-5.5** में बताया गया है। रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत न किये गए लेखों का विवरण **तालिका-5.12** में दिया गया है।

<sup>23</sup> पहली ए जी एम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी अर्थात् 30 सितंबर।

<sup>24</sup> पैराग्राफ 5.11.3 में चर्चा किए गए चार सांविधिक निगमों को छोड़कर।

<sup>25</sup> यू पी ए आई; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (यू पी डी एल), के एम वी एन लिमिटेड की सहायक; कुम्ह्रॉन लिमिटेड (कुम्ह्रॉन), हिल्ड्रॉन की सहायक; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (यू पी एच पी एल), हिल्ड्रॉन की सहायक; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (यू पी एच क्यू एल), हिल्ड्रॉन की सहायक; गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जी ए जे वी एन एल) गढ़वाल लिमिटेड की सहायक।

तालिका-5.12: लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		रा सा क्षे उ की संख्या	लेखों की संख्या
31.03.2023 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा कम्पनियों की कुल संख्या		29	--
घटाएँ: नई कम्पनियाँ जिनसे 2022-23 के लेखे बकाया नहीं थे।		0	0
कम्पनियाँ जिनके 2022-23 के लेखे बकाया थे।		29	29
कम्पनियों की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए सी ए जी लेखापरीक्षा हेतु लेखों को प्रस्तुत किया।		5	5
<b>बकाया वार्षिक लेखों की संख्या</b>		24	282
बकाया लेखों का विवरण	(i) परिसमापन के अधीन	07	152
	(ii) निष्क्रिय	02	59
	(iii) अन्य	15	71
'अन्य' श्रेणी के बकाया लेखों का वर्ष-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	07	07
	दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	01	02
	तीन वर्ष और उससे अधिक	07	62

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित।

बहिर्गमन सम्मलेन के दौरान, सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि खातों को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित रा सा क्षे उ के प्रबन्ध निदेशकों को पत्र लिखा जाएगा।

### 5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

चार<sup>26</sup> सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा सम्पादित की जाती है और इनमें से तीन<sup>27</sup> सांविधिक निगमों के लिए सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है। किसी भी सांविधिक निगम ने 30 सितम्बर 2023 से पहले वर्ष 2022-23 के लेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया। 30 सितम्बर 2023 तक, चार सांविधिक निगमों के दस लेखें बकाया थे।

## 5.12 सी ए जी का निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

### 5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण<sup>28</sup> नाम दिया गया है, वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सांविधिक निगमों को अपने लेखें सी ए जी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से सम्बन्धित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के तहत निर्धारित प्रारूप में अपने लेखे तैयार करना आवश्यक है।

<sup>26</sup> उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

<sup>27</sup> उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

<sup>28</sup> 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी

### 5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सी ए जी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निरीक्षण की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित और प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इस कार्य को निम्न शक्ति का उपयोग करके निर्वहन किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करें; और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करें।

### 5.12.3 सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबन्धन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा सी ए जी द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सी ए जी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सी ए जी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

## 5.13 सी ए जी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

### 5.13.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 और पूर्व वर्षों के 22 वित्तीय विवरण (वि वि) 14 रा सा क्षे उ से 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि में प्राप्त हुए थे। सी ए जी द्वारा

लेखापरीक्षा में 12<sup>29</sup> रा सा क्षे उ के 17 वित्तीय विवरण की समीक्षा की गई और तीन रा सा क्षे उ के पांच वित्तीय विवरण के लिए गैर समीक्षा प्रमाणपत्र (गै स प्र) जारी किये गये। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

### 5.13.2 सरकारी कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 तथा पूर्व वर्षों के लिए वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के पश्चात, सी ए जी ने 12 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा सम्पादित की। इन वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो लाभप्रदता पर ₹ 58.45 करोड़ और वित्तीय स्थिति- सम्पत्तियों/दायित्वों पर ₹ 147.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को दर्शाती हैं, **परिशिष्ट-5.6** व **परिशिष्ट-5.7** में दर्शाई गई है।

### 5.13.3 सांविधिक निगम जहां सी ए जी एकमात्र / अनुपूरक लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों, जिनमें सी ए जी एकमात्र/अनुपूरक लेखापरीक्षक है, के वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनमें लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति-सम्पत्तियों/दायित्वों पर ₹ 339.60 करोड़ का वित्तीय प्रभाव दर्शाया गया है, **परिशिष्ट-5.8** में दर्शाई गई है।

## 5.14 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, चार सांविधिक निगमों सहित 33 रा सा क्षे उ थे। 33 रा सा क्षे उ में से नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय हैं। रा सा क्षे उ ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया। 24 रा सा क्षे उ के 282 लेखे बकाया थे।

12 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 232.20 करोड़ के कुल लाभ में तीन रा सा क्षे उ द्वारा 80.39 प्रतिशत का योगदान किया गया था। सात रा सा क्षे उ को हुई ₹ 1,272.90 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि एक रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) को हुई थी। 12 रा सा क्षे उ में से, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल दो रा सा क्षे उ ने लाभांश घोषित किया।

## 5.15 संस्तुतियाँ

- **राज्य सरकार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धन को अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित कर सकती है। 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 282 खाते बकाया थे;**

<sup>29</sup> एक कम्पनी- किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहां शामिल है और रा.सा.क्षे.उ.में भी, जिसको गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था क्योंकि इस कम्पनी के वित्तीय विवरण वर्ष 2021-22 और 2022-23 के प्राप्त हुए थे। एक वित्तीय विवरण (2021-22) की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और एक वित्तीय विवरण 2022-23 के लिए गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।


- राज्य सरकार द्वारा किए गए इक्विटी निवेश पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए एक लाभांश नीति तैयार कर सकती है;
- नौ निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। नौ में से सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों परिसमापन के अधीन हैं और परिसमापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। सरकार उन दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में निर्णय ले सकती है जो काफी अवधि से निष्क्रिय हैं;
- राज्य सरकार उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हानियों के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनमें निवल मूल्य का क्षरण हो गया है, उनकी दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने के उपायों को लागू करके परिचालन जारी रखने का निर्णय ले सकती है।

देहरादून  
दिनांक: 10 अप्रैल 2024

  
(प्रवीन्द्र यादव)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),  
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 26 अप्रैल 2024

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट**



**परिशिष्ट-1.1**  
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1 व 1.1.1; पृष्ठ 1, 2)  
**राज्य की रूपरेखा**

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
	क.	पर्वतीय	46,035 वर्ग किमी
	ख.	मैदान	7,448 वर्ग किमी
	ग.	वनीय	38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	<b>जनसंख्या</b>		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.26 प्रतिशत
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.00)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2021) (अखिल भारतीय औसत=0.633)		0.72
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2022-23 प्रचलित दरों पर (₹ करोड़ में)		3,02,621
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2012-22)	उत्तराखण्ड	6.93
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2012-22)	अखिल भारतीय	9.12
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2012-22) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	8.18
	स घ उ सी ए जी आर (2012-22) प्रचलित दरों पर	अखिल भारतीय	10.34
13.	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	उत्तराखण्ड	12.39
		अखिल भारतीय	11.68

\* स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर एस. एफ. ए. आर. संकलन।

परिशिष्ट -1.2

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3.2, पृष्ठ 11)

31 मार्च 2023 तक उत्तराखंड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
<b>आंतरिक ऋण</b>	<b>53,759.16</b>	<b>53,558.43</b>
ब्याज वाले बाजार ऋण	43,460.00	44,910.00
बाजार ऋण जिन पर ब्याज नहीं है	0.03	0.02
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50	1.50
अन्य संस्थानों से ऋण	10,297.63	8,646.91
भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	--	--
<b>भारत सरकार से ऋण और अग्रिम</b>	<b>7,443.32</b>	<b>8,600.36</b>
आयोजनेत्तर ऋण	2.23	1.80
राज्य योजना योजनाओं के लिए ऋण	428.72	377.36
पूर्व 1984-85 ऋण	0.53	0.53
राज्य के लिए अन्य ऋण	7,011.84	8,220.67
<b>आकस्मिकता निधि (कोष)</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि।	9,330.63	9,453.58
<b>जमा</b>	<b>3,536.19</b>	<b>3,880.66</b>
<b>आरक्षित निधियाँ</b>	<b>4,653.02</b>	<b>4,824.64</b>
उचंत और विविध अवशेष	--	--
प्रेषण शेष राशि	--	--
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता	--	3,890.97
<b>योग</b>	<b>79,222.32</b>	<b>84,708.64</b>
<b>संपत्ति</b>		
<b>स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजी परिव्यय -</b>	<b>71,858.97</b>	<b>80,053.48</b>
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,818.94	4,043.90
अन्य पूंजीगत व्यय	68,040.03	76,009.58
<b>आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)</b>	<b>268.66</b>	<b>178.50</b>
<b>ऋण और अग्रिम -</b>	<b>2,378.28</b>	<b>2,454.61</b>
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	498.98	484.58
अन्य विकास ऋण	1,896.48	1,986.69
सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	(-)17.18	(-)16.66
विभागीय अधिकारियों के साथ अग्रिम	0.42	0.42
प्रेषण शेष राशि	(-)71.01	(-)88.23
<b>नकद</b>	<b>3,837.18</b>	<b>2,318.65</b>

दायित्व	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद	--	--
विभागीय नकद शेष	(-)10.71	(-)10.71
स्थायी अग्रिम/नकद प्रभाव	(-)0.81	(-)0.81
नकद शेष निवेश	2037.62	653.37
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	112.46	(-)131.82
चिह्नित कोषों से निवेश	1,698.62	1,808.62
उचंत और विविध अवशेष	(-)481.01	(-)208.79
प्राप्तियों पर खर्च की संचयी अधिकता	1,430.83	--
<b>योग</b>	<b>79,222.32</b>	<b>84,708.64</b>

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 31 एवं 44)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
<b>भाग अ. प्राप्तियाँ</b>						
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>31,216</b>	<b>30,723</b>	<b>38,205</b>	<b>43,057</b>	<b>49,083</b>	
(i) कर राजस्व	12,188 (39)	11,513 (37)	11,938 (31)	14,176 (33)	17,102(35)	
एस जी एस टी	4,802 (39)	4,931 (43)	5,053 (42)	5,973 (42)	7,341(43)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,883 (15)	1,811 (16)	1,858 (16)	2,302 (16)	2,555(15)	
राज्य आबकारी	2,871 (24)	2,727 (24)	2,966 (25)	3,258 (23)	3,526(21)	
वाहनों पर कर	909 (8)	908 (8)	741 (6)	889 (6)	1,211(7)	
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,015 (8)	1,072 (9)	1,107 (9)	1,488 (10)	1,987(12)	
भू-राजस्व	34 (-)	24 (-)	17 (0)	40 (0)	65(0)	
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	00 (0)	00 (0)	00(0)	
अन्य	674 (6)	40 (-)	196 (2)	226 (2)	417(2)	
(ii) करेत्तर राजस्व	3,310 (10)	3,999 (13)	4,171 (11)	2,756 (6)	4,367(9)	
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	8,011 (26)	6,902 (22)	6,569 (17)	9,906 (23)	10,617(22)	
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	7,707 (25)	8,309 (27)	15,527 (41)	16,219 (38)	16,997(35)	
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>0.01</b>	<b>--</b>	<b>0.20</b>	<b>--</b>	<b>11.83</b>	
<b>3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>4. कुल राजस्व एवं ऋणेततर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>31,243</b>	<b>30,742</b>	<b>38,228</b>	<b>43,074</b>	<b>49,112</b>	
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>7,275</b>	<b>6,148</b>	<b>9,787</b>	<b>4,140</b>	<b>5,036</b>	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,170 (99)	5,765 (94)	6,728 (69)	3,787 (51)	3,817(76)	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	313 (05)	--	--	--	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	105 (1)	70 (01)	3,059 (31)	3,686 (49)	1,219(24)	
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>38,518</b>	<b>36,890</b>	<b>48,015</b>	<b>47,214</b>	<b>54,148</b>	
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>217</b>	<b>94</b>	<b>02</b>	<b>436</b>	<b>269</b>	
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>41,790</b>	<b>45,330</b>	<b>47,563</b>	<b>52,779</b>	<b>59,433</b>	
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>80,525</b>	<b>82,314</b>	<b>95,580</b>	<b>1,03,762</b>	<b>1,13,850</b>	
<b>भाग ब. व्यय/संवितरण<sup>1</sup></b>						
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>32,196</b>	<b>32,859</b>	<b>37,091</b>	<b>38,929</b>	<b>43,773</b>	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	28,296 (88)	28,893 (88)	32,678 (88)	35,870 (92)	39,452(90)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	3,900 (12)	3,966 (12)	4,413 (12)	3,059 (8)	4,321(10)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)		13,525 (42)	13,844 (42)	14,826 (40)	15,668 (40)	16,889(39)
सामाजिक सेवाएँ		12,209 (38)	12,593 (39)	14,762 (40)	15,573 (40)	18,156(41)
आर्थिक सेवाएँ		5,003 (16)	4,704 (14)	5,571 (15)	6,148 (16)	6,687(15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान		1,459 (4)	1,717 (5)	1,932 (5)	1,540 (4)	2,041(5)

<sup>1</sup> वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>6,184</b>	<b>5,414</b>	<b>6,538</b>	<b>7,534</b>	<b>8,194</b>	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	3,533 (57)	3,055 (56)	3,192 (49)	4,335 (58)	4,398(54)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	2,651 (43)	2,359 (44)	3,346 (51)	3,199 (42)	3,797(46)
सामान्य सेवाएँ		454 (7)	362 (7)	755 (11)	1,085 (14)	1,608(20)
सामाजिक सेवाएँ		1,099 (18)	1,610 (30)	1,938 (30)	2,262 (30)	2,013(24)
आर्थिक सेवाएँ		4,631 (75)	3,442 (63)	3,845 (59)	4,187 (56)	4,573(56)
<b>12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>183</b>	<b>126</b>	<b>38</b>	<b>347</b>	<b>94</b>	
<b>13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)</b>	<b>38,563</b>	<b>38,399</b>	<b>43,667</b>	<b>46,810</b>	<b>52,061</b>	
<b>14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>2,057</b>	<b>2,131</b>	<b>2,921</b>	<b>3,386</b>	<b>4,079</b>	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		2,013	2,084	2,550	3,330	4,017
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	313	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		44	47	58	56	62
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>40,620</b>	<b>40,530</b>	<b>46,588</b>	<b>50,196</b>	<b>56,140</b>	
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>107</b>	<b>26</b>	<b>226</b>	<b>212</b>	<b>179</b>	
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>39,947</b>	<b>42,569</b>	<b>47,261</b>	<b>53,304</b>	<b>59,159</b>	
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>80,674</b>	<b>83,125</b>	<b>94,075</b>	<b>1,03,712</b>	<b>1,15,478</b>	
<b>भाग स. घाटा/आधिक्य</b>						
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)</b>	<b>(-) 980</b>	<b>(-) 2,136</b>	<b>(+) 1,114</b>	<b>(+) 4,128</b>	<b>(+) 5,310</b>	
<b>21. राजकोषीय घाटा (4-13)</b>	<b>7,320</b>	<b>7,657</b>	<b>5,439</b>	<b>3,736</b>	<b>2,949</b>	
<b>22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)</b>	<b>(-) 2,845</b>	<b>(-) 3,153</b>	<b>(-) 666</b>	<b>1,203</b>	<b>2,155</b>	
<b>भाग द. अन्य आँकड़े</b>						
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)</b>	<b>4,475</b>	<b>4,504</b>	<b>4,773</b>	<b>4,939</b>	<b>5,104</b>	
<b>24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता</b>	<b>4,466</b>	<b>4,800</b>	<b>6,441</b>	<b>5,858</b>	<b>7,631</b>	
<b>25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)</b>	<b>167</b>	<b>140</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज</b>	<b>6.08</b>	<b>5.18</b>	<b>5.21</b>	<b>0.06</b>	<b>2.23</b>	
<b>27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)<sup>@</sup></b>	<b>2,30,314</b>	<b>2,39,247</b>	<b>2,36,860</b>	<b>2,72,159</b>	<b>3,02,621</b>	
<b>28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)</b>	<b>58,039</b>	<b>65,982</b>	<b>73,751</b>	<b>77,024</b>	<b>78,509</b>	
<b>29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)</b>	<b>1,311</b>	<b>854</b>	<b>729</b>	<b>374</b>	<b>117</b>	
<b>30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)</b>	<b>2,105</b>	<b>उपलब्ध नहीं</b>	<b>उपलब्ध नहीं</b>	<b>उपलब्ध नहीं</b>	<b>407</b>	
<b>31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>143</b>	<b>75</b>	<b>143</b>	
<b>32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)</b>	<b>480.30</b>	<b>627.08</b>	<b>437.61</b>	<b>357.00</b>	<b>564.00</b>	
<b>भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)</b>						
<b>I संसाधन का जुटाव</b>						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.053	0.048	0.053	0.053	0.057	
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.014	0.017	0.018	0.010	0.014	
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.068	0.064	0.098	0.097	0.091	
<b>II व्यय प्रबन्धन</b>						
कुल व्यय/स रा घ उ	0.167	0.160	0.193	0.174	0.172	
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.24	1.25	1.14	1.09	1.06	
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.83	0.86	0.85	0.83	0.84	
<b>*नोट: बदला हुआ प्रपत्र</b>						

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.37	0.38	0.38	0.39
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.21	0.22	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.16	0.14	0.15	0.16	0.16
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.004	(-) 0.009	(+) 0.005	(+) 0.015	(+) 0.018
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.032	(-) 0.032	(-) 0.024	(-) 0.014	(-) 0.010
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.012	(-) 0.013	(-) 0.003	(+) 0.004	(+) 0.007
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	(+) 0.134	(+) 0.279	(-) 0.205	(-) 1.105	(-) 1.801
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.023	(-) 0.028	(-) 0.016	(-) 0.002	0.003
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.25	0.28	0.33	0.29	0.26
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.86	2.15	1.93	1.79	1.60
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	28.27	34.66	29.85	45.31	81.00
<b>V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक</b>					
निवेश का प्रतिफल	18.69	14.08	40.02	35.05	25.07
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.93	0.90	0.93	0.98	1.05

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक विभाग, नि एवं म ले प के रा वि ले प्र संकलन से वर्तमान कीमतों पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 91)

## बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।

**31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक कार्य से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब लघु शीर्ष कई हैं और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनःविनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

## परिशिष्ट-5.1

(संदर्भित: प्रस्तर-5.3 पृष्ठ 168)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणी
<b>रा सा क्षे उ के विद्युत क्षेत्र</b>		
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
2.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
3.	यू जे वी एन लिमिटेड	कार्यरत
4.	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
<b>रा सा क्षे उ के अन्य क्षेत्र</b>		
5.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
6.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
7.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत
8.	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
9.	ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
10.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन ,इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
11.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कार्यरत
12.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	कार्यरत
13.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	कार्यरत
14.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
15.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	कार्यरत
16.	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
17.	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यरत
18.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	कार्यरत
19.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	कार्यरत
20.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	कार्यरत
21.	उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम	कार्यरत
22.	इको टूरिज्म-डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	कार्यरत
23.	एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	कार्यरत
24.	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	कार्यरत
25.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कु.म.वि.नि. लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय
26.	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणी
27.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
28.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
29.	कुम्ड्रॉन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
30.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
31.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
32.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन
33.	यू पी ए आई	निष्क्रिय - परिसमापन के अधीन

## परिशिष्ट-5.2

(संदर्भित: प्रस्तर-5.3 पृष्ठ 168)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम, जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 तक पूर्ण कर लिए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा सा क्षे उ के नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभहानि/	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभहानि/	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभहानि/
<b>अ</b>	<b>रा.सा.क्षे.उ. के विद्युत क्षेत्र</b>										
1	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	1243.02	-1050.42	-1223.64	150.37	8554.30	-2515.14	-3758.16	-5288.07
2	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	1074.63	109.31	17.12	82.31	372.68	2140.18	1065.55	341.67
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.50	2113.85	274.28	117.76	147.52	1009.51	4840.62	2726.77	1330.27
4	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	<b>विद्युत क्षेत्र का योग (अ)</b>		<b>3660.29</b>	<b>4431.50</b>	<b>-666.83</b>	<b>-1088.76</b>	<b>380.20</b>	<b>9936.49</b>	<b>4475.66</b>	<b>44.16</b>	<b>-3616.13</b>
<b>ब</b>	<b>रा.सा.क्षे.उ. के अन्य क्षेत्र</b>										
5	ब्रिजटनल ,रोपवे , एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	4.00	0.00	6.28	4.52	0.00	107.72	19.57	19.57	15.57
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	6.00	131.14	5.33	-16.59	21.92	99.92	-304.51	-435.65	-441.65
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	17.99	119.32	38.61	20.26	18.35	207.40	-157.09	-276.41	-294.40
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.00	0.00	9.76	9.76	0.00	499.51	78.72	78.72	77.72
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन ,इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	0.10	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-3.06	-3.06	-3.16
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
11	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2021-22	1.07	0.00	0.18	0.16	0.00	11.53	1.50	1.50	0.43
12	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	4.08	10.00	4.98	2.57	1.85	33.15	-10.76	-20.76	-24.84
13	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि.	2005-06	13.42	0.43	0.91	-1.51	1.21	100.49	13.18	12.75	-0.67

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा सा क्षेत्र के नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभहानि/	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभहानि/	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभहानि/
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.	2016-17	6.64	9.79	-7.64	-7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81
15	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	15.29	1.63	1.11	0.92	0.10	1.13	21.37	19.74	4.45
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	10.90	1.01	0.89	0.12	0.34	14.68	3.78	1.13
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	238.60	30.54	-3.87	-3.87	0.00	369.70	-262.58	-293.12	-531.72
19	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	0.00	75.47	-10.95	-19.30	8.35	152.00	-232.09	-307.56	-307.56
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	705.12	507.99	507.99	507.99
21	उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27
22	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	एन आई सी डी सी उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (लेखे प्राप्त नहीं)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>अन्य क्षेत्र का योग (ब)</b>		<b>340.11</b>	<b>585.37</b>	<b>120.76</b>	<b>48.06</b>	<b>59.14</b>	<b>2513.40</b>	<b>366.08</b>	<b>-219.29</b>	<b>-559.40</b>
	<b>कुल योग (ब+अ)</b>		<b>4000.40</b>	<b>5016.87</b>	<b>-546.07</b>	<b>-1040.70</b>	<b>439.34</b>	<b>12449.89</b>	<b>4841.74</b>	<b>-175.13</b>	<b>-4175.53</b>

## परिशिष्ट-5.3

(संदर्भित: प्रस्तर-5.7.3, पृष्ठ 175)

2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की निधियों के संचार को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	1		2		3		4		5		6		7		8	
	उ.पा.का.लि.		पिटकुल		यू जे वी एन लिमिटेड		किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड		उ.प्रो.डे.कं.का.लि.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड		डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड		ब्रिडकुल	
वर्ष	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ.
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	29.30	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	13.86	0.00	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	22.56	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	38.95	0.00	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	19.70	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2009-10	572.00	0.00	49.81	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	15.12	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	38.11	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2012-13	391.91	0.00	56.33	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	39.99	0.00	16.60	0.00	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	68.00	0.00	95.15	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	161.13	0.00	25.56	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	46.00	0.00	37.00	0.00	47.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	22.00	0.00	15.83	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	122.88	0.00	47.00	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	16.00	0.00	44.00	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	30.00	0.00	70.00	0.00	42.59	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	15.00	0.00	20.00	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	40.00	0.00	69.00	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>1529.91</b>	<b>0.00</b>	<b>723.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1396.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17.54</b>	<b>8.75</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	9		10		11		12		13		14		15		16	
वर्ष	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर् परेटिव लि		देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड		उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.		कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.		सिडकुल		उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ	इक्विटी	ब्याज मु ऋ
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	16.00	0.00	1.10	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.68	0.00
2004-05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13.42</b>	<b>16.08</b>	<b>6.64</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.46</b>	<b>0.00</b>

क्र.सं.	17		18		19		20		21		योग		कुल योग
वर्ष	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम		इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड		उत्तराखण्ड परिवहन निगम		उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम		उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम				
	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	इक्विटी	ब्याज मु. ऋ	
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00	37.75
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	18.20
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	3.72	22.02
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	14.68
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.37	0.00	195.37
2005-06	1.50	0.00	0.00	0.00	20.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	263.90	9.72	273.62
2006-07	0.15	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.35	-0.25	144.10
2007-08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42	23.42	255.84
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58	5.49	79.07
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.83	0.00	697.83
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	0.00	31.78
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.52	144.52
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.41	25.00	543.41
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.91	10.00	269.91
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	158.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.82	1.00	331.82
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.94	8.00	216.94
2016-17	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	130.10	0.00	130.10
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	0.00	53.15
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	194.03
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	133.34
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.58	0.00	147.58
2021-22	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.81	0.00	107.81
2022-23	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.27	0.00	133.27
<b>योग</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>229.36</b>	<b>161.79</b>	<b>0.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3989.52</b>	<b>186.62</b>	<b>4176.14</b>

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भित: प्रस्तर - 5.8.2, पृष्ठ 177)

अंतिम खातों के अनुसार रा सा क्षे उ का विवरण, जो संचित हानि में है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा सा क्षे उ के नाम	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किये गए	अंतिम खातों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	अंतिम खातों के अनुसार ऋण	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
<b>अ</b>	<b>सरकारी कम्पनियां</b>								
1	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	2023-24	1529.91	1243.02	-1223.64	-2515.14	-3758.16	-5288.07
2	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	6.00	131.14	-16.59	-304.51	-435.65	-441.65
3	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	17.99	119.32	20.26	-157.09	-276.41	-294.40
4	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.	2022-23	2023-24	0.10	0.00	-0.06	-3.06	-3.06	-3.16
5	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2020-21	2021-22	4.08	10.00	2.57	-10.76	-20.76	-24.84
6	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	13.42	0.43	-1.51	13.18	12.75	-0.67
	<b>सरकारी कम्पनियों का योग (अ)</b>			<b>1571.50</b>	<b>1503.91</b>	<b>-1218.97</b>	<b>-2977.38</b>	<b>-4481.29</b>	<b>-6052.79</b>
<b>ब</b>	<b>सांविधिक निगम</b>								
7	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	2023-24	238.60	30.54	-3.87	-262.58	-293.12	-531.72
8	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2022-23	0.00	75.47	-19.30	-232.09	-307.56	-307.56
	<b>सांविधिक निगम का योग (ब)</b>			<b>238.60</b>	<b>106.01</b>	<b>-23.17</b>	<b>-494.67</b>	<b>-600.68</b>	<b>-839.28</b>
	<b>कुल योग (अ+ब)</b>			<b>1810.10</b>	<b>1609.92</b>	<b>-1242.14</b>	<b>-3472.05</b>	<b>-5081.97</b>	<b>-6892.07</b>

## परिशिष्ट-5.5

(संदर्भित: प्रस्तर-5.11.2, पृष्ठ 179)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बकाया लेखों से सम्बन्धित सूचना

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए खाते बकाया हैं	बकाया खातों की संख्या	कम्पनी की स्थिति
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
3	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
4	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
5	ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	02	कार्यरत
6	उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
7	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	2022-23	01	कार्यरत
8	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	05	कार्यरत
9	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	06	कार्यरत
10	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
14	इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
15	एन.आई.सी.डी.सी. उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	2022-23	1	कार्यरत
	<b>योग</b>		<b>71</b>	
16	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	निष्क्रिय
17	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कु.म.वि.नि. लिमिटेड की सहायक)	2000-01 से 2002-23	23	निष्क्रिय
	<b>योग</b>		<b>59</b>	
	<b>परिसमापन के अधीन- निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम</b>			
18	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	09	

**31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए खाते बकाया हैं	बकाया खातों की संख्या	कम्पनी की स्थिति
19	कुम्ह्रॉन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	1990-91 से 2022-23	33	
20	उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	
21	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)	1989-90 से 2022-23	34	
22	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कु म वि नि लिमिटेड की सहायक)	1997-98 से 2022-23	26	
23	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग.म.वि.नि. लिमिटेड की सहायक)	2009-10 से 2022-23	14	
24	यू पी ए आई	सूचना उपलब्ध नहीं		
	<b>योग</b>		<b>152</b>	

## परिशिष्ट-5.6

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.2, पृष्ठ 182)

सरकारी कम्पनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1	यू जे वी एन लिमिटेड (2022-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी ने 30 मार्च 2023 को निर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुपालन में यू पी सी एल और एचपीसीएल को देय ₹ 29.51 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.51 करोड़ से अन्य चालू दायित्वों और परिचालन एवं प्रत्यक्ष खर्चों को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ उसी सीमा तक अधिक था।</li> </ul>
2	यू पी सी एल (2022-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गए ₹ 12.54 करोड़ के पूरक बिलों का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप बिजली की खरीद लागत और वर्तमान दायित्वों प्रत्येक को ₹ 12.54 करोड़ से कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम थी।</li> <li>कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्गत कार्य निष्पादन के मानक विनियम, 2007 का अनुपालन न किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति ₹ 15.21 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.21 करोड़ से वर्तमान दायित्वों और अन्य प्रशासनिक खर्चों में से प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक कम थी।</li> </ul>
3	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी ने नकद ऋण सीमा पर उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.86 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.86 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' के साथ-साथ वर्ष के लिए 'हानि' को कम दर्शाया गया।</li> </ul>
4	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी ने नकद ऋण सीमा पर उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.33 करोड़ कम प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.33 करोड़ से 'अल्पावधि प्रावधानों' के साथ-साथ वर्ष के लिए 'हानि' को कम दर्शाया गया।</li> </ul>

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.2, पृष्ठ 182)

सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू जे वी एन लिमिटेड (2022-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी ने व्यासी परियोजना के शेष कार्यो हेतु ठेकेदारों को देय ₹ 16.05 करोड़ का लेखांकन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.05 करोड़ से अन्य चालू दायित्वों के साथ-साथ सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम दर्शाया गया।</li> </ul>
2	यू पी सी एल (2022-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>₹ 1.27 करोड़ की स्ट्रैप/क्षतिग्रस्त सामग्री पूँजी भण्डार में सम्मिलित थी। इस भण्डार के मूल्य में कमी का प्रावधान खातों में नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.27 करोड़ से पूँजी भण्डार को अधिक और इन्वेंटरी के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।</li> </ul>
3	पिटकुल (2022-23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>बरम 220 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की लागत में ₹ 84.11 करोड़ की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में सम्मिलित था, जो 31 मार्च 2023 तक चालू नहीं किया गया था, जो कम्पनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के विरुद्ध था। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ₹ 2.29 करोड़ का हास भी भारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 81.82 करोड़ से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, ₹ 2.29 करोड़ से हास को अधिक और ₹ 84.11 करोड़ से पूंजीगत कार्य-प्रगति पर कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को भी ₹ 2.29 करोड़ से कम दर्शाया गया।</li> <li>31 मार्च 2023 से पहले निष्पादित चार परियोजनाओं के कार्यो से संबंधित ₹ 36.52 करोड़ के मूल्य परिवर्तन बिलों का लेखांकन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.52 करोड़ से प्रावधान, ₹ 27.90 करोड़ से पूंजीगत कार्य प्रगति, ₹ 8.18 करोड़ से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और ₹ 44.00 लाख से हास को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, ₹ 44.00 लाख से वर्ष के लिए लाभ को भी अधिक दर्शाया गया।</li> </ul>
4	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम्पनी ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (डी आई सी सी सी) परियोजना से सम्बन्धित ₹ 8.56 करोड़ के व्यय का लेखांकन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.56 करोड़ से प्रगति में पूंजीगत कार्य और अन्य दीर्घकालिक दायित्वों (अप्रयुक्त अनुदान) में प्रत्येक को कम दर्शाया गया।</li> <li>स्मार्ट स्कूलों और कलेक्ट्रेट कार्यालय के डिजिटलीकरण के पूर्ण कार्यो के लिए उपयोग किए गए अनुदान को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.83 करोड़ से 'अन्य दीर्घकालिक दायित्वों, (अप्रयुक्त अनुदान) के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति पर प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया।</li> </ul>

## परिशिष्ट-5.8

(संदर्भित: प्रस्तर-5.13.3, पृष्ठ 182)

## वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

## उत्तराखण्ड परिवहन निगम (2019-20)

- निगम ने चालकों और परिचालकों के वेतन और मजदूरी, प्रोत्साहन आदि की राशि ₹ 8.05 करोड़ का लाभ और हानि खाते में लेखांकन करने के बजाय यात्री सुविधा निधि में लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 8.05 करोड़ से यात्री सुविधा निधि और प्रचालन व्यय में प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी ₹ 8.05 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।
- निगम के नकद शेष में जब्त की गई बैंक गारंटी (₹ 1.00 करोड़), ऑटो स्वीप बैंक खाते (₹ 0.97 करोड़) और स्रोत पर कर कटौती (₹ 0.40 करोड़) ₹ 2.37 करोड़ राशि सम्मिलित नहीं है, जिसको सम्बन्धित खाते में लेखांकन करने के बजाय शेष एफ डी से गलत तरीके से घटाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.37 करोड़ से कोषागारों में नकदी (एफडी), ₹ 1.00 करोड़ से अन्य आय, ₹ 0.40 करोड़ से चालू दायित्वों को कम और ₹ 0.97 करोड़ से बैंक में नकद को अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी ₹ 1.00 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
- पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के परिचालन के कारण हानि के लिए ₹ 77.94 करोड़ के सब्सिडी दावे की शेष राशि जो सरकार से प्राप्त होनी थी का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 77.94 करोड़ से विविध देनदारों (सरकारी विभाग) और आय प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
- विशेष श्रेणी के यात्रियों को प्रदान की गई रियायत के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त होने वाले ₹ 4.78 करोड़ रुपए के दावे को गलत तरीके से खातों में आय के बजाय चालू देयता के रूप में लेखांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.78 करोड़ से चालू दायित्वों को अधिक तथा अन्य आय को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी उसी सीमा तक अधिक थी।

## उत्तराखण्ड वन विकास निगम (2020-21)

- वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए खनन विभाग को देय ₹ 14.87 करोड़ (₹ 3.60 करोड़ की ब्याज सहित राशि) के अनिवार्य किराये को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.87 करोड़ से देय खर्चों को कम तथा लाभ को अधिक दर्शाया गया।

- चालू निर्माण कार्य में ₹ 7.00 करोड़ की राशि का चहारदीवारी का पूर्ण हो चुका कार्य सम्मिलित है। इसका पूंजीकरण और मूल्यहास किया जाना चाहिए था। इन्हीं कार्यों के लिए, 31 मार्च 2021 तक भुगतान के लिए ₹ 0.59 करोड़ के बीजक भी देय थे, जिनका लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 7.59 करोड़ से भवन को कम तथा ₹ 7.00 करोड़ से प्रगति पर कार्य को अधिक और ₹ 0.59 करोड़ से चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त भवन पर हास का प्रभार न लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ से भवन के साथ-साथ लाभ को अधिक दर्शाया गया।
- निगम ने काफी समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से सामग्री की कमी के विरुद्ध वसूली हेतु ₹ 1.99 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.99 करोड़ से सामग्री की कमी-जांचाधीन के साथ-साथ लाभ को अधिक और प्रावधान को कम दर्शाया गया।

#### **उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (2021-22)**

- निगम ने वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से लिए गए ऋण पर देय ₹ 50.42 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 50.42 करोड़ से चालू दायित्वों और ब्याज व्यय प्रत्येक को कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को देय ₹ 42.04 करोड़ के चालू बीजकों का लेखांकन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 42.04 करोड़ से चालू दायित्वों और प्रावधानों के साथ-साथ कार्य प्रगति पर प्रत्येक को कम दर्शाया गया।
- निगम ₹ 129.55 करोड़ की राशि के पूर्ण किए गए कार्यों को समायोजित करने में विफल रहा, जो विभिन्न एजेंसियों/विभागों को सौंप दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 129.55 करोड़ से प्रगति पर कार्य के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुदान प्रत्येक को अधिक दर्शाया गया।

परिशिष्ट-6.1 शब्दावली		
क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्यता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	<p>ऋण वहन क्षमता को किसी समयवधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।</p> <p>इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।</p>
8.	ऋण स्थिरीकरण	<p>स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।</p>
9.	ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।</p>
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	<p>कुल ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्ति का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।</p>
11.	ऋणोत्तर प्राप्ति	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।</p>
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	<p>लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्ति का आधिक्य।</p>



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi>